तृतीय माला, खंड 47, अंक 2
Third Series, Vol. XLVII, No. 2

गुरुवार, 4 नवम्बर, 1965/13 कार्तिक, 1887 (शक)
Thursday, November 4, 1965/Kartika 13, 1887 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र
Thirteenth Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 47 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XLVII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 2—गुरुवार, 4 नवम्बर, 1965/13 कार्तिक, 1887 (शक)

No. 2—Thursday, November 4, 1965/Kartika 13, 1887 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS :

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
31.	सेना कर्मचारियों के बीमे के दावों का निपटान Settlement of Insurance Claims of Armed Personnel	93–95
32.	युद्ध प्रयास के लिए जनता से ऋण प्राप्त करना Raising of Public Loan for Ward Efforts	96–99
34.	रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों को सहायता Reserve Bank's Assistance to Commercial Banks	99–102
35.	सिन्धु जल संधि के अन्तर्गत पाकिस्तान को पानी का सम्भरण Water Supply to Pakistan under Indus Waters Treaty	102–03
53.	सिन्धु जल सन्धि के अन्तर्गत पाकिस्तान को भुगतान Payments to Pakistan under Indus Waters Treaty	103
54.	पाकिस्तान को नहरी पानी का सम्भरण Release of Canal water supplies to Pakistan	104–07
36.	चौथी योजना के लिए सोवियत सहायता Soviet Assistance for Fourth Plan	107–09
37.	सैनिक अस्पतालों को सहायता Assistance to Military Hospitals	110–11
38.	व्यापारियों द्वारा आय-कर अपवंचन Income-tax Evasion by Businessmen	111–12
40.	दिल्ली में नेताओं की मूर्तियां स्थापित करना Installation of Statues of Leaders in Delhi	113–14

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
41.	"विकास दल" 'Vikas Dal'	114
42.	दिल्ली में आयकर अधिकारियों द्वारा दुकानों पर छापे Raids by Income-tax Officers on Shops in Delhi	115
43.	राजस्थान नहर परियोजना Rajasthan Canal Project	115
44.	विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की बैठक World Bank and I. M. F. Meeting	115–16

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
45.	खर्चे में कमी करना और आर्थिक व्यवस्था का पुनर्गठन करना	Curtailing of Expenditure and Re-orientation of Economic Affairs	116
46.	जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की मांगें	L. I. C. Employees Demands	116
47.	डाक बचत बैंक विनियम को ढीला करना	Liberalisation of Postal Savings Bank Regulations	116–17
48.	कम्पनियों के कार्यों में गड़बड़ियां	Malpractices in Companies Affairs .	117
49.	राजस्थान और मध्य प्रदेश में विद्युत सम्भरण	Power Supply in Rajasthan and Madhya Pradesh . . .	117–18
50.	ब्लड बैंक	Blood Banks	118
51.	प्रबन्धक एजेंसी आवेदनपत्र	Managing Agency Applications .	118–19
52.	दिल्ली की पानी समस्या सम्बन्धी समिति	Water Problem in Delhi .	119–20
55.	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की किश्त के भुगतान को मुल्तवी करना	Postponement of Repayment of Instalment to I.M.F. . .	120
56.	नर्मदा नदी परियोजना सम्बन्धी खोसला समिति	Khosla Committee on Narmada River Project	120
57.	मूल्यों में वृद्धि	Rise in Prices	121
58.	सिंचाई योजनायें	Irrigation Schemes . . .	121
59.	गैर-सरकारी बिजलीघरों को सरकार द्वारा अपने अधिकार में लेना	Government Take-over of Private Power Units . . .	122
अ० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
76.	दिल्ली में सस्ते होटल	Cheap Hotels in Delhi . .	122–23
77.	लाइसेंसधारी चिकित्सक (मेडिकल लाइसेंशिएट) पाठ्यक्रम	Medical Licentiate Course . .	123
78.	गोआ में पंजीबद्ध "पोर कोटा" समितियां	Por Quota Societies Registered in Goa	123
79.	सिंचाई सुविधाओं का उपयोग	Utilisation of Irrigation Facilities	124
80.	बम्बई में सोने का पकड़ा जाना	Seizure of Gold in Bombay .	124
81.	एर्णाकुलम् तथा कोचीन नगरों का वर्गीकरण	Classification of Arankulam and Cochin Cities	125
82.	चिकित्सा कालिजों सम्बन्धी आयोग	Commission on Medical Colleges .	125
83.	केरल में चिकित्सा कालिज	Medical Colleges in Kerala .	125
84.	पाजहास्सी सिंचाई परियोजना	Pazhassi Irrigation Project	126

अ० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
85.	राज्यों द्वारा रिजर्व बैंक से अपनी राशि से अधिक राशि का निकाला जाना	Overdrawal by States from Reserve Bank	126
86.	हैजा वैक्सीन	Cholera Vaccine .	126
87.	माताटिला बांध	Matatila Dam .	126
88.	उत्तर प्रदेश में चिकित्सा कालिज	Medical Colleges in U. P. .	127
89.	बंगलोर के लिये जल सम्भरण	Water supply to Bangalore . .	127
90.	नीमच में नया अलक्लाइड कारखाना	New Alkaloid Factory at Neemuch	127–28
91.	एयर इंडिया के एग्जिक्यूटिव अधिकारी द्वारा विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विनियमों का उल्लंघन	Foreign Exchange violations by Air India's Executive . . .	128
92.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के लिए अखिल भारतीय परीक्षा	All India Examination for Post graduate Medical Studies . .	128
93.	पिछड़े क्षेत्र	Backward Areas . . .	128–29
94.	परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme . .	129
95.	अत्यावश्यक वस्तुओं के दामों में वृद्धि	Rise in Prices of Essential Commodities	129–30
96.	त्रिवेन्द्रम आयुर्वेदिक केन्द्र	Trivandrum Ayurvedic Centre	130
97.	विकलांग व्यक्तियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Handicapped .	130
98.	दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण कार्य	Flood Control in Delhi . .	130–31
99.	कार्यालयों का फरीदाबाद में स्थानान्तरण	Shifting of Offices to Faridabad .	131
100.	परिवार नियोजन के लिये जड़ी बूटी	Herb for Family Planning . .	131–32
101.	श्रमिकों की मजूरी	Wages of Workers . .	132
102.	आसाम में बाढ़ नियंत्रण	Flood Control in Assam .	132–33
103.	कोलार स्वर्ण क्षेत्रों में हड़ताल	Strike in Kolar Gold Fields . .	133–34
104.	कोलार स्वर्ण क्षेत्र	Kolar Goldfields	134
105.	परिवार पेंशन और गृह निर्माण ऋण योजनायें	Family Pension and House Building Loan Schemes	134
106.	लाल समिति का प्रतिवेदन	Lal Committee Report . .	134–35
107.	भारतीय मेडिकल रजिस्टर	Indian Medical Registe . .	135
108.	सरकारी क्वार्टर	Government Accommodation .	135
109.	कर अपवंचन सम्बन्धी सूचना देने वालों को इनाम	Rewards to Informers of Tax Evasion	136
110.	बड़ी गंडक सम्बन्धी तकनीकी समिति	Technical Committee on Bari Gandak	136

अ० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
111.	तवा परियोजना — Tawa Project	137
112.	हाई ोसील के रोगी — Hydrocele Cases	137
113.	पंजाब में कृत्रिम अंग केन्द्र — Artificial Limb Centre in Punjab	137–38
114.	भारी द्योगिक परियोजनायें — Heavy Industrial Projects	138–39
115.	दिल्ली में श्रमजीवी स्त्रियों के लिये मकानों का आवंटन — Allotment of Houses to Working Women in Delhi	139
116.	सैनिक सेवा में जाने वाले कर्मचारियों के लिये सरकारी क्वार्टर — Government Accommodation for Employees opting Military Service	139
117.	केन्द्रीय विक्री कर अधिनियम — Central Sales Tax Act	140
118.	कलकत्ता में सीमा-कर — Terminal Tax in Calcutta	140
119.	दिल्ली इर्द गिर्द हरियावल (ग्रीन बेल्ट) — Green Belt Around Delhi	140
120.	ब्रह्मपुत्र नदी तथा इसकी सहायक नदियों पर अधिकार — Taking over Control of Brahmaputra River and its Tributaries	140-41
121.	दिल्ली के समीपवर्ती (सैटलाइट) नगरों में दफ्तरों का स्थानान्तरण — Shifting of Offices to Satellite Towns in Delhi	141
122.	केन्द्रीय औषधि अनुसन्धान प्रयोगशाला, गाजियाबाद — Central Drug Research Laboratory, Ghaziabad	141
123.	आसाम सरकार द्वारा मांगी गई सहायता — Assistance sought by Assam Government	141–42
124.	कोसी परि ोजना — Kosi Project	142
125.	भारत की मृत्यु दर — India's Mortality Rate	142
126.	विदेशी बैंकों द्वारा पाकिस्तान रक्षा निधि में अंशदान — Contributions by Foreign Banks in the Pakistan Defence Fund	142–43
127.	नेवेली बिजलीघर के कमचारियों के लिये प्रशिक्षण संस्था — Training Institute for Neyyveli Power Station Personnel	143
128.	गांधी सागर बांध से पानी का सम्भरण — Water Supply from Gandhi Sagar Dam	143
129.	मं ालय की अधिकारी आधारित व्यवस्था — Officer-Oriented set up for Ministry	143–44
130.	राणा प्रताप सागर बिजली घर — Rana Pratap Sagar Power House	144
131.	दिल्ली के गांवों का पुनर्विकास — Re-development of Delhi Villages	145
132.	मैसूर द्वारा अपने पड़ौसी राज्यों का बिजली का दिया जाना — Supply of Electricity to neighbouring States by Mysore	145
133.	केरल के देहातों में जल व्यवस्था — Rural Water Supply in Kerala	145–46
134.	केरल वेतन आयोग — Kerala Pay Commission	146
135.	गंडक परियोजना — Gandak Project	146–47

अ० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
136.	बिजली का उत्पादन	Power Production . . .	147
137.	महंगाई भत्ते का मिलाया जाना	Merger of Dearness Allowance .	147
138.	जीवन बीमा निगमके अधिकारियों की सेवाकी शर्तें	Service conditions of L. I. C. Officers	147
139.	सरकारी कर्मचारियों द्वारा जीवन बीमा निगम की पालिसियों का लिया जाना	Taking of L. I. C. Policies by Government Employees . .	148
140.	दूसरी ओर तीसरी योजनाओं की परि-योजनायें	Projects in Second and Third Plans	148
141.	भूतपूर्व नरेशों से प्राप्त हुआ सम्पदा शुल्क	Estate Duty realised from ex-Rulers	148
142.	उपरि वर्धा सिंचाई परियोजना	Upper Wardha Irrigation Project	148
	ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में प्रश्न	Re : Calling Attention Notice (Query)	148
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	149–51
	अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1965–66	Demands for Supplementary Grants (General) 1965-66 . . .	152
	केरल के सम्बन्ध में उद्घोषणा लागू रखे जाने के बारे मे संकल्प—	Resolution re : Continuance of Proclamation in respect of Kerala—	
	श्री हाथी	Shri Hathi . .	152–53
	श्री रंगा	,, Ranga . . .	153–55
	श्री ही० ना० मुकर्जी	,, H. N. Mukerjee .	155–56
	श्री केप्पन	,, Kappen . .	156–58
	श्री मणियंगाडन	,, Maniyangadam .	158
	श्री नि० चं० चटर्जी	,, N. C. Chatterjee . .	158–59
	श्री दीनेन भट्टाचार्य	,, Dinen Bhattacharya .	159–60
	श्री गो० ना० दीक्षित	,, G. N. Dixit .	160–61
	श्री मुहम्मद कोया	,, Koya	161–62
	श्री प्र० रं० चक्रवर्ती	,, P. R. Chakraverti . .	162
	श्री बड़े	,, Bade . .	162–63
	श्री खाडिलकर	,, Khadilkar . . .	163–64
	श्री हरि विष्णु कामत	,, Hari Vishnu Kamath .	164–65
	श्री गौरी शंकर कक्कड़	,, Gauri Shankar Kakkar .	166
	श्री वारियर	,, Warior	166–68
	श्री पाराशर	,, Parashar . .	168
	श्री वासुदेवन नायर	,, Vasudevan Nair . .	168
	कार्य-मंत्रणा समिति— चालिसवां प्रतिवेदन	Business Advisory Committee— Fortieth Report . . .	169

लोक–सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 4 नवम्बर, 1965/13 कार्तिक, 1887 (शक)

Thursday, November 4, 1965/Kartika 13, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सेना कर्मचारियों के बीमे के दावों का निपटान

+
*31. **श्री बासप्पा :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री राम सेवक यादव :
श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :
श्री प्र० के० देव :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री कपूर सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने उन सैनिकों के बीमा के दावों के निपटाने को सर्वाधिक प्राथमिकता देने का निर्णय किया है जो पाकिस्तान के साथ हाल के संघर्ष में मारे गये, लापता घोषित किये गये अथवा युद्ध-बन्दी बनाये गये;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) बीमे के दावों के निपटाने के कितने मामलों का फैसला किया जा चुका है ?

योजना मं ी (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां, महोदय।

(ख) एक विवरण सदन-पटल पर रखा है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5049/65 ।**]

(ग) चूंकि दावे निगम के बहुत से कार्यालयों द्वारा निपटाये जा रहे हैं इस लिए यह सूचना सुलभ नहीं है ।

श्री बासप्पा : क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय में जीवन बीमा निगम को युद्ध में शहीद हुए व्यक्तियों की एक सूची भेज दी है और यदि हां, तो उस सूची में व्यक्तियों की क्या संख्या है और इनमें से कितने मामले निपटाये गये हैं ?

श्री ब० रा० भगत : व्यवस्था इस प्रकार है कि जैसे ही प्रतिरक्षा मंत्रालय से सूचना मिलती है कि फलाँ पदाधिकारी की मृत्यु हो गई है, हम फौरन दावे का निपटारा कर देते हैं ।

श्री बासप्पा : अब तक कितने मामले निपटाये गये हैं ?

श्री ब० रा० भगत : मेरे पास सूची नहीं है। मै इसको प्राप्त करने और जानकारी देने का प्रयत्न करूंगा ।

श्री बासप्पा : क्या उन व्यक्तियों के मामले में, जो युद्ध में मारे गये हैं और जो अग्रिम क्षेत्रों में होने के कारण प्रीमियम की पिछली किश्त नहीं दे सके हैं, वित्त मंत्रालय से पर्याप्त सहयोग मिल रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : वह जानकारी विवरण में दी हुई है।

श्री ब० रा० भगत : उनको वह सुविधा दी जा रही है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : जो लोग लडाई में गायब हैं और जिन्हें मृत समझ लिया गया है तो उनके फिर से जीवित पाये जाने पर क्या कार्यवाही की जाएगी ?

अध्यक्ष महोदय : वह बाद में देखा जाएगा।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : तीन मामलों में ऐसा हो चुका है। जो लोग गायब थे और जिन्हें मृत समझ लिया गया था, उनके बारे में जिस दिन शोक-प्रस्ताव पास किया जा रहा था, वे उस दिन जीवित मिल गये।

अध्यक्ष महोदय : हम चाहते हैं कि दावे शीघ्र निपटाये जायें और इसलिये यह प्रक्रिया अपनाई गई है। यदि हम पुरानी प्रक्रिया को ही अपनाये तो इसमें विलम्ब होगा।

Shri K. N. Tiwary : In the statement laid on the table there is a mention of the facilities which would be provided to those who were killed in war with Pakistan, I want to know whether such facilities would be provided to those also who were killed on border in action with China ?

Shri B. R. Bhagat : The information given is in connection with those persons who were killed in action with Pakistan or are missing. During 1962 conflict also we gave certain facilities and also gave the imformation but I cannot say whether they were based on these ?

Shri K. N. Tiwary: My question was whether such facilities would be given to persons killed on frontiers?

Shri B. R. Bhagat : We are considering that also.

Shri Ram Sewak Yadav : Would the Ministry of Finance give some money to the LIC to run the insurance scheme for jawans and officers?

Mr. Speaker : This question is regarding settement of claims.

Shri Madhu Limaye : Is it a fact that the scope of this question is limited. But it happened twice ; In 1962 and again now, in view of this whether Government would formulate some comprehensive scheme so that arrangements are made for the insurance of all persons?

अध्यक्ष महोदय : व्यापक योजना जिसमें हर पालिसी शामिल हो।

Shri B. R. Bhagat : It is under consideration.

श्री बूटा सिंह : क्या मंत्रालय यह आश्वासन दे सकता है कि विभागीय औपचारिकताओं के कारण जवानों के परिवारों को कठिनाई नहीं होने दी जायगी और इन दावों के शीघ्र भुगतान के लिये कोई तरीका निकाला जायगा ?

श्री ब० रा० भगत : हमने जीवन बीमा निगम के सभी कार्यालयों से शीघ्र भुगतान करने को कहा है ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : बीमा के दावों को शीघ्र निपटाने के लिये क्या सरकार शहीद हुए जवानों के परिवारों से बातचीत करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह जानकारी विवरण में दी गयी है ।

श्री स० मो० बनर्जी : यह प्रश्न उन सैनिकों के बारे में है जो शहीद हुए हैं या गायब हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जीवन बीमा निगम को ऐसे निदेश दिये गये हैं कि उन असैनिक व्यक्तियों के दावों को जो प्रतिरक्षा कार्य में लगे हैं और जो छम्ब क्षेत्र में और अन्य स्थानों पर मारे गये हैं और उन नागरिकों के दावों को जो बमबारी में मारे गये हैं, बहुत शीघ्र निपटाये जायें ।

श्री ब० रा० भगत : यह प्रश्न केवल युद्ध में शहीद हुए सैनिक के बारे में है । जहां तक सैनिक कार्यवाही के फलस्वरूप मारे गये नागरिकों को भुगतान करने का प्रश्न है, हम जीवन बीमा निगम से इसी प्रकार कार्यवाही करने का अनुरोध करेंगे ।

Shri Tulsidas Jadhav : The information regarding the death of jawans is given to their families who do not know as to what action should be taken in this respect. Are government thinking over this that this information is given to the local soldiers board and they should arrange for the payment by LIC in respect of their claims?

Shri B. R. Bhagat : No Sir. At present the procedure is that the Ministry of Defence informs the LIC about it and LIC officials take action themselves by going to their plans.

Shri Bade : Is there any proposal to make interim payment before the final settlement as in the case of pension?

Shri B. R. Bhagat : There is no question of interim payment. The full payment is made at once.

Shri D. N. Tiwary : Have government any objection in making payment of the premium of those persons who have been taken as prisoners out of their money?

Shri B. R. Bhagat : Even if the payment is not made, their policies would not lapse.

श्री शिंकरे : क्या मंत्री महोदय ने हाल ही में एक बड़े राज्य के राज्यपाल द्वारा लिखित एक लेख को पढा है जिसमें सामान्य रूप से जीवन बीमा निगम द्वारा दावों को निपटाने में विलम्ब की शिकायत की गयी है और यदि हां, तो इस बारे में वह क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री ब० रा० भगत : मेने ऐसा कोई लेख नहीं पढा है ।

श्री शिंकरे : मैं नाम बता सकता हूं । उनका नाम श्री श्रीप्रकाश है ।

युद्ध प्रयास के लिए जनता से ऋण प्राप्त करना

+

*32. **श्री अ० ना० विद्यालंकार :**
श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री सैझियान :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री बागड़ी :
श्री मधु लिमये :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री बासप्पा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने युद्ध प्रयास के लिए धन जुटाने के लिए जनता से दो ऋण प्राप्त करने की योजना की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों का स्वरूप क्या है और कितनी राशि का ऋण लिया जायेगा; और

(ग) इस बारे में जनता ने कितना उत्साह दिखाया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां, । जिन ऋणों की घोषणा की गयी है वे ये हैं :—

(1) $4\frac{1}{4}$ प्रतिशत व्याज वाला राष्ट्रीय रक्षा ऋण, 1968
(2) $4\frac{3}{4}$ प्रतिशत व्याज वाला राष्ट्रीय रक्षा ऋण, 1972
(3) राष्ट्रीय रक्षा सुवर्ण बाण्ड, 1980।

(ख) इन ऋणों के जारी किये जाने से सम्बन्ध रखने वाली अधिसूचनाओं की प्रतियां सभा की मेज पर रख दी गयी हैं [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 5050/65।**] इन ऋणों से जुटायी जानेवाली रकमों की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।

(ग) इन ऋणों के लिए 27 अक्टूबर से धन लिया जाने लगा है। इन के प्रति जनता में काफी उत्साह है ।

श्री अ० ना० विद्यालंकार : क्या पहले ऋणों को इन ऋणों में बदलने की अनुमति दी जाएगी ?

श्री ब० रा० भगत : जी, नहीं ।

श्री अ० ना० विद्यालंकार : सरकार इन ऋणों के कुल संग्रह के बारे में कबतक जानकारी दे सकेगी ?

श्री ब० रा० भगत : 2 दिसम्बर तक जो धन प्राप्त हुआ । वह निम्न प्रकार है ।

(एक) $4\frac{1}{4}$ प्रतिशत राष्ट्रीय रक्षा ऋण, 1968 = 5.3 करोड रुपये

(दो) $4\frac{3}{4}$ प्रतिशत राष्ट्रीय रक्षा ऋण, 1972 = 2 करोड रुपये

(तीन) राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड, 1980 = 381 किलोग्राम

श्री भानु प्रकाश सिंह : सरकार ने युद्ध प्रयत्नों के लिये सावजनिक ऋण के लिये पांच वर्षों में कितना लक्ष निर्धारित किया है ?

श्री ब० रा० भगत : अंशदान की कोई सीमा नहीं है ।

श्री भानु प्रकाश सिंह : सरकार जनता से अनुमानतः कितना धन चाहती है ?

श्री ब० रा० भगत : जितना भी अधिक मिल जाये।

श्री दी० चं० शर्मा : समाचार पत्रों में छपा है कि हमें 200 करोड़ रुपये के स्वर्ण की आवश्यकता होगी, तो क्या सरकार के विचार में इतनी मात्रा में स्वर्ण बांडों पर स्वर्ण प्राप्त हो जाएगा और यदि हां, तो कबतक ?

श्री ब० रा० भगत : सरकारी तौर पर हमने कोई आंकड़े प्रकाशित नहीं किये। हमें तो उतने स्वर्ण की आवश्यकता है जितना जनता दे सके।

Shri Yashpal Singh : How far the post offices in villages are required to help in this regard? What arrangement the Government are making in respect of rural population desirous of donating land?

Shri B. R. Bhagat : There is no scheme regarding land. However, we are approaching everyone and we want to get whatever cooperation or assistance is available.

श्री सुबोध हंसदा : मंत्री महोदय ने कहा था कि 381 किलोग्राम सोना सरकार को प्राप्त हुआ है और इसकेलिये जनता में काफी उत्साह है ? क्या इसका कारण यह है कि जनता में विश्वास का अभाव है क्योंकि पहले जब कुछ लोगों ने प्रतिरक्षा कार्यों के लिये स्वर्ण दिया था तो कई घरों पर छापे मारे गये ?

श्री० ब० रा० भगत : यह तो अपना अपना विचार है। इन छापों का सम्बन्ध किसी अन्य बात से था ..... **(अन्तर्बाधायें)**

Shri Madhu Limaye : Will the amount thus collected be utilised on specific defence schemes?

If not, whether any scheme will be prepared to encourage people to subscribe more towards these loans such as the creation of a new Armoured Division or Fighter Planes?

Shri B. R. Bhagat : We have no such idea at present as to utilise this money for any specific purpose, but as has been said today, imphasis would be laid on essential scheme for defence, self-reliance and self sufficiency.

Shri Madhu Limaye : I had asked whether any scheme to encourage people's response to these loans would be launched for specific purposes?

Shri B. R. Bhagat : Defence Loans are there for this purpose. Regarding emergency and in order to attain self sufficiency.....

Mr. Speaker : The Hon. Member wanted to now whether any special scheme exist to encourage public response thereto *e.g.* purchase of planes, Gnats etc.

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या प्रतिरक्षा ऋण-पत्र परक्राम्य होंगे ?

श्री ब० रा० भगत : जी हां।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या बड़े बड़े व्यापार-भवनों, जैसे बिड़ला, जे० के० आदि की प्रतिक्रिया अच्छी रही है और यदि हां, तो कहां तक ?

श्री ब० रा० भगत : हमारे पास व्यक्तिवार विवरण नहीं है। कुछ समय पश्चात शायद यह संभव हो सके।

श्री रंगा : क्या सरकार ने ऋणों के लिये धन लगाने पर जारी हुए बाण्डों को परक्राम्य बनाने के औचित्य पर विचार किया है अथवा किया जा रहा है ताकि ग्रामीणों को धन देने में अधिक प्रोत्साहन मिल सके क्योंकि पहले उन्हें कठिनाई हुई थी ?

श्री ब० रा० भगत : मैंने कहा तो था कि ये परक्राम्य होंगे।

श्री बासप्पा : स्वर्ण बाण्डों पर प्रीमियम की घोषणा के बावजूद भी हिचकिचाहट क्यों है और क्या सरकार इन्हें उन लोगों के लिये अधिक आकर्षक बनाएगी जिनके पास सोना और रत्न आदि हैं ताकि वे इन्हें सरकार के पास जमा करा दें ?

श्री ब० रा० भगत : इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।

श्री शशि रंजन : इस स्वर्ण ऋण के जारी होने के पश्चात् से बाज़ार में सोने के मूल्य में वृद्धि हुई है, इसलिये सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और सरकार के मतानुसार इस वृद्धि के क्या कारण हैं ?

श्री ब० रा० भगत : पहले सप्ताह में कुछ वृद्धि हुई थी। बाद में भाव गिरे और अब यह स्थिर हो गये है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : In order to encourage people for Gold Bonds ; whether our Ministers also think of extending their cooperation ; and if so, how many of them have deposited Gold?

Shri B. R. Bhagat : I do not have a list of those Ministers with me.

श्री कपूर सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि इन युद्ध ऋणों में वृद्धि करने के लिये क्या सरकार व्यक्तिगत पूंजी पर दर्जावार कर लगाने का विचार कर रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री ब० रा० भगत : इसका इन ऋणों से कोई सम्बन्ध नहीं है। दर्जावार कर एक दूसरी बात है।

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि इसका कोई विचार है ?

श्री ब० रा० भगत : कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री कपूर सिंह : क्यों नहीं ?

श्री शा० ना० चतुर्वेदी : क्या सरकार को ऐसी सूचना मिली है कि काले बाज़ार से प्राप्त स्वर्ण रखने वाले लोग इसलिये आगे नहीं आ रहे कि उन्हें भय है कि कहीं स्वर्ण देते समय उन्हें वहीं पर बन्दी न बना लिया जाए ?

श्री ब० रा० भगत : स्वयं योजना इस संबंध में बिल्कुल स्पष्ट है कि उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा।

श्री शा० ना० चतुर्वेदी : मेरा प्रश्न भिन्न था। मैंने पूछा था कि सोना जमा कराने जाते हुए यदि सीमा शुल्क अधिकारी उन्हें पकड़कर बन्दी बना सकते हैं। क्या इस प्रकार की सूचना सरकार को मिली है ?

अध्यक्ष महोदय : तब तो सेवा निवृत्त पुलिस अधिकारी को उनकी सहायता करनी चाहिये।

Shri Kashi Ram Gupta : Has the Government estimated the contribution of Gold worth 500 crores of rupees from those persons possessing black market money?

Shri B. R. Bhagat : It would be very good if this much is forthcoming.

Shri Kashi Ram Gupta : I had asked whether the hon. Minister had any such estimate?

Mr. Speaker : What has the hon. Member to do with estimates.

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या मैं जान सकता हूं कि ग्राम्य क्षेत्रों में वहां के लोगों को स्वर्ण बाण्डों में सोना जमा कराने और दूसरे अन्य जारी किये गये ऋणों में धन लगाने के योग्य बनाने के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है क्योंकि पहले के अनुभव से पता चला है कि यथायोग्य अपना सहयोग देने के लिये उनमें विश्वास का अभाव था ?

श्री ब० रा० भगत : प्रत्येक व्यक्ति के पास जाने के लिये एक राष्ट्रीय आंदोलन की आवश्यकता है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा है यह ठीक है कि हम ग्राम्य क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाये हैं परन्तु ऐसा करना आवश्यक होगा ।

श्री प० र० पटेल : मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रतिरक्षा बाण्ड सभी अनुसूचित बैंकों की सभी शाखाओं पर बेचे जा रहे हैं, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री ब० रा० भगत : सभी अनुसूचित बैंकों पर नहीं परन्तु केवल स्टेट बैंक की सभी शाखाओं पर ही ये बिक रहे हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस दृष्टि से कि देश में बड़ी मात्रा में सोनेके रूप में काला धन छिपा होने की बात कही जाती है, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की इस घोषणा द्वारा, कि जो कोई व्यक्ति इन बाण्डों के लिये सोना देगा उससे इसके स्रोत के बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा, उसका यह घोषणा करने का विचार है कि उसकी छिपे धन को निकलवाने की कोई इच्छा नहीं है और इस प्रकार वे अनैतिकता को बढ़ावा देना चाहती है ?

श्री ब० रा० भगत : जी नहीं । इस समय सोने की आवश्यकता अन्य सभी बातों के सर्वोपरि है । परन्तु दूसरी ओर हम जहां कहीं भी हों सारे छिपे धन को निकलवाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिये यह दो अलग अलग प्रश्न हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने पूछा था कि क्या यह सच है . . . .

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा तो है कि यह बात अन्य सभी बातों से सर्वोपरि है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसके पश्चात उन्होंने कहा था कि छिपे धन की खोज जारी रहेगी परन्तु उन्होंने यह भी तो कहा था कि इसका स्रोत घोषित नहीं किया जाएगा । उन्हें आश्वासन देने दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों की सहायता

+

* 34. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री प्र० के० देव :
श्री सोलंकी :
श्री कपूर सिंह :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कजरोलकर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को भविष्य में अधिक सहायता देने का विचार कर रही है ;

(ख) कितनी अतिरिक्त सहायता दिये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) रिजर्व बैंक द्वारा कम उधार देने की नीति अपनाने के कारण वर्तमान मन्दी के समय में वास्तव में ऋणों में कितनी कमी हुई ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : आशा है रिजर्व बैंक, कामकाज के चालू मौसम के संबंध में बहुत जल्दी अपनी ऋण-सम्बन्धी नीति की घोषणा कर देगी। इस समय बिल्कुल सही तौर पर यह बताना सम्भव नहीं है कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले अग्रिमों और मौसम के सब से अधिक कामकाज के समय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिये जाने वाले ऋणों तथा अग्रिमों की रकमों में कितनी वृद्धि होगी, लेकिन आशा है कि उद्योग तथा व्यापार की सभी बड़ी-बड़ी जरूरतें पूरी की जा सकेंगी ।

(ग) मंदी के मौसम में, जो अभी अभी खत्म हुआ है, ऋण देने में बहुत कमी नहीं हुई है और 15 अक्टूबर 1965 तक वह लगभग 88 करोड़ रुपया थी ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मंदी के समय, ऋणों में कमी संबंधी स्वयं रिज़र्व बैंक के क्या अनुमानित आंकड़े हैं और इनमें तथा इस राशि में जिसकी घोषणा अभी की गई है, क्या अन्तर है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : लगभग 200 करोड़ रुपये की कमी होने का अनुमान था । इस प्रकार वास्तविक कमी 112 करोड़ रूपये की हुई ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या अनुसूचित बैंकों द्वारा अपनी अनुमानित, आवश्यकताओं के बारे में कोई मांग की गई है और क्या सरकार इन्हें पूरा करने की स्थिति में है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मांगे की जा सकती हैं परन्तु रिजर्व बैंक इन्हें पूरा करने का जिम्मा नहीं लेता । जैसा मेरे साथी ने कहा मामला विचाराधीन है । कोई विशिष्ट सूत्र अभी नहीं बनाया गया ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकता हूं कि उन जुलाहों की सहकारिताओं तथा कपड़ा उद्योग को क्या विशेष सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं, जिनकी सिफारिश वाणिज्य मंत्रालय ने की थी ?

श्री ब० रा० भगत : ब्योरे के लिये मुझे पूर्वसूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या यह सच है कि जुलाहों की सहकारी समितियों तथा कपड़ा उद्योग ने केन्द्रीय मंत्रालय को एक अभ्यावेदन दिया था और यदि हां तो क्या यह मंत्रालय उनको अधिक धन देगा क्योंकि यह उद्योग लगभग संकट में है ।

श्री ब० रा० भगत : मैंने कहा है कि मुझे इसके लिये पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सरकार यह मानती है कि गत वर्ष के दौरान हुई ऋणों में कमी ही हमारे देश में औद्योगिक बढ़ोतरी की गति के लिये जिम्मेदार थी और यदि हां, तो कहां तक ?

श्री ब० रा० भगत : यह सभी आर्थिक परिस्थितियां एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालती हैं ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार को पता है कि ऋणों की यह कमी और बैंक दर में यह असामान्य वृद्धि हमारी अर्थ-व्यवस्था में गंभीर मुद्रा फैलाव की प्रवृत्तियों का निश्चित द्योतक है, और यदि हां, तो इस सम्बंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

श्री ब० रा० भगत : हम समय समय पर इन असंतुलनों को ठीक करने का प्रयत्न करते रहे हैं। हाल ही में भी हमने ऐसे पग उठाये हैं ताकि असंतुलन अत्याधिक उग्र न होने पाये।

श्री शामलाल सर्राफ : क्या सरकार जानती है कि सबसे महत्वपूर्ण उद्योगों में से कुछ को, विशेषकर जिनके उत्पादन निर्यात हो सकते हैं, विशेषकर अनुसूचित बैंकों द्वारा वित्त के अभाव के कारण, भारी हानि उठानी पड़ी है, और यदि हां तो इन्हें आगामी मंदी से बचाने के लिये, जिसकी किसी भी समय आशंका है, क्या पग उठाये जाने वाले हैं ?

श्री ब० रा० भगत : जो नीति शीघ्र ही घोषित की जाने वाली है उसका एक ध्येय सभी निर्यातोन्मुख उद्योगों, प्रतिरक्षा प्रधान और वे उद्योग जो आयात होने वाली वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, के लिये व्यवस्था करना है।

Shri Yashpal Singh : Will the farmer also be by any way benefited by this scheme?

Shri B. R. Bhagat : For them another scheme is under way.

श्री शिवाजीराव देशमुख : रिज़र्व बैंक को अनुसूचित बैंकों को सहायता देने की चिन्ता से कृषि ऋण पर कहां तक कुप्रभाव पड़ने की आशंका है ?

श्री ब० रा० भगत : कृषि ऋण, विशेषकर उत्पादोन्मुख ऋण की पूर्ण रूप से व्यवस्था की जाएगी।

श्री शशि रंजन : कुछ समय पूर्व माननीय मंत्री ने कहा था कि अनुसूचित बैंकों को रिज़र्व बैंक वित्तीय सहायता देगा। क्या मैं जान सकता हूं कि मंत्री महोदय का यह कथन कहां तक वास्तविकता में परिणित होगा, विशेषकर उपभोक्ता सहकारी स्टोरों के संबंध में क्योंकि अनुसूचित बैंकों ने इन स्टोरों को धन देने का वचन दिया था, जो मूल्यों को स्थिर रखने में अत्यावश्यक है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : रिज़र्व बैंक द्वारा सहकारी ऋण संस्थाओं की सहायता करने की परियोजना सुविख्यात है। रिज़र्व बैंक अपेक्षाकृत कम दर पर ऋण देता है। संभव है कि जिस प्रकार यह ऋण दिया जाता है उस से किसी व्यक्ति के लिये इसे प्राप्त करना कठिन हो। जहां तक उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं को ऋण देने का संबंध है, इस मामले पर सरकार ध्यान दे रही है।

श्री जो० न० हजारिका : क्या सरकार जानती है कि असम में छोटे चाय बागानों को वित्तीय कठिनाईयों के कारण हानि होने की संभावना है जो रिज़र्व बैंक के असम सहकारी शीर्ष बैंक को इस वर्ष के दौरान आवश्यक राशि उपलब्ध न किये जाने के कारण उत्पन्न हुई हैं ?

श्री ब० रा० भगत : मुझे इस प्रश्न के उत्तर के लिये पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

श्री दे० जी० नायक : क्या व्यापारियों को रूई, मूंगफली तथा खाद्यान्न के लिये अग्रिम धन देने के लिये अनुसूचित बैंकों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ?

श्री ब० रा० भगत : क्या मेरे माननीय मित्र मूंगफली तथा रूई के लिये धन दिये जाने के लिये कठिनाइयों के बारे में पूछ रहे हैं ? मैं इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहता हूं।

डा० सरोजिनी महिषी : क्या सरकार यह बता सकती है कि ऋण सम्बन्धी सुविधायें कम करने के परिणामस्वरूप किन-किन उद्योगों को बहुत हानि हुई है ?

श्री ब० रा० भगत : यह कहना कठिन होगा। संभव है कुछ ऐसे उद्योग हों जिन्हें हानि हुई हो, परन्तु यह सुनिश्चित करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं कि ऋण की राशि कम किये जाने के बावजूद भी उत्पादन में कमी न हो।

श्री दे० जी० नायक : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर इस लिये नहीं दिया गया है कि माननीय मंत्री को इस बारे में पूर्व सूचना चाहिये।

अब, अगला प्रश्न लिया जाये। प्रश्न संख्या 35।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : प्रश्न संख्या 53 तथा 54 भी इसी प्रश्न के साथ साथ ले लिये जायें क्योंकि ये भी उसी विषय पर हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मंत्री इन सबका उत्तर एकसाथ देना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : मैं इनका उत्तर एकसाथ देने के लिये तैयार हूं।

सिन्धु जल संधि के अन्तर्गत पाकिस्तान को पानी का सम्भरण

+

*35. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० के० देव :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री काजरोलकर :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्री गुलशन :
श्री बूटा सिंह :
श्री दलजीत सिंह :
श्रीमती मैमूना सुलतान :
श्री हुक्म चन्द कछवाय :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री हेमराज :
श्री राम सेवक यादव :
श्री मधु लिमये :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री वारियर :
श्री दाजी :
श्री दे० द० पुरी :
श्रीमती बिमला देवी :
श्री श्यामलाल सर्राफ :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस बात पर विरोध प्रकट किया है कि पाकिस्तान को नहरी पानी दिया जा रहा है "जबकि पानी के अभाव से हमारी अपनी फसलें नष्ट हो रही हैं" ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि कृषकों ने यह धमकी दी है कि यदि पाकिस्तान को अब पानी देना बन्द नहीं किया गया तो वे सीधी कार्यवाही करेंगे, और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तथा (ख) : इस सम्बन्ध में बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ग) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5051/65 ।]**

सिन्ध जल सन्धि के अन्तर्गत पाकिस्तान को भुगतान

* 53. **श्री अ० ना० विद्यालंकार :**
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री प्र० के० देव :
श्री सोलंकी :
श्री कपूर सिंह :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री गुलशन :
श्री बूटा सिंह :
श्री हेमराज :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री मरण्डी :
श्री उटिया :
श्री दलजीत सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री दे० द० पुरी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्रीमती मैमूना सुलतान :
श्री कजरोलकर :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ सिन्ध् जल सन्धि का उल्लंघन करके भारत और विश्व बैंक से प्राप्त धन के काफी भाग का इच्छोगिल नहर के किनारे के साथ-साथ कंक्रीट के तह-खाने (पिल बाक्स) और बंकर बनाने आदि जैसे युद्ध-कार्यों के लिये दुरुपयोग किया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस कारण भावी किश्तों का भुगतान तब तक बन्द कर देने अथवा कम से कम रोक देने के औचित्य और वांछनीयता पर विचार किया है जब तक कि उसका समाधान नहीं हो जाता है कि पाकिस्तान सन्धि का फिर उल्लंघन नहीं करेगा तथा उसने धन के पिछले दुरुपयोग का प्रतिकार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में क्या निर्णय किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5052/65।]**

पाकिस्तान को नहरी पानी का सम्भरण

+

*54. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

श्री प० ला० बारूपाल :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंधु जल संधि के अन्तर्गत पाकिस्तान को, दोनों देशों में युद्ध छिड़ जाने के बाद, कितना पानी दिया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : हाल ही में युद्ध छिड़ जाने के समय से अक्टूबर, 1965 के अन्त तक, जिस अवधि के लिये कि सामग्री उपलब्ध है, भारत द्वारा पाकिस्तान को दिया गया पानी लगभग 0.4 "एम० ए० एफ०" है ।

Shri Rameshwar Tantia : May I know whether it is a fact that water level in Bhakara Reservoir has considerably gone down due to failure of monsoon; if so, may I know the reasons of water being supplied to Pakistan even now when we have strained relations with them and also when this supply affects our own crops adversely?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : यह सच है कि इस वर्ष सतलज में ही नहीं अपितु ब्यास तथा रावी और देश की अन्य नदियों में भी पानी की कमी है । माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि हम पाकिस्तान को पानी क्यों दे रहे हैं, जबकि यहां पानी की कमी है । 1960 की सिन्धु जल संधि तीन दलों के बीच हुई एक संधि है । यह संधि केवल भारत तथा पाकिस्तान के बीच ही नहीं हुई है अपितु भारत, पाकिस्तान तथा विश्व बैंक के बीच हुई है और इस के अनुसार विश्व बैंक यह सुनिश्चित करता है कि पानी की सप्लाई उचित प्रकार हो, धन की अदायगी ठीक हो तथा प्रशासनिक कार्य ठीक प्रकार चलाया जाये । इसलिये यह बात विचार करने योग्य है कि इस संधि का पालन न करके क्या हम इसका उल्लंघन नहीं करेंगे, और क्या विश्व बैंक से, जिसके साथ हमारे इतने अच्छे सम्बन्ध हैं, और जो हमारी इतनी सहायता करता है, हमारा झगड़ा न हो जायेगा ।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है । 1947 में विभाजन के समय रावी, ब्यास तथा सतलज, इन तीन पूर्वी नदियों से पाकिस्तान की 43 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो रही थी । इन क्षेत्रों को दिये जा रहे पानी के स्थान पर अब पश्चिमी नदियों से पानी दिया जायेगा । जब ये निर्माण-कार्य पूर्ण हो जायेंगे, हम पूर्वी नदियों से पानी की सपलाई बन्द कर सकते हैं । हमें आशा है कि पंजाब की तथा राजस्थान की मरु भूमि का विकास करने के लिये हम 1970 तक वह सप्लाई बन्द कर देंगे । इस लिये हमारे अपने हितों की रक्षा करने के लिये तथा यह सुनिश्चित करने के लिये कि हम अपने क्षेत्रों का शीघ्र विकास कर सकें, यह अत्यावश्यक है कि हम इन निर्माण-कार्यों को यथासम्भव शीघ्र पूर्ण करें ।

इन दो कारणों से इस समूचे विषय पर बहुत सावधानी से विचार करनें के पश्चात् यह निर्णय किया गया कि सिंधु जल संधि का पालन किया जाये ।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है.....

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि सदस्यों को इस बारे में बहुत चिंता है, इसलिये मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । क्या संधि में ऐसी भी कोई शर्त है कि पाकिस्तान को निश्चित मात्रा में पानी दिया जायेगा चाहे शेष पानी हमारे लिये पर्याप्त न हो तथा हमें स्वयं पानी की कमी हो ?

डा० कु० ल० राव : दुर्भाग्य से शर्त ऐसी ही है । इस संधि के उपबन्ध स्पष्ट हैं । इनमें यह कहा गया है .....

अध्यक्ष महोदय : यह एक विचित्र उपबन्ध है कि चाहे हमारे प्रयोग के लिए पानी न रहे. . . .

डा० कु० ल० राव : जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है । उपबन्धों के अनुसार सतलज नदी के सारे पानी का उपयोग हम करेंगे । इस अवधि में तो केवल ब्यास के पानी को बांटा जाना है । इसका 79 प्रतिशत पानी पाकिस्तान को और 21 प्रतिशत राजस्थान को मिलेगा ।

श्री क० ना० तिवारी : नहीं, नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते हैं ।

श्रीमती सावित्री निगम : इस विषय पर $2\frac{1}{2}$ घंटे की चर्चा होनी चाहिये ।

श्री स० मो बनर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आप कृपया प्रश्न संख्या 53 के साथ सलंग्न विवरण को देखें । इस में यह कहा गया है :

"अत: इस मामले पर सरकार द्वारा बड़ी सावधानी से विचार किया गया है" ।

यह भुगतान के बारे में है ।

"इस सम्बन्ध में इस बात का ध्यान रखना है कि इछोगिल नहर, जो कि पाकिस्तान में प्रतिस्थापन कार्यों में शामिल है, इस सन्धि पर हस्ताक्षर होने से पहले तैयार कर ली गई थी । हमें इस बात का पता नहीं है कि सिन्धु नदी बेसिन विकास निधि में से कोई राशि का उपयोग इछोगिल नहर के किनारों के साथ साथ पिल बक्सों तथा बंकरों का निर्माण करने के लिये किया गया है । हम राशि का भुगतान विश्व बैंक को करते हैं न कि पाकिस्तान को. . ."

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब इस विशेष बात के बारे में जांच की जा रही है और जब अन्तर्राष्ट्रीय प्रेक्षक इस बात की जांच कर रहे है कि क्या इछोगिल नहर के दोनों किनारों के साथ साथ पिल बक्सों, बंकरों तथा अन्य चीज़ों का निर्माण किया गया है,मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह उचित है कि माननीय मंत्री ऐसा बयान दें कि सरकार को इस बात का पता नहीं है कि इन चीज़ों का निर्माण करने में इस निधि में से खर्च किया गया है । बह बात हमारे विरुद्ध प्रयोग की जायेगी. . . . .

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । यह तो सभी जानते हैं कि उस नहर के साथ साथ पिल बक्सों, बंकरों आदि का निर्माण किया गया है, परन्तु हम यह जानना चाहते हैं कि इनके निर्माण में उस विशेष निधि में से खर्च किया गया था ।

श्री स० मो० बनर्जी : पहले हमारे विरुद्ध इनका उपयोग किया गया है और अब हमारे विरुद्ध इस कथन का उपयोग किया जायेगा. . . .

(कई माननीय सदस्य खडे हुए ।)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो सदस्य खड़े हैं वह अपना अपना आसन ग्रहण करें । मैं तो यह कहूंगा—यह एक प्रश्न उठ सकता है कि क्या ऐसा मुझे कहना चाहिये अथवा नहीं—कि हम इस विषय पर एक नियमित ढंक से चर्चा करें ।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में इस विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती है और पूर्ण उत्तर प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं । हमें इस पर अलग से चर्चा करनी पड़ेगी । आशा है कि सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं है ।

डा० कु० ल० राव : हमें कोई आपत्ति नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रयत्न करूंगा कि इसे कार्यसूची में शामिल किया जाये ।

श्री हेम बरुआ : एक स्पष्टीकरण चाहता हूं . . . .

श्री स० मो० बनर्जी : मेरे व्यवस्था के प्रश्न का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : यहां कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री रघुनाथ सिंह : हम दो घंटे की चर्चा के लिये आवेदन कर रहे हैं ।

श्री शिव नारायण : एक दिन ।

अध्यक्ष महोदय : हम अभी समय निर्धारित नहीं कर सकते हैं जब नोटिस दिया जायेगा तो उसे कार्य सलाहकार समिति के समक्ष रखा जायेगा और वह इस पर विचार करेगी । फिर यह मामला सभा के समक्ष आना है तब सभा इस बात पर विचार कर सकेगी कि इस के लिये कितना समय रखा जाये ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : कृपया आप सभा की अभिलाषा को भी ध्यान में रखें ।

अध्यक्ष महोदय : जी, हां, मैंने इसे ध्यान में रख लिया है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यदि सरकार की ओर से प्रस्ताव रखा जाये तो हमें इसके लिये अधिक समय मिल जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सरकार को यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये नहीं कह सकता हूं ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : उन्हें कहने दीजिये यदि उन्हें कोई आपत्ति है ।

अध्यक्ष महोदय : यह बात अब सरकार पर निर्भर करती है । जब उन्होंने सभा के विचारों तथा भावनाओं को जान लिया है तो हो सकता है कि सरकार इस बात का निर्णय करे कि क्या वह संकल्प स्वयं प्रस्तुत करना चाहती है अथवा यह कार्य सदस्यों पर छोड़ना चाहती है । परन्तु सदस्यों को पूर्णतया सतर्क रहना चाहिये । सदस्य भी अपने नोटिस दे दें ।

श्री कपूर सिंह : हमें अब भी अनुपुरक प्रश्नों द्वारा कुछ जानकारी प्राप्त करने की अनुमति दी जाये । ताकि होने वाली चर्चा में सुविधा रहे । कृपया इस प्रश्न को लिये बिना न छोड़िये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा करने की अनुमति दे दूंगा परन्तु यदि माननीय सदस्य इस प्रकार अनुपुरक प्रश्न पूछते चले गये तो आधा घंटा तो अब लग जायेगा और तत्पश्चात चर्चा पर भी समय लगेगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस पर अवश्य अधिक समय लगेगा ।

श्री जगदेव सिद्धान्ती : चूंकि मामला बहुत अविलम्बनीय है और पंजाब सरकार तथा जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए क्या मैं निवेदन कर सकता हूं कि इस मामले पर यथासम्भव शीघ्र चर्चा की जाये ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसा मैं सरकार को कहूंगा ।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार ने विश्व बैंक को 8 करोड़ रुपये की किश्त देते समय यह दलील नहीं दी थी कि हम विश्व बैंक के साथ वचनबद्ध हैं । चूंकि सरकारने अविचार पूर्ण रूप से यह बयान दे दिया था तो श्री बैनेर्जी ने यह मामला उठाया था । मेरी आपत्ति यह है कि विश्व बैंक ही यह बता सकता है

कि पाकिस्तान ने उस धन का क्या किया है, क्या उसने इसे सैनिक तैयारी, पिल बक्सों तथा अन्य सभी चीजों के निर्माण में लगाया है। इस बारे में सरकार कुछ नहीं बता सकती है क्योंकि सरकारने तो पहले ही बता दिया है कि वह तो विश्व बैंक के साथ वचनबद्ध है और यही कारण है जिसकी बिना पर उन्होंने भुगतान किया है।

Shri Rameshwaranand : May I know whether the World Bank has communicated to us that the funds have not been utilised for war preparations?

Mr. Speaker : It would be better if I go on allowing supplementaries than to have a separate discussion on it. We cannot have both ways. So many Members want to put supplementaries and if I allow each one of them to do so, it would take the whole time. If that is the desire of the House, I have no objection.

Shri Yashpal Singh : It is a very important question. More time should be given for it.

अध्यक्ष महोदय : यदि सभी की यही राय है तो मैं यथा सम्भव अधिकाधिक सदस्यों को मौका दूंगा।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : परन्तु यह स्वीकार कर लिया गया है कि इस पर चर्चा भी होगी।

अध्यक्ष महोदय : फिर तो मैं अगले प्रश्न लूंगा।

चौथी योजना के लिए सोवियत सहायता

* 36. **श्री हिम्मत सिंहका :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० के० देव :
श्री सोलंकी :
श्री कपूर सिंह :
श्री मरंडी :
श्री उटिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रामपुरे :
श्री मुहम्मद कोया :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ रूसी विशेषज्ञ चौथी योजना के लिए रूसी सहायता के सम्बन्ध में विचार करने के लिए हाल ही में भारत आये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन विशेषज्ञों ने कुछ कार्य स्थलों तथा औद्योगिक संस्थानों का भी दौरा किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में यदि उन्होंने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं और रूस ने चौथी योजना के लिए किस प्रकार की सहायता देना स्वीकार किया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग) : जी, हां। रूसी विशेषज्ञ फिलहाल तकनीक विषयों पर विचार विमर्श कर रहे हैं और भारत में कुछ स्थानों को देख रहे हैं। चौथी योजना के लिए रूसी सहायता किस प्रकार की होगी, उसकी राशि कितनी होगी और अन्य ब्यौरे को, इनपर विचार विमर्श के बाद अन्तिम रूप दिया जायेगा।

Shri Rameshwar Tantia : May I know whether we will give a list of items for which the Russian assistance may be available during the Fourth Plan or they will tell us about the items for which they would provide assistance? What will be the percentage for irrigation and fertilisers in thassistnce?

Shri B. R. Bhagat : It is difficult to say anything at this moment. Negotiations are being held.

Shri Rameshwar Tantia : May I know the progress made in negotiations and assistance expected for Bokaro Plant in the Fourth Five Year Plan?

Shri B. R. Bhagat : We are negotiating for assistance worth Rs. 100 crore for the Bokaro Steel Plant.

श्री दी० चं० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने अपने देश की प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं के बारे में भी रूसी दल के साथ बातचीत की थी और यदि हां तो हमारी प्रति-रक्षा योजनाओं के बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया थी और हमारी प्रतिरक्षा योजनाओं को पूरा करने में वे किस हद तक सहायता करेंगे ?

श्री ब० रा० भगत : वे चौथी योजना में सहायता देने के सम्बन्ध में यहां आये थे । प्रतिरक्षा की बात उस में सम्मिलित नही थी ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या इस का यह अर्थ है कि चौथी योजना में हमें प्रतिरक्षा के लिये सहायता की आवश्यकता नही ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि प्रतिरक्षा का प्रश्न इस बातचीत में शामिल नहीं है और यह उन के क्षेत्राधिकार से बाहर है और यह नही कि हमें चौथी योजना में प्रतिरक्षा के लिये किसी सहायता की आवश्यकता नहीं ।

श्री कपूर सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि रूस की प्रस्तावित सहायता केवल महत्वपूर्ण भारी उद्योगों तक सीमित होगी या इस में उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन भी शामिल होगा ?

श्री ब० रा० भगत : यह सहायता अधिकतर तीसरी योजना में आरम्भ की गई परियोजनाओं के विस्तार तथा उन को पूरा करने के लिये होगी । कुछ और मद भी हैं वे लगभग पूंजीगत तथा महत्व-पूर्ण उद्योग ही हैं ।

Shri Yashpal Singh : May I know the Russian assistance in terms of rupees for Steel and defence respectively ?

Shri B. R. Bhagat : Regarding Steel, I have said that discussions in respect of Bokaro Plant are in progress.

श्री रामनाथन चोटियार : क्या मैं जान सकता हूं कि हम ने चौथी योजना में अपेक्षित सहायता के प्रस्ताव रूस सरकार को दे दिये हैं और यदि हां तो उन में कितनी राशि मांगी गई है ।

श्री ब० रा० भगत : मास्कों में कई परियोजनाओं के बारे में बातचीत हुई थी । यह दल उन परि-योजनाओं के ब्यौरे की जांच करने आया है । जब इन परियोजनाओं को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही यह बताना सम्भव हो सकेगा कि कुल कितनी सहायता मिलेगी ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या हम ने बोकारो परियोजना की रिपोर्ट में इस प्रकार परिवर्तन का सुझाव दिया है जिस से हमारे देश की विशेष तथा मिश्रत इस्पात की अविलम्बनीय आवश्यकतायें अंशता पूरी हो सकेगी ?

श्री ब० रा० भगत : यह बताना अभी कठिन है क्योंकि ब्यौरे का अभी हिसाब लगाया जा रहा है ।

Shri Sarjoo Pandey : May I know whether it is also being considered to establish factories with Russian assistance for manufacturing small tractor?

Shri B. R. Bhagat : It is dificult to say anything about it.

श्री हेम बरुआ : प्रधान मंत्री की यात्रा के बाद मास्को में जो संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई थी उस में बताया गया था कि रूस भारत को आर्थिक सहायता देने को तैयार है । क्या मैं जान सकता हूं कि संयुक्त विज्ञप्ति के बाद रूस की सहायता की मात्रा तथा प्रतिरूप के बारे में कोई रुपरेखा तैयार की गई है?

श्री ब० रा० भगत : नहीं श्रीमान । अभी कोई रूप रेखा तैयार नहीं की गई है ।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत में रूस की सहायता से मिग विमानों के निर्माण तथा उन को आधुनिक बनाने की कोई योजना विचाराधीन है?

श्री ब० रा० भगत : यह योजना से बाहर है । यह कहना चाहिये यह चौथी योजना में नही है ।

Shri Ram Sewak Yadav : May I know whether Government is aware that a factory with Soviet assistance is being established in Varanasi for the manufacture of small tractors?

Shri B. R. Bhagat : That might be in the 3rd Plan.

Shri Rameshwaranand : May I know whether any assistance from Russia is also forthcoming for the manufacture of Atom Bomb?

Mr. Speaker : You complained so many times that your questions were not answered. But if you listen what the hon. Minister says you will not get opportunity for making complaint The hon. Minister has said that it has not yet been decided that for what projects this assistance will be utilized.

Shri Kashi Ram Gupta : May I know when the report based on the negotiations in progress would be presented to him?

Shri B. R. Bhagat : Detailed discussions are yet to be held. Our Finance Minister is also going to Russia. After that, I think the report will be prepared.

श्री म० रं० कृष्ण : क्या मैं जान सकता हूँ कि रूस की सहायता नई परियोजनायें चालू करने के लिये प्रयोग की जायेगी या चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिये प्रयोग की जायेगी ?

श्री ब० रा० भगत : दोनों के लिये ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूँ कि रूस, युगोस्लाविया, चैकोस्लोवाकिया और दूसरे सहायता करने वाले देशों का कोई सार्थ-संघ बनाने की संभावना है ?

श्री ब० रा० भगत : अभी नहीं ।

श्री स० न० चतुर्वेदी : क्या सोवियत सरकार से कोई बिना शर्त वाला ऋण मिलने की संभावना है ।

श्री ब० रा० भगत : वह गैर-परियोजना ऋण है ।

Shri R. S. Pandey : The discussions regarding Soviet assistance during Fourth Five Year Plan were held prior to this conflict. May I know whether any discussions will be held to fulfil the needs in view of conflict.

Shri B. R. Bhagat : At present discussion are going on and our Finance Minister is going there next week.

डा० सरोजिनी महिषी : तीसरी योजना में आरम्भ की गई परियोजनाओं को पूरा करने के लिये चौथी योजना में रूस से कितनी सहायता मिलने का अनुमान है?

श्री ब० रा० भगत : इस प्रश्न पर ब्यौरा बताया जाता है ।

Assistance to Military Hospitals

+

***37. Shri M. L. Dwivedi :**
Shri S. C. Samanta :
Shri S. N. Chaturvedi :
Shri Parashar :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) the details of the assistance given to the Military hospitals by her Ministry during the present Indo-Pak conflict;

(b) the facilities provided by the Ministry in the Civil Hospitals for the treatment of wounded soldiers and the steps taken or being taken for their expansion;

(c) whether civilians volunteered for rendering help to the wounded soldiers in hospitals; and

(d) if so, in what manner ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health (Shri P. S. Naskar) : (a) Wherever necessary all possible assistance was given to the Military Hospitals. It will not be in the public interest to disclose the details.

(b) Necessary steps have been, and are being taken for the expansion of civil hospitals. in case of need facilities for treatment of wounded soldiers have been, and would be provided in these hospitals.

(c) Yes.

(d) Civilian volunteers offered their blood for the wounded Jawans. Voluntary social workers also organised themselves for helping and assisting the nursing staff in the Military Hospitals.

Shri M. L. Dwivedi : I would like to know whether apart from the military hospitals Government has given assistant to civil hospitals for this purpose, if so, what has been done in this regard?

श्री पू० शे० नास्कर : सैनिक अधिकारियों को सब सम्भव सेवायें दी गयी थीं जिन में सिविल अस्पतालों में उपलब्ध सेवायें भी शामिल थी। जैसा मैंने पहले कहा, आप मेरे साथ सहमत होंगे कि ब्यौरा बताना उचित नहीं है।

Shri M. L. Dwivedi : I would like to know whether Government has made adequate provision for meeting future requirments of the military hospitals so that if any such contingency arises in future we shall be able to meet it properly.

श्री पू० शे० नास्कर : यह प्रश्न प्रतिरक्षा मन्त्रालय से किया जाना चाहिये।

Shri M. L. Dwivedi : About military hospitals.

Mr. Speaker : That comes under the perview of Ministry of Defence.

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : अम्बाला सैनिक अस्पताल के लोगों के पुनर्वास के लिये प्रतिरक्षा मन्त्रालय के अतिरिक्त स्वास्थ्य मन्त्रालय ने क्या विशेष प्रयास किये हैं?

श्री पू० शे० नास्कर : सभी सैनिक अस्पतालों की देखभाल प्रतिरक्षा मन्त्रालय ही करता है।

श्री शिवाजीराव शं. देशमुख : प्रतिरक्षा मन्त्रालय के अतिरिक्त स्वास्थ्य मन्त्रालय ने क्या विशेष प्रयास किये हैं।

श्री पू० शे० नास्कर : प्रतिरक्षा मन्त्रालय को आवश्यक सहायता दी जायेगी।

Shri Tulsi Das Jadhav : May I know whether it is a fact that 10 per cent cut has been ordered in the amount now being spent on the Civil hospitals?

श्री पू० शे० नास्कर : आपातकालीन स्थिति के लिये जो कुछ भी आवश्यक होगा, किया जायेगा।

श्री दी० चं० शर्मा : माननीय मन्त्री ने अच्छे वक्तव्य दिये हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि इस आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य मन्त्रालय ने सारे देश में सिविल अस्पतालों को क्या अतिरिक्त सहायता दी है और यदि सम्भव हो, तो सैनिक अस्पतालों को दी गई सहायता के बारे में भी बताया जाये? मुझे तथ्य चाहिये, केवल अच्छा उत्तर नहीं।

श्री पू० शे० नास्कर : सुरक्षा के कारणों से यह जानकारी नहीं दी जा सकती। यदि आप यह चाहते हैं कि मैं बता दूं ....

अध्यक्ष महोदय : इस का निर्णय मन्त्री महोदय ही कर सकते हैं।

श्री पू० शे० नास्कर : सभी सम्भव सहायता दी जाती है।

श्री दी० चं० शर्मा : सभी सम्भव सहायता का क्या अर्थ है।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते है कि जानकारी देना जनहित में नहीं है।

श्री बासप्पा : क्या कुछ असैनिक अस्पतालों में रोगियों की छुट्टी कर दी गई थी, ताकि सैनिक रोगियों के लिये स्थान खाली हो सके। ऐसे रोगियों की संख्या क्या है ?

श्री पू० शे नास्कर : यह ठीक है कि कुछ पुराने रोगियों को जिनकी घर पर ही चिकित्सा हो सकती थी, अस्पताल से छुट्टी कर दी गई थी परन्तु ऐसों को नहीं जिन्हें वहीं पर चिकित्सा की आवश्यकता थी। मेरे पास इन की संख्या नहीं है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know the quantum of medicines, the number of doctors and amount of money provided to Military hospitals?

श्री पू० शे० नास्कर : I do not have the information with me.

श्री दे० जी० नायक : क्या किसी गैर-सरकारी अस्पताल ने हमारे सैनिकों की चिकित्सा के लिए अपने डाक्टरों की सेवायें देने की पेशकश की थी? यदि हां, तो ऐसे अस्पतालों की संख्या क्या है ?

श्री पू० शे० नास्कर : सैनिक अधिकारियों को सभी अपेक्षित सहायता दी गई थी परन्तु मैं ब्यौरे नहीं दे सकता।

Income-tax Evasion by Businessmen

***38. Shri D. N.Tiwary :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that several businessmen are maintaining "open accounts" so that future readjustments could be made with a view to evade income-tax or to delay the payment thereof; and

(b) if so, the measures being adopted by Government to check this malpractice?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Rameshwar Sahu) : (a) Businessmen do not c e accounts on the last day of accounting year but keep them open to evaluate t ist balance and adjust their liabilities. The Department is not aware that this pactice can be adopted.

(b) The following measures were taken to avoid loss of revenue by keeping the accounts open :—

(1) the use of powers of entering business houses and marking of current books ;

(2) scrutiny of accounts keeping in view, last entries and entries made afterwards ;

(3) the use of provisions regarding punishments under Income tax Act.

Shri D. N. Tiwary : The hon. Minister has said that action is taken against tax evaders. I want to konw the number of such cases during 1964-65 and the total amount involved in this?

Shri Rameshwar Sahu : I would like to have a separate notice for that.

Shri D. N. Tiwary : Is the Government aware that big businessmen maintain double or triple books in order to dupe income tax authorities and the amount of tax involved?

Shri B. R. Bhagat : That was not the question. The question was that they keep their books open even after the closing date and take undue advantage. Income tax officers have got powers to check the books and if anything wrong detected he may start prosecutions in regard thereto. The other thing is that we check all entries made after the closing date and detect the conceled things.

Shri R. S. Pandey : Has the attention of the hon. Minister of Finance been drawn to the fact that some businessmen sell their portion of profit at a loss to evade income-tax? What steps are being taken by Government in this direction ?

Shri B. R. Bhagat : As I said if entries are made after the closing of account, the Income-tax officer can take action against that.

Shri Yashpal Singh : It was stated here that an amount of about 8 hundred crores of rupees of income-tax is in arrears. I want to know whether this figure has gone up and has come down in the meantime?

Mr. Speaker : It is only about the accounts being kept open.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या माननीय मंत्री के ध्यान में यह आया है कि कानपुर की एक फर्म ने दोहरे खाते खोलकर 50 लाख रुपये का व्यापार किया और हाल में आयकर अधिकारियों ने उसे निकाला है। मैं जानना चाहता हूं कि कानपुर के कितने व्यापारी दोहरी खाता पुस्तके रखे हुए हैं ...

अध्यक्ष महोदय : दोहरी पुस्तकों का इस समय प्रश्न नहीं है।

Shri Rameshwaranand : Is the Minister aware that Government officials have entered into some understanding with businessmen and they get bribe on monthly basis. Have they taken some step against corrupt Inspectors ?

Shri B. R. Bhagat : Action will be taken against those Government officials who indulge in such activities.

श्रीमती सावित्री निगम : माननीय उपमंत्री ने कहा है कि गड़बडी को रोकने के लिये कार्यवाही की गई है। क्या इस स स्थिति में कोई सुधार हुआ है?

श्री ब० रा० भगत : यह निरन्तर रहने वाली समस्या है। हम विचार करते रहते है और कोशिश करते है कि यह समाप्त हो जाये।

दिल्ली मे नेताओं की मूर्तियां स्थापित करना

*40 **श्री हरि विष्णु कामत :** **श्री बागड़ी :**

श्री राम सेवक यादव : **श्री दी० चं० शर्मा :**

श्री मधु लिमये :

क्या **निर्माण** और **आवास** मंत्री दिल्ली में नेताओं की मूर्तियां स्थापित करने सम्बन्धी 19 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 92 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समिति ने इस बीच इस मामले पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

निर्माण तथा आवास मंत्री (श्री मेहरचंद खन्ना) : (क) और (ख) : दिल्ली में मूर्तियों (स्टैचयूज़) की स्थापना के लिए समिति की पहिली बैठक 25 सितम्बर 1965 को हुई थी। राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियों के लिए संभावित स्थान सुझाने के लिए एक उप-समिति स्थापित की गयी थी। उप-समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, इस समिति की अगली बैठक में जो कि 6 नवम्बर 1965 को होने वाली है, इस पर विचार किया जायेगा।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं मंत्री महोदय को उनका पिछले सत्र का आश्वासन याद दिलाता हूं। उन्होंने कहा था कि इस महत्वपूर्ण समिति में केवल कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं बल्कि प्रतिपक्षवालों के भी सदस्य होंगे। इस समिति में दो कांग्रेसी संसद-सदस्य तथा एक निर्दलीय सदस्य लिया गया है और प्रतिपक्ष में से कोई सदस्य क्यों नहीं लिया गया ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : समिति मे आठ-दस सदस्य है .... **(अन्तर्बाधायें)**। उनमें तीन संसद-सदस्य हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि प्रतिपक्ष के मान्यक-प्राप्त दलों से कोई सदस्य क्यों नही लिया गया।

श्री मेहरचन्द खन्ना : मैंने संसद कार्य मंत्री को सलाह के लिये लिखा था.. **(अन्तर्बाधायें)**। उनके द्वारा सुझाये गये तीन सदस्यों को ले लिया गया है।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं आप को याद दिलाऊं कि आप जब संसद-भवन मे मूर्तियों के लिये समिति बनाते है तो प्रतिपक्ष वालों को उसमें ले ते है परन्तु इस सम्बन्ध में सरकार का रवैया बिल्कुल भिन्न है। इन्होने संसदीय शिष्टाचार के विरूद्ध कार्य किया है क्योंकि समिति में प्रतिपक्ष का एक भी सदस्य नहीं लिया गया। ऐसा क्यों किया गया है? मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने अधिकारों का प्रयोग करे। उन्होंने अपनी कही हुई बात पुरी नहीं की ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे ऐसा कोई अधिकार नही है ? मैं तो सभा से अधिकार पाता हूं।

श्री हरि विष्णु कामत : उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की।

श्री मेहरचन्द खन्ना : मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने जो किया है ठीक किया है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ कहना ठीक नहीं लगता। क्योंकि प्रधान मंत्री यहां पर उपस्थित है। मेरी प्रार्थना है कि जब संसत्सदस्यों को समिति में लिया जाना हो तो मेरे से सलाह होनी चाहिये। नहीं तो मुश्किलें खडी हो जाती है। मैं नहीं कहता कि वे मेरा कहा माने।

श्री हेम बरुआ : उन्हे अवश्य मानना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं उस समय कुछ सुझाव दे सकता हूं। मेरे पास जानकारी रहती है कि किन किन समितियों या आयोगों के संसद-सदस्य पहले ही सदस्य हैं। इस लिये मुझे से पहले सलाह ली जानी चाहिये।

श्री हरि विष्णु कामत : उन्हे समिति फिर से बनानी चाहिये ।

श्री हनुमन्तैया : आप ने जो विचार व्यक्त किये हैं उन के अनुसार विचित्र स्थिति उत्पन्न हो सकती है । अध्यक्ष को सभी विवाद से ऊपर होना चाहिये । कल को यदि आप के अनुमोदन से समिति बना दी जाती है तो आप की भी आलोचना हो सकती है । श्री कामत कह सकते है कि मंत्री ने धोखा दिया है । हमें कोई आपत्ति नहीं है । कल को आप को भी ऐसा कहा जा सकता है । क्या यह ठीक होगा... **(अन्तर्बाधायें)** मुझे अपनी बात कहने दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : जब मैं खडा होता हूं तो उन को बैठ जाना चाहिये । मैं उन्हें आज्ञा दे सकता हुं । उनका यह रवैया ठीक नहीं । जब मै खड़ा हूं और आप कहते है मुझे अपनी बात कहने दी जाये । अब आप कह सकते है ।

श्री हनुमन्तैया : मुझे अन्तरसंसदीय युनियन और राष्ट्रमंडल संसदीय युनियन के लिये चुने जाने वाले प्रतिनिधिमंडलों के बारे में बहुत कुछ कहना है । इससे आप सम्बन्धित हैं । मैं इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहता । इन विषयों पर मैं आप से व्यक्तिगत रूप से बात कर सकता हूं । परन्तु मैं यह नहीं चाहता कि अध्यक्ष सरकारी समितियों के लिये नामों का सुझाव दे ।

Mr. Speaker : Shri Hanumanthaiya has given suggestions. It is upto me to accept it or not.

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : हम आप के कहे पर विचार करेंगे और बात करेंगे । हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं परन्तु बातचीत के बाद निर्णय होगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : आप के कहने के अनुसार समिति का पुनर्गठन हो ।

Shri Hukam Chand Kachhvaiya : I request that the committee should be reconstituted and your discussion should be abeyed.

Mr. Speaker : It is a different matter.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

"विकास दल"

***41. श्री विश्वनाथ पाण्डये :**

श्री श्रीनारायण दास :

क्या **योजना** मंत्री विकास दल के बारे में 9 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 529 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गांवों में तेजी से विकास कार्य करने हेतु एक विकास दर बनाने की योजना इस बीच तैयार कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक बन जाने की सम्भावना है; और

(ग) योजना पर कुल कितना खर्च आयेगा ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : यह योजना अभी विचाराधीन है, और इसका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Raids by Income-tax Offcers on Shops in Delhi

***42. Shri Ram Sewak Yadav : Shri Rameshwar Tantia:**
Shri Madhu Limaye : Shri Himatsingka :
Shri Bagri :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Income-tax Officers recently raided some firms in Sadar Bazar area of Delhi in the month of September, 1965 ;

(b) if so, whether it has been revealed from their ledgers that they have been evading tax to a great extent ;

(c) whether Government have estimated the extent of tax evasion; and

(d) the steps taken to realise it ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Rameshwar Sahu) : (a) No, Sir.

(b), (c) & (d). Do not arise.

राजस्थान नहर परियोजना

*** 43. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : श्री हेम राज :**
श्री ओंकारलाल बेरवा : श्री यशपाल सिंह :
श्री घुलेश्वर मीना : श्री कपूर सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान नहर परियोजना को कार्यान्वित करने का सीधा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने का अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके नियंत्रण के लिये प्रशासनिक तथा वित्तीय व्यवस्था क्या होगी ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) जी, नहीं।

(ख) राजस्थान सरकार से सलाह मशविरा करते हुए इन बातों पर अभी विचार हो रहा है।

विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की बैठक

***44. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री प्र० चं० बरुआ : श्री दे० द० पुरी :
श्री रामेश्वर टांटिया : श्री यशपाल सिंह :
श्री हिम्मतसिंहका : श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की वार्षिक बैठक का अधिवेशन वाशिंग्टन में हुआ था और उसमें यह निर्णय किया गया था कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था की भावी आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जाये तथा इसके संसाधनों का पुनर्भरण किया जाये ;

(ख) क्या ऋणी देशों ने ऋण सेवा प्रभार के बढ़ते हुए भार पर चिन्ता व्यक्त की है;

(ग) क्या वर्तमान मुद्रा प्रणाली में सुधार करने के लिये कोई समझौता हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो प्रमुख औद्योगिक देशों को किस प्रकार के सुधार स्वीकार्य हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : जी, हां।

(ग) और (घ) : अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि (इण्टरनेशनल मौनेटरी फण्ड) और अन्य संस्थाओं में, वर्तमान मुद्रा प्रणाली में सुधार करने के प्रश्न की और अधिक समीक्षा और विचार-विमर्श किया जायगा। जब तक यह समीक्षा और विचार-विमर्श पूरा नहीं हो जाता तब तक कोई सुधार करने के सम्बन्ध में समझौता होने या कुछ देशों के समूह को स्वीकार्य सुधार के तरीके की बात कहना ठीक न होगा।

खर्च में कमी करना और आर्थिक व्यवस्था का पुनर्गठन करना

***45. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री हेम राज :
श्री वारियर :
श्री दाजी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तानी आक्रमण के सन्दर्भ में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के सभी क्षेत्रों में खर्च में कमी करने के लिये और देश की आर्थिक व्यवस्था के पुनर्गठन के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : सभा-पटल पर एक विवरण रखा है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-5053/65।**]

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की मांगें

***46. श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **वित्त** मन्त्री 8 अप्रैल, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 799 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने जीवन बीमा एजेंट संघ की मांगों पर उचित रूप में विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इन पर क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) क्या संघ ने कोई और अभ्यावेदन अथवा स्मरण-पत्र भेजे हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : मामला अभी तक जीवन बीमा निगम के विचाराधिन है।

(ग) जीवन बीमा एजेंट संघ की ओर से जुलाई 1965 में निगम को एक स्मरण-पत्र प्राप्त हुआ था और उन को निगम द्वारा सूचित कर दिया गया था कि मामला विचाराधीन है।

डाक बचत बैंक विनियम को ढीला करना

***47. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक बचत बैंक विनियम में जो छूट दी गई थी और जिसकी घोषणा सभा में 25 मार्च, 1965 को की गई थी, क्या इसमें बाद में कुछ परिवर्तन किया गया था और पहली अप्रैल, 1965 से ब्याज की जो सीमाएं हटाई गई थीं, उनको पहली जुलाई, 1965 से फिर लागू कर दिया गया था;

(ख) आदेशों के प्रख्यापन के तीन महीने बाद ही उन्हें वापस लेने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस नए निश्चय के बारे में संसद को बताया गया था और यदि हां, तो कब ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां । केवल वहीं तक जहां तक उसका सम्बन्ध जमा रकमों की सीमाएं फिर से लागू करने से है ।

(ख) जमा रकमों की सीमाएं इसलिए फिर से लागू कर दी गयीं कि ऐसी आशंका थी कि दूसरे प्रकार के निवेशों की रकमें बहुत बड़े पैमाने पर डाकघर बचत बैंकों में जाने लगेंगी क्योंकि वहां जमा की गयी रकमों के ब्याज पर कर नहीं लगता और इससे सरकार को राजस्व की हानि होगी । फिर भी, नयी सीमाएं पहले से अधिक हैं एक व्यक्ति के खाते के लिए 25,000 रुपये और दो व्यक्तियों के संयुक्त खाते के लिए 50,000 रुपये जबकि पहले की सीमाएं क्रमश: 15,000 रुपये और 50,000 रुपये थीं ।

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना 19 अगस्त, 1965 को सभा की मेज पर रख दी गयी थी ।

Malpractices in Companies Affairs

***48. Shri Madhu Limaye :**
Shri Bagri :

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 687 on the 16th September, 1965 and state :

(a) whether his attention has been drawn to certain letters from the employees of M/s. Duncan Stratton & Co. Ltd. published in the daily 'Maratha' of Bombay of the 18th and 20th August regarding the interference in the affairs of this company by Shri Hari Das Mundhra, while he was in jail ; and

(b) if so, the action being taken by Government to safeguard the interests of the company and its shareholders ?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : (a) Yes.

(b) While Shri Mundhra is debarred from acting as Director of a company for a period of five years from the date of expiry of his sentence, there is nothing in law to prevent his taking an interest in the company otherwise. The affairs of M/s. Duncan Stratton & Co. Ltd. are, however, being actively scrutinised by the Company Law Board to ascertain if the interests of the company or its shareholders are being or are likely to be prejudiced by any action taken by Shri Haridas Mundhra or otherwise.

Power Supply in Rajasthan and Madhya Pradesh

***49. Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the supply of electricity to Rajasthan and Madhya Pradesh will be cut short this year also because of the shortage of water in the Gandhi Sagar reservoir ;

(b) if so, the extent thereof ;

(c) the steps Government propose to take in order to make up the supply and

(d) the losses likely to be sustained in Rajasthan due to the short supply of electricity ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) & (b). In view of the critical situation on account of water shortage in the Gandhisagar Reservoir this year, the power generation programme in the Gandhisagar Power Station was reviewed recently and it was decided that the following programme of generation should be adopted :—

(i) 1-11-1965 to 31-3-1966 . . .	2·5 lakhs kWh generation per day.
(ii) 1-4-1966 to the onset of Monsoon . . .	1·0 lakh kWh generation per day.

The above power generated is to be shared equally by Madhya Pradesh and Rajasthan. The State Governments have been advised accordingly.

(c) The following steps have been taken in hand, on a high priority basis, to augment the power supply situation in the Chambal area:—

(1) Construction of the 220 KV power transmission line from Jabalpur to Itarsi so that the surplus power from the Amarkantak Thermal Power Station in Madhya Pradesh could be transmitted to Rajasthan. This line is expected to be commissioned by March, 1966.

(2) Two 10 MW sets are being obtained from the Mysore State Electricity Board for installation at Kotah in Rajasthan. This power station is expected to be commissioned about December, 1965. Each of the 10 MW Gas Turbine Unit would be capable of generating 1·5 lakh kWh per day.

(d) The direct loss of revenue on account of the power cut is about Rs. 1·25 crore per annum. This is in addition to the losses due to reduced output by industries affected by the power cut.

ब्लड बैंक

*50. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्लड बैंक में खून रखने की सुविधाओं की कमी के कारण हाल में खून देने वाले बहुत से व्यक्तियों को खून देने की सुविधाएं नहीं दी गई; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) और (ख) : राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों से सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायगी ।

प्रबन्धक एजेंसी आवेदनपत्र

*51. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि प्रबन्धक एजेंसियों को जारी रखने के लिये बड़ी संख्या में उपक्रमों के आवेदन पत्र नहीं लिये जायेंगे ।

(ख) यदि हां, उक्त निर्णय के पश्चात् प्रबन्धक एजेंसियों के नवीकरण के लिये कितने आवेदन पत्र रद्द किये गये हैं ;

(ग) क्या व्यापार और उद्योग ने इस पर आपत्ति की है; और

(घ) यदि हां, तो क्या आपत्ति की गई और इन आपत्तियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 326 के अधीन समवाय विधि बोर्ड द्वारा प्रबन्धक एजेन्सी की अवधि के नवीयन करने के प्रत्येक आवेदन-पत्र पर उसके गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाता है। जैसा कि उस धारा में व्यवस्था है, उन समवायों को अपने प्रबन्धक एजेन्सी के करारों को समाप्त करने का आदेश दिया जाता है जहां पर उस धारा की उप-धारा (2) में उल्लिखित बातों के आधार पर समवाय विधि बोर्ड सन्तुष्ट नहीं होता। 1964-65 और 1965-66 (30-10-65 तक) प्रबन्धक एजेन्सी के करारों के नवीयन के कुल 98 आवेदन-पत्र अस्वीकृत किये गये और विभिन्न अवधियों के लिये—पर सामान्यत: एक वर्ष से अधिक नहीं, 523 मामलों में स्वीकृति प्रदान की गई। 12 आवेदन-पत्र वापस ले लिए गए और 13 आवेदन-पत्र 30-10-65 तक अनिर्णीत अवस्था में थे।

(ग) और (घ) : वैयक्तिक मामलों पर किए गए फैसलों के विरूद्ध व्यापार तथा उद्योग वर्ग की ओर से कोई विरोध नहीं पाया गया। फिर भी, कुछ वाणिज्य मंडलों ने प्रबन्धन एजेन्सी की प्रणाली के सामान्य प्रश्न पर अपने विचारों को व्यक्त करते हुए अभिवेदन भेजें। वैयक्तिक समवायों की ओर से भी अपने मामलों में किए गए फैसलों के प्रति विरोध-पत्र प्राप्त हुए। ऐसे विरोध-पत्रों पर व्यापक रूप से विचार किया गया, और उपयुक्त मामलों में समवायों को आवश्यक समायोजन कर सकने के हेतु उन द्वारा व्यक्त की गई कठिनाइयोंको दृष्टि में रखते हुए, पूर्व के आदेशों में परिवर्तन कर दिए गए।

दिल्ली की पानी समस्या सम्बन्धी समिति

*52. **श्री बासप्पा :**
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या दिल्ली में पानी की कमी की पुरानी समस्या का अध्ययन करने तथा उसे हल करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति स्थापित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन हैं तथा उसके निर्देश पद क्या हैं? और

(ग) इसके द्वारा कब तक प्रतिवेदन देने की संभावना है ?

स्वास्थ्य मंत्रालयमें उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) और (ख) : जी हां। दिल्ली की जल-पूर्ति समस्याओं का अध्ययन करने तथा उन्हे हल करने एवं कार्यान्वित करने के लिए ठोस प्रस्ताव तयार करने के लिए भारत सरकार के सचिवों की एक अनौपचारिक समिति नियुक्त की गई है।

इस समिति में निम्नलिखित अधिकारी हैं :—

(1) मंत्री मण्डल सचिव
(2) प्रधान मंत्री के सचिव
(3) सचिव, सिंचाई एवं बिजली मंत्रालय
(4) सचिव, गृह मंत्रालय
(5) सचिव, निर्माण एवं आवास मंत्रालय
(6) सचिव, संघ क्षेत्र गृह मंत्रालय
(7) सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय
(8) आयुक्त, दिल्ली नगर निगम

आवश्यकता पड़ने पर समिति के विचार-विमर्श में अन्य अधिकारियों को आमन्त्रित किया जा सकता है ।

(ग) यह समिति एक स्थायी निकाय है अतः रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की किश्त के भुगतान को मुल्तवी करना

*55. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० के० देव :
श्री सोलंकी :
श्री कपूर सिंह :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से इस मास की किश्त के भुगतान की मुल्तवी करने की प्रार्थना की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को दी जाने वाली किश्त की राशि कितनी है; और

(घ) भारत इस किश्त का कब तक भुगतान कर सकेगा ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (घ) : 250 लाख डालर की जो किस्त 30 सितम्बर, 1965 को चुकायी जानी थी, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि ने उसकी अदायगी स्थगित करने के लिए स्वीकृती दे दी है। किस्तों में अदायगी करना निधि और भारत की आपसी बात है, बशर्ते कि सारी रकम निश्चित अवधि के अन्दर, अर्थात् 31 जुलाई, 1966 तक अदा कर दी जाय।

नर्मदा नदी परियोजना सम्बन्धी खोसला समिति

*56. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री विद्याचरण शुक्ल :
डा० चंद्रभान सिंह :
श्री पाराशर :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री वाडीवा :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री ज्वा०प्र० ज्योतिषी :
श्री दाजी :

क्या **सिंचाई** तथा **विद्युत्** मंत्री नर्मदा नदी परियोजना सम्बन्धी खोसला समिति के प्रतिवेदन के बारे में 16 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 679 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समिति की सिफारिशों तथा प्रस्तावों पर सरकार ने विचार कर लिया है;

(ख) क्या उन पर संबंधित राज्य सरकारों की राय प्राप्त हो गई हैं;

(ग) यदि हां, तो वे संक्षेप में क्या हैं; और

(घ) इन सिफारिशों तथा प्रस्तावों पर, यदि कोई निर्णय किया गया है, तो वह क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (श्री कु० ल० राव) : (क) और (ख) : सम्बन्धित राज्य सरकारों के विचारों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Rise in Prices

*57. **Shri Ram Sewak Yadav :**
Shri Madhu Limaye :
Shri Bagri :
Dr. L. M. Singhvi :
Shri Karni Singhji :
Dr. Ranen Sen :
Shri Dinen Bhattacharya :
Shri P. K. Deo :
Shri Yashpal Singh :
Shri Kapur Singh :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that there was an abnormal increase in the prices of certain essential commodities soon after the Pakistani aggression;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps being taken by Government to maintain a proper level of prices ?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : (a) & (b). While an occasional spurt in prices of certain articles at a few centres occurred due to sudden local pressures of demand or difficulties of transportation; no abnormal increase in prices took place, considering the situation as a whole.

(c) Government has initiated a drive for increasing food production and securing equitable distribution. Fiscal and monetary policies also continue to be employed for maintaining a proper level of prices.

सिंचाई योजनायें

*58. **श्री मधु लिमये :**
श्री बागड़ी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री मुहम्मद कोया :
श्री रामपुरे :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री योगेन्द्र झा :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य स्थिति की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने कोई क्रैश प्रोग्राम तैयार किया है जिससे अधिक महत्वपूर्ण और लाभदायक सिंचाई योजनाओं को तेजी से पूरा किया जा सके और वर्तमान सिंचाई क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) तथा (ख) : उन बृहत सिंचाई स्कीमों को जो निर्माण की प्रौढावस्था में हैं और/अथवा जिन से शीघ्र लाभ होने की संभावना है, छांट कर एकाग्रचित से कार्यान्वित करने की एक स्कीम पर विचार हो रहा है। राज्यों से पहले ही आग्रह किया गया है कि वे सिंचाई परियोजनाओं से उत्पन्न क्षमता को पूर्णतः उपयोग में लाएं।

सिंचाई व बिजली मंत्रालय के प्रवर अधिकारियों ने हाल ही में महत्वपूर्ण परियोजनाओं का दौरा किया था और अवशिष्ट क्षमता के शीघ्र उपयोग को सुनिश्चित करने के सुझाव दिये थे। इस के अतिरिक्त उन्होंने यह भी बताया है कि रबी फसल की बुवाई के लिये वर्तमान जल संसाधनों को किस प्रकार उत्तम रूप से उपयोग में लाया जाए।

गैर-सरकारी बिजलीघरों को सरकार द्वारा अपने अधिकार में लेना

*59. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री राम हरख यादव :
श्री रा० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश के गैर-सरकारी बिजलीघरों को अपने अधिकार में लेने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकारों से अकुशल तथा छोटे गैरसरकारी इकाईयों को ले लेने के लिये कहा गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (घ) : कई छोटे गैर-सरकारी बिजली उपक्रमों का चालन अमितव्ययी, अकुशल और असंतोषजनक पाया गया है। उन के पास पुराने सयंत्र हैं और वे नये युग के अनुकूल नहीं हैं और उन से उत्पन्न हुई बिजली को लागत साधारणतः अधिक है। उन में से कुछ एक के वित्तीय संसाधन बहुत ही सीमित हैं और वे संयंत्र तथा वितरण प्रणालियों के रख-रखाव विस्तार तथा उनकी क्षति पूर्ति के काम में कोताही कर रहे हैं। इस लिये इस प्रकार के उपक्रमों द्वारा सेवित क्षेत्रों के लोग दुःखी है। समन्वित तथा समाकलित प्रचालन की वर्तमान प्रवृत्ति के अधीन जब कि केवल बड़े और मितव्ययी उत्पादन यूनिटों का प्रयोग किया जा रहा है, ऐसे छोटे और अकुशल बिजली संभरण उपक्रम अपना स्थान खो चुके हैं। इसलिये यह लोक हित में होगा यदि राज्य बिजली बोर्डों के साथ समाकलन के लिये इस प्रकार के छोटे तथा अकुशल उपक्रमों को सरकार अपने अधिकार में ले लें। चूंकि बोर्ड गैरसरकारी लाइसेंसदारों की अपेक्षा बृहतर संगठन होते हैं, और उन के वित्तीय तथा तकनीकी संसाधन अधिकतर होते हैं, इस लिये वे बिजली की सप्लाई को सुधारने और विस्तृततर क्षेत्र में बिजली देने में समर्थ होंगे। इस लिये ऐसे उपक्रमों के अभिग्रहण में राज्य सरकारों को अधिकार देने के लिये भारत बिजली कानून, 1910 की धाराओं 4(1) और 4(2) में उचित संशोधन करने का विचार है। राज्य सरकारों को अभी तक यह सलाह नहीं दी गई है कि वे ऐसे अकुशल उपक्रमों को साधारण नीति के तौर पर अपने हाथ में ले लें।

Cheap Hotels in Delhi

76. Shri Bagri :
Shri Madhu Limaye :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Works** and **Housing** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of cheap hotels in Delhi is very small ; and

(b) if so, whether Government propose to establish some hotels in the public sector for providing boarding and lodging to the tourists at cheap rates ?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) and (b). It is true that there is a great shortage of all classes of hotel accommodation in Delhi. In order to meet the demands of different classes of tourists, both Indian and foreign, three hotels have already been set up in the public sector in Delhi—Ashoka, Janpath and Lodi. Another hotel on Minto Road to be called Ranjit Hotel will be opened on the 7th November, 1965. The last two will be comparatively cheaper.

लाइसेंसधारी चिकित्सक (मेडिकल लाइसेंशिएट) पाठ्यक्रम

77. **श्री किशन पटनायक :**

श्री मधु लिमये :

श्री बागड़ी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ स्थानों पर लाइसेंसधारी चिकित्सक (मेडिकल लाइसेंशिएट) पाठ्यक्रम पुनः आरम्भ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों पर; और

(ग) क्या भारतीय चिकित्सा संस्था ने इस निर्णय का विरोध किया है?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) और (ख) : देश में मेडिकल लाइसेंशियट कोर्स फिर से चलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं। उपलब्ध सूचना के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में ऐसा एक कोर्स चलाने का निश्चय किया है।

(ग) इण्डियन मेडिकल एसोसियशन ऐसा कोर्स फिर से चलाने के विरुद्ध है।

गोआ में पंजीबद्ध "पोर कोटा" समितियां

78. **श्री मधु लिमये :**

श्री बागड़ी :

क्या **वित्त** मंत्री समवाय अधिनियम के अन्तर्गत समवाय अधिनियम, 1956 के कार्य-संचालन तथा प्रशासन के संबंध में प्रस्तुत नवें वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ट 3 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ में समवाय अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध मानी गई "पोर कोटा" समितियों में से कितनी समितियां खनन, औद्योगिक तथा व्यापारिक समवाय हैं; और

(ख) इन समितियों में से प्रत्येक की अधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी कितनी-कितनी है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन अभी तक 21 "पोर कोटा" समितियां निजी समवायों के रूप में पंजीबद्ध हो चुकी हैं। इन में से 6 खनन, दूसरी 6 औद्योगिक, तीन व्यापारिक, पांच परिवहन और शेष एक निर्माण तथा उपयोगी कार्यों के समवाय हैं।

(ख) इन 21 "पोर कोटा" समितियों की पंजीयन की तिथि मुख्य प्रयोजन और अधीकृत पूंजी सम्बन्धी विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-5056/65।**] 3 समवायों की प्रदत्त पूंजी के बारे में आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। यह सूचना इन समवायों की पंजीयन की तिथियों से 1 वर्ष और 9 मास की अवधि के भीतर इन द्वारा स्थिति विवरणों के प्रस्तुत कर देने पर ही उपलब्ध होगी।

सिंचाई सुविधाओं का उपयोग

79. **श्री बागड़ी :**
श्री मधु लिमये :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने तीन पंच-वर्षीय योजनाओं के दौरान निर्माण की गई सिंचाई सुविधाओं के प्रभावी उपयोग के सम्बन्ध में कोई तुलनात्मक अध्ययन किया है;

(ख) सिंचाई सुविधाओं के निर्माण और उन के उपयोग के बीच इतना बड़ा अन्तर होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस अन्तर को मिटाने के लिये और विद्यमान सुविधाओं का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां। 145 लाख एकड़ की उत्पन्न क्षमता में से 130.1 लाख एकड़ को मार्च, 1965 तक उपयोग में लाया गया है।

(ख) तथा (ग) : अन्तर बहुत नहीं है। परन्तु इस थोड़े से अन्तर को भी न्यूनतम करने के लिये राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई है कि वे किसानों को ऋण सुविधाएं, उन्नत बीज, खाद, कीटनाशक दवाईयां, मण्डियों तक उत्कृष्ट परिवहन सेवाएं देने के लिये तथा सिंचाई और शस्य आयोजन जैसे कृषि उत्पादन के वैज्ञानिक तरीकों के प्रति उनका मार्गदर्शन करने के लिये क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को अपने हाथ में लें। सिंचाई विभागों से भी प्रार्थना की गई है कि वे उन क्षेत्रों में जहां किसान देरी करें 2 क्यूसेक तक के जल मार्गों को बनाएं और क्षेत्रीय नालियां खोदें। कुछ राज्यों में अनिवार्य सिंचाई शुल्क लगाया जा रहा है। कुछ राज्यों ने पानी के 'प्रोमोशनल' दर निर्धारित किये हैं। ज्यूंही पानी उपलब्ध हो त्यूंही उस को प्रयोग में लाने के लिये किसानों को सर्व प्रकारेण प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

बम्बई में सोने का पकड़ा जाना

80. **श्री कोल्ला वेंकैया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा-शुल्क अधिकारियों ने अक्तूबर, 1965 के पहले सप्ताह में बम्बई में बहुत सी तलाशियां लीं और करेंसी नोट तथा बहुत बड़ी मात्रा में सोने की छड़ें पकड़ीं, जिन पर विदेशी मुद्रा अंकित थी;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में सोना पकड़ा गया और कितने करेंसी नोट पकड़े गये;

(ग) किन-किन स्थानों से सोना और करेंसी नोट पकड़े गये; और

(घ) सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग) : बम्बई सीमा-शुल्क के अधिकारियों ने 4 अक्तूबर, 1965 को बम्बई में ज़करिया मसजिद स्ट्रीट पर स्थित मैनन चैम्बर्स बिल्डिंग की तीसरी मंजिल के कमरा नम्बर 10 से निम्नलिखित सामान पकड़ा :—

(i) दस-दस तोले वाली विदेशी मार्का की सोने की 600 छड़ें,
(ii) कुल 8,48,080 रुपये मूल्य के विभिन्न मूल्य-वर्ग के भारतीय मुद्रा नोट, तथा
(iii) स्थानीय बाजार भाव के हिसाब से लगभग 30,000 रुपये के मूल्य की 200 कलाई घड़ियां।

(घ) 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच-पड़ताल जारी है।

एर्णाकुलम् तथा कोचीन नगरों का वर्गीकरण

81. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की ओर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि एर्णाकुलम् तथा कोचीन नगरों को 'क' श्रेणी के क्षेत्र माना जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां। इस बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।

(ख) इस समय केवल 16 लाख से अधिक की आबादी वाले नगरों को ही, प्रतिकर भत्ते के प्रयोजन के लिए, 'क' श्रेणी में रखा गया है। कोचीन और एर्णाकुलम् नगरों की आबादी इतनी नहीं है कि उन्हें 'ग' श्रेणी से ऊपर की श्रेणी में रखा जा सके।

चिकित्सा कालिजों सम्बधी आयोग

82. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना अवधि के दौरान चिकित्सा कालेजों के विस्तार की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिये स्थापित किये गये आयोग ने केरल का भी दौरा किया है;

(ख) क्या आयोग ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ग) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं?

स्वास्थ्य मंत्रालय मे उप-मंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) चौथी योजना में मेडिकल कालेजों के लिए कितनी गुंजाइस है इसका अध्ययन करने के लिए भारत सरकार ने कोई कमीशन नियुक्त नहीं किया है तथापि वर्तमान मेडिकल कालेजों के और आगे विस्तार की सम्भावनाओं की जांच करने के लिए देश के विभिन्न भागों में स्थित मेडिकल कालेजों का निरीक्षण करने के लिए भारत सरकार ने दो दो चिकित्सा विशेषज्ञो के कुछ दल नियुक्त किए हैं दक्षिणी क्षेत्र के दल ने केरल के कालेजों का दौरा किया।

(ख) और (ग) : सरकार द्वारा अभी कोई रिपोर्ट नहीं निकाली गई है।

केरल में चिकित्सा कालिज

83. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिपुनीतुरा प्रिंसिज एसोसिएशन की ओर से एक अभ्यावेदन प्राप्त है, जिसमें उन्होंने एक चिकित्सा कॉलेज खोलने की अनुमति मांगी है;

(ख) क्या सरकार को त्रिचूर में चिकित्सा कॉलेज खोलने के सम्बन्ध में भी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय मे उप-मंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) केरल सरकार को कोचीन के रजवाडों से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है उसपर विचार हो रहा है।

(ख) सरकार को ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ग) केरल मे पहले ही चार ऐसे कालेज हैं और चौथी योजना में पांचवां कालेज खोलने की सम्भावना नहीं है। फिर भी कोचनी प्रिंसिज से प्राप्त हुए अभ्यावेदन पर विचार किया जा रहा है।

पाजहास्सी सिंचाई परियोजना

84. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में पाजहास्सी सिंचाई परियोजना कन्नानूर द्वारा कितने एकड़ भूमि की सिंचाई होने की सम्भावना है;

(ख) इस योजना के लिये कुल कितनी राशि मंजूर की गई है; और

(ग) अब तक कितनी राशि खर्च हुई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जब यह योजनापूर्ण हो जाएगी इससे 70,000 एकड़ भूमि की सिंचाई की जाएगी ।

(ख) परियोजना की अनुमित लागत 442 लाख रुपये है ।

(ग) 1964-65 के अन्त कुल 12.49 लाख रुपये व्यय हुए ।

राज्यों द्वारा रिजर्व बैंक से अपनी राशि से अधिक राशि का निकाला जाना

85. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन राज्यों ने भारत के रिजर्व बैंक से अपनी राशि से अधिक राशि निकाली है, और 31 अक्तूबर, 1965 तक उन्होंने क्रमश: कितनी-कितनी अधिक राशि निकाली है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : समझौतों की शर्तों के अनुसार राज्य सरकारों के लिये रिजर्व बैंक उनके बैंक के रूप में कार्य करता है। उनके बीच हुए सौदों को बताया नहीं जा सकता।

हैजा वैक्सीन

86. **श्री कृष्णदेव त्रिपाठी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, संचारी रोग संस्था और कलकत्ता नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से कलकत्ते में किये गये सर्वेक्षण से यह निष्कर्ष निकला है कि हैजे का टीका (वैक्सीन) निवारक उपचार के रूप में प्राय: निष्प्रभाव सिद्ध हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो हैजे का प्रभावकारी टीका तैयार करने के लिये क्या उपाय किये गये है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता नगर निगम तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन मिलकर परीक्षण कर रहे हैं । ये अध्ययन दिसम्बर 1965 तक पूरे हो जायेंगे । उस के पश्चात ही निष्कर्षों का पता चलेगा।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

माताटिला बांध

87. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माताटिला बांध का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिजली घर भी बन गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) : जी, हां ।

(ग) प्रश्न नहीं उठते ।

उत्तर प्रदेश में चिकित्सा कालिज

88. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में तीन और चिकित्सा कॉलेज स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य द्वारा मांगी गई पूर्ण राशि दे दी है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 और चिकित्सा कालेजों के स्थापित किये जाने का सुझाव दिया है ।

(ख) और (ग) : राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार से नियमों के अनुसार सहायता मिल सकती है यदि प्रस्ताव राज्य योजना में भारत सरकार तथा योजना आयोग द्वारा मंजूर हो जायें ।

बंगलौर के लिये जल सम्भरण

89. **श्री बासप्पा** :

श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर नगर के लिये समेकित जल सम्भरण योजना निश्चित कार्यक्रम के अनुसार चल रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार तथा विश्व बैंक ने अब तक कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) और (ख) : बंगलौर नगर के लिये जल सम्भरण की योजना में विलम्ब कुछ इस लिये हो गया है क्योंकि पाइपस आदि समय पर मिल नही सके । कुछ विलम्ब इस कारण भी हो गया था कि सलाहकार फर्मों से फिर बातचीत करनी पडी थी क्योंकि जिस फर्म से बात हुई थी उस के कार्य को अधिक महंगा पाया गया था ।

(ग) बंगलौर के लिये भारत सरकार ने निम्नलिखित धन देना मंजूर किया है :—

1963-64	50 लाख रुपये
1964-65	150 लाख रुपय
1965-66	150 लाख रुपये

विश्व बैंक से कोई सहायता इसके लिये नहीं मिलेगी ।

नीमच में नया अलक्लाइड कारखाना

90. **श्री भानु प्रकाश सिंह** :

श्री यशपाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री 23 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2735 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नीमच में स्थापित किये जाने वाले प्रस्थापित नवीन अलक्लाइड कारखाने में पूरा उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : कारखाने के लिये आवश्यक योजना तथा नक्शे बनवाने का कार्य प्रगति पर है। कारखाने में उत्पादन शुरू होने की कोई निश्चित तारीख अभी तक नियत नहीं की गई है।

एयर इंडिया के एग्जिक्यूटिव अधिकारी द्वारा विदेशी मुद्रा सम्बधी विनियमों का उल्लंघन

91. श्री वी० चं० शर्मा :

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

श्री यशपाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय की प्रवर्तन शाखा ने एयर इंडिया के एक वरिष्ठ एग्जिक्यूटिव अधिकारी द्वारा विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विनियमों के कथित उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में कुछ अनियमितताओं का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग) : प्रवर्तन निदेशालय (विदेशी मुद्रा विनियम, 1947), एअर इंडिया के एक एक्जिक्यूटिव अफसर के परिवार के सदस्यों को भारत के रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये 'पी' फार्म के उपयोग के बारे में कुछ समारोपित अनियमितताओं की जांच-पड़ताल कर रहा है। चूंकि जांच-पड़ताल का काम जारी है अधिक ब्यौरा देना वांछनीय नहीं होगा। जांच-पड़ताल पूरी हो जाने के बाद योग्य कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के लिए अखिल भारतीय परीक्षा

92. श्री श्रीनारायण दास :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री 2 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1315 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के लिये एक अखिल भारतीय परीक्षा आरम्भ करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य रूपरेखा क्या हैं ; और

(ग) परीक्षा कब तक आरम्भ की जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क), (ख) और (ग) : यह प्रस्ताव अभी भारत सरकार के विचाराधीन है।

पिछड़े क्षेत्र

93. श्री उमानाथ : क्या **योजना** मंत्री 'पिछड़े क्षेत्रों के विकास' पर हुई आधे घंटे की चर्चा के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने चुनीन्दा सर्वसम्मत सूचकों के आधार पर प्रत्येक राज्य में पिछड़े क्षेत्रों को घोषित करने के बारे में कोई उत्तर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और प्रत्येक राज्य में किन-किन क्षेत्रों को 'पिछड़े क्षेत्र' माना गया है;

(ग) क्या मद्रास सरकार ने पुडुकोट्टाई, रामनाथपुरम् और आरंतांगी को 'पिछड़े क्षेत्र' मानने के सम्बन्ध में कोई सूचना भेजी है; और

(घ) यदि नहीं, तो मद्रास राज्य के इन पिछड़े क्षेत्रों तथा अन्य राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों को 'पिछड़ा क्षेत्र' घोषित करवाने तथा इनको चौथी योजना के विकास कार्यक्रम में शामिल कराने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही ही है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) मद्रास को छोड़कर अन्य सब राज्य सरकारों से योजना आयोग के दिनांक 5 जनवरी, 1965 के पत्र, जिसके साथ विकास के विशिष्ट सूचकों की सूची संलग्न की गई थी, के उत्तर प्राप्त हो गये हैं।

(ख) आंकड़ों के आधार पर पिछड़े क्षेत्रों की पहचान करने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

94. श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बालकृष्णन :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपातकालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार का परिवार नियोजन कार्यक्रम में कोई परिवर्तन करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य रूप-रेखा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

अत्यावश्यक वस्तुओं के दामों में वृद्धि

95. डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय स्तर पर अत्यावश्यक वस्तुओं के दामों में वर्ष 1962-63, 1963-64 तथा 1964-65 में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ख) अत्यावश्यक वस्तुओं के थोक तथा खुदरा दामों में कितना अन्तर है ?

वित्तमंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) : खाद्य वस्तुओं के थोक मूल्यों में 1962-63 में 3.6 प्रतिशत, 1963-64 में 15.1 प्रतिशत और 1964-65 में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वृद्धि के ये आंकड़े, प्रत्यक वर्ष के मार्च महीने के साप्ताहिक मूल्यों के औसत के आधार पर निकाले गये हैं। इन तीन वर्षों में, अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक के अनुसार खाद्य वस्तुओं के खुदरा मूल्यों में क्रमश: 3.2 प्रतिशत, 10.9 प्रतिशत और 13.3

प्रतिशत की वृद्धि हुई। इन वर्षों में सभी वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्यों में जो वृद्धि हुई वह इस प्रकार है :

	थोक मूल्यों में प्रतिशत वृद्धि	खुदरा मूल्यों में प्रतिशत वृद्धि
1962-63 . . .	3.0	2.4
1963-64 . . .	9.4	10.0
1964-65	8.8	11.2

त्रिवेन्द्रम आयुर्वेदिक केन्द्र

96. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री 2 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1316 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम आयुर्वेदिक केन्द्र का स्तर ऊंचा करके उसे स्नातकोत्तर प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान संस्था का रूप देने के प्रस्ताव पर विचार किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ है; और

(ग) इसको कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) त्रिवेन्द्रम आयुर्वेदिक केन्द्र को स्नातकोत्तर प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्था बनाने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है।

(ख) और (ग) : प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

विकलांग व्यक्तियों का पुनर्वास

97. श्री यशपाल सिंह :
श्री भानु प्रकाश सिंह :

क्या **स्वास्थ** मंत्री 23 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2738 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास से सम्बन्धित सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशें सरकार को प्राप्त हो चुकी हैं;

(ख) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सिफारिशों के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

स्वास्थ मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) सम्मेलन ने कोई विशेष सिफारिश नहीं की। हां, सम्मेलन ने चौथी योजना में पुनर्वास सम्बन्धी सुविधाओं के विस्तार के प्रस्तावों का उन्होंने स्वागत किया है।

(ख) और (ग) : प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण कार्य

98. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री कोल्ला वकैया :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मन्त्री 16 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2264 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच दिल्ली तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) : अन्तर्राज्य पक्षों वाली सिफारिशों पर शीघ्र ही अन्तर्राज्य सम्मेलन में बहस करने का विचार है। अन्य सिफारिशों पर की गई कार्यवाही संलग्न विवरण में बताई गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5054/65।]**

कार्यालयों का फरीदाबाद में स्थानान्तरण

99. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

श्री प्र चं० बरुआ :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के कुछ कार्यालयों द्वारा फरीदाबाद में स्थानान्तरण करने से लगातार इंकार किय जाने के परिणामस्वरूप वहां पर कार्यालयों के लिये नवनिर्मित लगभग 62,000 वर्ग फुट स्थान शीघ्र ही अनिश्चित काल तक खाली पड़ा रहेगा ;

(ख) क्या भारत सरकार ने 1962 में फरीदाबाद में मकानों का निर्माण करने का निर्णय करने से पहले इस बात का अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया था कि कौन से सरकारी कार्यालय वहां जायेंगे ;

(ग) किन-किन कार्यालयों ने नया स्थान प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया है और किन कार्यालयों ने ऐसा नहीं किया; और

(घ) संबंधित कार्यालयों की अनिच्छा से उत्पन्न समस्या को हल करने के लिये कौन सक्षम प्राधिकारी है और क्या उसने प्रशासनिक निर्णय कर लिया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (घ) : फरीदाबाद में कार्यालय वास के लिए तीन खंड बनाये जा रहे हैं। इनमें से एक खंड तैयार है तथा उसे रक्षा मंत्रालय को आवंटित किया जा चुका है। इसकी बहुत संभावना है कि शेष दो खंडों को भी उसी मंत्रालय को आवंटित कर दिया जायेगा। रक्षा मंत्रालय के लिए एक वैकल्पिक वास बनाने का भी प्रस्ताव है। जब यह तैयार हो जायेगा तो ये खंड भारत सरकार के अन्य कार्यालयों को आवंटित करने के लिये उपलब्ध हो जायेंगे। केवल तभी कुछ कार्यालयों को दिल्ली से फरीदाबाद भेजने के प्रश्न पर विचार किया जा सकेगा।

परिवार नियोजन के लिये जड़ी बूटी

100. श्री कर्णी सिंहजी : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार को मालूम है कि लखनऊ के एक डॉक्टर ने परिवार नियोजन के लिये एक नई जड़ी बूटी का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अनुसन्धान-कार्य को बढ़ाने के लिये क्या पग उठाये गये अथवा उठाने का विचार किया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्रमिकों की मजूरी

101. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **योजना** मंत्री 23 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2697 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक श्रमिकों की काम करने और जीवनयापन सम्बन्धी स्थिति के सम्बन्ध में श्रमिक तालिका द्वारा निकाले गये निश्चित निष्कर्ष क्या है; और

(ख) श्रमिकों की जीवनयापन संबंधी स्थिति में सुधार लाने के लिए इस तालिका ने क्या सिफारिशें की हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : योजना आयोग के श्रम नीति सम्बन्धी पेनल की 31 अक्तूबर और 1 नवम्बर को बैठक हुई। पेनल ने अनुभव किया कि वर्तमान आपातकालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसका कार्य दो क्रमावस्थाओं में किया जाय। एक में वे प्रस्ताव हों जिनमें 1966-67 की सालाना योजना के संदर्भ में निकट भविष्य में कार्रवाई करने की आवश्यकता है और दूसरे में सारी चौथी योजना अवधि से सम्बन्धित कार्यक्रमों और नीतियों का अध्ययन हो। पेनल ने सात अध्ययन दल गठित करने का निश्चय किया है और वह इनके द्वारा अपना विस्तृत कार्य करेगा। ये अध्ययन दल निम्न से संबंधित हैं :—

(1) औद्योगिक सम्बन्ध,

(2) उत्पादकता और प्रोत्साहन,

(3) रोज़गार और प्रशिक्षण,

(4) वेतन नीति,

(5) श्रम कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और श्रम प्रशासन,

(6) श्रमिकों की शिक्षा और श्रम अनुसंधान, और

(7) कृषि श्रमिक और श्रमिकों के विशेष वर्ग।

आसाम में बाढ़ नियंत्रण

102. श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री मरंडी :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री उटिया :**

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री 23 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 808 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में बाढ़ नियन्त्रण के लिये बाढ़ समिति द्वारा तैयार की गई योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ख) उसको कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) विवरण नीचे दिया जाता है :—

विवरण

बाढ़ नियंत्रण संबंधी मन्त्रियों की समिति द्वारा सुझाई गई 6 करोड़ रुपयों की अनुमिल लागत की असम की बाढ़ नियंत्रण स्कीमो की रूपरेखा की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

योजना श्रेणी	अनुमित लागत (करोड़ रुपयों में) (लगभग)
नये तटबंध	9.70
नये नाले . . .	2.30
तटबंधों को उंचा और पक्का करना .	4.70
नगर बचाव तथा कटाव-रोध स्कीमें	8.70
तटबन्धों में जल द्वार	2.10
बहूद्देश्यीय जलाशय और डिटेन्शन बेंसिन (बाढ़ नियन्त्रण लागत)	27.50
अन्य कार्य .	5.00
कुल .	60.00

(ख) बरक बांध के लिये अनुसन्धान कार्य प्रगति पर है। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में बाढ की समस्या के सम्बन्ध में स्थापित अध्ययन दल की रिपोर्ट विचाराधीन है। यदि धन राशि उपलब्ध हुई तो इन कार्यों की उच्च प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वित करने का विचार है।

कोलार स्वर्ण क्षेत्रों में हड़ताल

103. श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलार स्वर्ण क्षेत्रों की सोने की खानों में हाल ही में मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी ;

(ख) यदि हां, तो हड़ताल के कारण कितनी हानि हुई; और

(ग) हड़ताल होने के क्या कारण थे और किन शर्तों पर हड़ताल समाप्त हुई ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां।

(ख) कोलार की सोने की खानों से निकाला गया सोना बेचा नहीं जाता, इसलिए, घाटे का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जहां तक सोने के उत्पादन का सवाल है कोलार की खानों से सोना निकालने वाले प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों द्वारा 19 अगस्त, 1965 से 2 सितम्बर 1965 तक की गयी हड़ताल के कारण उत्पादन में, लगभग, 1,56,000 ग्राम की कमी हुई।

(ग) महंगाई भत्ता बढ़ाने और वेतन-मानों में संशोधन करने की श्रमिकों की मांग पर, कोलार की खानों से सोना निकालने वाले प्रतिष्ठानों के श्रमिकों के मान्यताप्राप्त संघी और प्रबंधकों के बीच बातचीत चल ही रही थी कि श्रमिकों ने 19 अगस्त, 1965 को गैर-कानूनी हड़ताल कर दी, लेकिन वह 3 सितम्बर, 1965 को समाप्त कर दी गयी। यह हड़ताल पहले से सूचना दिये बिना और ऐसे

समय पर की गयी, जब समझौता अधिकारी, वास्तव में बातचीत चला रहा था। उसके बाद समझौता अधिकारी की सिफारिशों के अनुसार प्रबंधकों और श्रमिक संघों के बीच, वेतन और महंगाई भत्तों आदि की वृद्धि के बारे में समझौता हो चुका है।

कोलार स्वर्ण क्षेत्र

104. श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से केन्द्रीय सरकार ने कोलार स्वर्ण क्षेत्रों के खनन उपक्रमों को अपने हाथ में लिया है तब से उसे उनसे कितना लाभ अथवा हानि हुई है; और

(ख) सोने की उत्पादन लागत को कम करने के लिये क्या-क्या उपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) कोलार की खानों से सोना निकालने वाले प्रतिष्ठानों द्वारा निकाला गया सोना बेचा नहीं जाता, इसलिए लाभ या हानि का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।

(ख) उत्पादन-व्यय को कम करने के लिए ये उपाय किये गये हैं; तीन खानों में से दो का एकीकरण; खरीद का केन्द्रीयकरण; कुछ कर्मशालाओं (वर्कशाप) और सिविल इंजिनियरी तथा सफाई सम्बन्धी सेवाओं का केन्द्रीयकरण और फालतू श्रमिकों की छटनी। एक तकनीकी समिति प्रतिष्ठानों द्वारा अपनाये गये खान-खुदाई के तरीकों की जांच-पड़ताल भी कर रही है, ताकि वह उत्पादन बढ़ाने और खर्च कम करने के लिए आवश्यक सुधारों का सुझाव दे सके।

Family Pension and House Building Loan Schemes

105. Shri Bagri : **Shri Kishen Pattnayak :**
Shri Madhu Limaye : **Shri Yashpal Singh :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No. 2694 on the 23rd September, 1965 and state :

(a) whether Government have since received the report from the senior officer of his Ministry who had gone abroad to sudy the working of family pension and the house-building loan schemes ;

(b) if so, the main recommendations thereof ; and

(c) whether Government have completed consideration thereof ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) The officer has submitted a Memorandum on housing finance. A memorandum on Pensions will be submitted shortly.

(b) The principal recommendation with regard to housing finance is that a Housing Finance Corporation should be set up with a view to providing long-term loans for promoting housing construction and also to mobilising private savings in this connection.

(c) The proposals are under consideration.

लाल समिति का प्रतिवेदन

106. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वरिष्ठ सेवा प्रतिवेदन, जिसे लाल समिति का प्रतिवेदन कहा जाता है, पूना के एक न्यायालय में पेश किया गया है; और

(ख) क्या इसकी एक प्रति सभा पटल पर रखने का सरकार का विचार है, क्योंकि यह सार्वजनिक दस्तावेज बन गया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां ।

(ख) रिपोर्ट की कुछ प्रतियां पुस्तकालय में रख दी गई है ।

भारतीय मेडिकल रजिस्टर

107. **श्री मधु लिमये :**
श्री बागड़ी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय मेडिकल रजिस्टर पिछली बार कब प्रकाशित किया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार की नीति होने के बावजूद भी, कि स्थान नामनिर्देशन द्वारा नहीं अपितु चुनाव द्वारा भरे जायेंगे, भारतीय चिकित्सा परिषद् के साथ स्थान नाम-निदशन द्वारा भरे गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) दिसम्बर 1960 तक की पूरी भारतीय चिकित्सा पंजी 2 जनवरी 1965 को प्रकाशित की गई थी ।

(ख) और (ग): भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की धारा 4(1) और भारतीय चिकित्सा परिषद नियम, 1957 के नियम 26 में अन्य बातों के साथ साथ यह दिया गया है कि भारतीय चिकित्सा पंजी के इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार बनने तक धारा 3(1) के खण्ड (घ) में उल्लिखित लाइसेन्सियेट सदस्य चुने जाने की अपेक्षा जैसा कि उस में दिया गया है, सरकार द्वारा मनोनीत किये जा सकते हैं। चूंकि भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा तैयार की गई और 2 जनवरी, 1965 को प्रकाशित की गई भारतीय चिकित्सा पंजी अपूर्ण थी और उसमें केवल उन व्यक्तियों के नाम थे जो राज्य चिकित्सा पंजी में सिर्फ दिसम्बर 1960 तक दर्ज थे तथा अपेक्षित चिकित्सा योग्यता वाले थे अतः उसे लाइसेन्सियेटों के चुनाव के उद्देश्य के लिये पूरी निर्वाचक सूची नहीं माना जा सका तथा इसीलिये 6 फरवरी 1965 से मननियत किये गये ।

सरकारी क्वार्टर

108. **श्री मधु लिमये** : क्या **निर्माण** और **आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस सरकारी अधिकारी से, जिसने नई दिल्ली अथवा दिल्ली में अपना मकान बना लिया है, सरकारी क्वार्टर टाइप चार तथा पांच का कितना किराया लिया जाता है; और

(ख) उस अधिकारी से, जो विदेश में अथवा भारत में उच्च शिक्षा के लिये छः मास से अधिक अवधि की शिक्षा-छुट्टी पर गया हुआ है, उक्त टाइपों के मकानों का कितना किराया लिया जाता है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जिन अधिकारियों के पास अपने मकान हैं उन्हें आवंटित सरकारी वास के लिये मूल नियम 45-बी के अन्तर्गत मानक किराया अथवा मूल नियम 45-ए के अंतर्गत पूल्ड मानक किराया इनमें से जो भी अधिक हो, देना पड़ता है ।

(ख) छः महीने से अधिक शिक्षा-छुट्टी पर जाने वाले अधिकारी सरकारी वास को मूल नियम 45-ए के अन्तर्गत किराया देकर अधिक से अधिक छः महीने की अवधि के लिए अपने पास रख सकते हैं । उक्त अवधि के दौरान निवास स्थान खाली न करने पर बाजार दर के आधार पर गणना करके नुकसान वसूल किया जा सकता है ।

कर अपवंचन सम्बधी सूचना देनें वालों को इनाम

109. श्री किशन पटनायक :

श्री मधु लिमये :

श्री बागड़ी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने घोषणा की है कि आयकर अपवंचकों के बारे में सूचना देने वाले लोगों को इनाम दिये जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो ये इनाम किस रूप में दिये जायेंगे; और

(ग) हाल ही में काले धन के विरुद्ध चलाये गये अभियान में कितने लोगों को वे इनाम दिये गये ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां ।

(ख) पुरस्कार की दर, सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा दी गयी सूचना अथवा उसके द्वारा की गयी सहायता से जितना अतिरिक्त कर वसूल हो, उसके $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत से लेकर 10 प्रतिशत के बीच रहती है ।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

बड़ी गंडक सम्बन्धी तकनीकी समिति

110. श्री काशीनाथ पाण्डेय : क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देवरिया जिले में बड़ी गण्डक नदी द्वारा अपना मार्ग बदले जाने के सम्बन्ध में जिससे न केवल बहुत से ग्रामों तथा एक चीनी कारखाने को अपितु निर्माणाधीन प्रस्तावित बड़ी गण्डक नहर को भी खतरा पैदा हो रहा है, जांच करने के लिये सरकार ने एक तकनीकी समिति नियुक्त की थी ;

(ख) यदि हां, तो उस तकनीकी समिति ने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं; और

(ग) नदी से होने वाले भूमि के कटाव को रोकने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां । एक समिति स्थापित की गई है जिसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(1) नेपाल-उत्तर प्रदेश-बिहार सीमा के त्रिसंगम से नदी के अनुस्रोत दाएं तट पर चितौनी घाट तक के क्षेत्र के विशेष संदर्भ में बड़ी गण्डक नदी की बाढ़ समस्याओं का पुनर्वलोकन करना ।

(2) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नदी के दाएं तट पर बनाए गए विभिन्न संरक्षण कार्यों सहित चितौनी बन्ध से भूतकाल में हुई सुरक्षा का अनुमान लगाना ।

(3) गत कुछ वर्षों की बाढ़ ऋतुओं में इस तटबन्ध द्वारा पूरी सुरक्षा न करने के कारणों का अध्ययन ।

(4) बन्ध तथा इसके विभिन्न संरक्षण कार्यों को कारगर तथा मजबूत बनाने के लिये मान निर्धारित करना तथा इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये प्रणाली में सुधारों की सिफारिश करना ।

(ख) तथा (ग) : आशा है कि समिति अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, 1965 के अन्त तक प्रस्तुत कर देगी ।

तवा परियोजना

111. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री पाराशर :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री चाण्डक :
श्री वाडीवा :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री दाजी :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री 19 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 119 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में तवा बहु-प्रयोजनीय परियोजना के निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : परियोजना सड़कों और भवनों के निर्माण जैसे प्रारम्भिक सिविल कार्य पूर्ण होने को हैं। नदी तल में बांध के चिनाई भागसे सम्बन्धित खुदाई कार्य और मिट्टी के बांध पर खुदाई कार्य प्रगति पर है। बाएं तट की नहर की खुदाई अभी हाल ही में शुरू की गई है। दायें तट में एक गहरी कट पर भी कार्य प्रगति कर रहा है। चिनाई बांध के आधार में पतली भराई का कार्य भी हाथ में ले लिया गया है।

हाईड्रोसील के रोगी

112. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश के तटवर्ती क्षेत्रों, विशेषकर केरल में बहुतेरे लोग हाइड्रोसील से रोग-ग्रस्त हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके इलाज के लिये तथा इस रोग की रोक-थाम के लिये क्या उपाय किये गये है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर): (क) फ़िलेरिया का संक्रमण तथा रोग का अनुमान लगाने के लिये देश के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया गया है। इस से पता चला है कि बहुत से क्षेत्रों जिनमें केरल का तटवर्ती क्षेत्र भी है–हाइड्रोसील के रोगी हैं। तटवर्ती क्षेत्रों में फैले इस रोग के बारे में एक विवरण पुस्तकालय में रखा गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5057/65 ।]**

(ख) हाइड्रोसील मुख्यता फ़िलेरिया के संक्रमण से होता है। देश अस्पतालों में इस की चिकित्सा के बारे में सुविधायें उपलब्ध है।

देश के कई क्षेत्रों में जिस में केरल भी है में फ़िलेरिया के नियन्त्रण के लिये राष्ट्रीय फ़िलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम को प्रायोगिक कार्यक्रम के तौर पर शुरू किया गया है। रोग को और फैलने से रोकने के लिये उपाय किये गये है। पहले से ही इस रोग से ग्रस्त व्यक्तियों को इन उपायों से कोई लाभ नहीं है।

Artificial Limb Centre in Punjab

113. **Shri Gulshan :**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Buta Singh :

Will the Minister of **Health** be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No. 1630 on the 1st October, 1965 and state :

(a) whether it is proposed to establish a Centre for production of artificial limbs in Punjab ; and

(b) if so, when it is likely to start functioning ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health (Shri P. S. Naskar) : (a) and (b): The proposal is under consideration by the Government of Punjab. It is too early at this stage to indicate the time by which the proposed Centre is expected to start functioning.

भारी औद्योगिक परियोजनायें

114. श्री दलजीत सिंह : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीन योजना अवधियों में स्थापित की गई भारी औद्योगिक परियोजनाओं के 2,130 करोड़ रुपये के पूंजी परिव्यय का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) पंजाब में ऐसी कितनी भारी औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित की गई हैं ;

(ग) पंजाब को इन परियोजनाओं के लिए कम राशि दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या चौथी योजना अवधि में पंजाब को अधिक राशि आवंटित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) पहली तीन योजना अवधि यों के दौरान, राज्यवार, केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं का निवेश दर्शाते हुए एक विवरण इस प्रकार है:—

विवरण

राज्य	पहली तीन योजना अवधियों के दौरान अनुमानित निवेश (रुपये करोड़ो में)
आन्ध्र प्रदेश	56.98
असम	27.50
बिहार	200.75
गुजरात	32.00
जम्मू-कश्मीर	..
केरल	26.24
महाराष्ट्र	42.48
मध्य प्रदेश	442.61
मद्रास	82.71
मैसूर	24.69
उड़ीसा	403.84
पंजाब	35.60
राजस्थान	6.00
उत्तर प्रदेश	62.90
पश्चिमी बंगाल	321.22
योग	1765.52

(ख) पंजाब में नांगल उर्वरक कारखाना और पंजोर का भारी औजार कारखाना--दो भारी औद्योगिक परियोजनाएं हैं।

(ग) भारी औद्योगिक परियोजनाओं का स्थान निर्धारण का निश्चय मितव्ययी और अन्य सम्बन्धित तथ्थयों पर किया जाता है। अत: किसी खास राज्य को छोटा या बड़ा भाग देने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल की जानेवाली परियोजनाओं की व्यय-व्यवस्था और उनका स्थान-निर्धारण अभी विचाराधीन है।

दिल्ली में श्रमजीवी स्त्रियों के लिये मकानों का आवंटन

115. श्रीमती मैमूना सुल्तान :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में नौकरी करने वाली श्रमजीवी स्त्रियों के लिए मकानों का आवंटन करने की एक योजना हाल ही में स्वीकार की है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है और उनको किस प्रकार तथा टाइप के मकान आवंटित किये जायेंगे ; और

(ग) आवंटन की शर्तें क्या होंगी ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

सैनिक सेवा में जाने वाले कर्मचारियों के लिय सरकारी क्वार्टर

116. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या **निर्माण** और **आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से सरकारी कर्मचारियों को, जिन्हें राजसम्पत्ति निदेशालय के अधीन सामान्य पूल में से क्वार्टर मिले हुए थे, 1962 में हुए चीनी आक्रमण के समय से सैनिक सेवा के लिये बुलाये जाने पर अथवा आपातकालीन कमीशन योजना के अन्तर्गत सशस्त्र सेनाओं में कमीशन मिलने पर, उन क्वार्टरों से वंचित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कितने परिवारों को विस्थापित होना पड़ा है ;

(ग) उनमें से कितने व्यक्तियों को सामान्य पूल से मिले हुए क्वार्टर न छोड़ने के कारण दंड दिया गया है ;

(घ) उनमें से कितने व्यक्तियों ने निष्कासन आदेश के विरुद्ध निर्धारित अवधि के अन्दर अपील की थी; और

(ङ) उनमें से कितने व्यक्तियों को उस अवधि के दौरान जबकि उनकी अपीलें अभी विचाराधीन ही थीं, क्वार्टर खाली न करने के कारण दंडित किया गया और इस सम्बन्ध में नियम क्या है?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (ङ) : आपात (एमर्जेन्सी) से पूर्व वास नियमों के अधीन ऐसे 21 मामले थे। तीन मामलों में संबंधित व्यक्तियों ने स्वयं अपने आप निवास स्थान खाली कर दिये थे। 10 मामलों में ऐसे व्यक्तियों को लाभ देने के लिये शिथिल किए गये नियमों के आधार पर आवंटन नियमित कर दिये गये है। शेष 8 मामलों में सरकार ने अधिकारियों को अपने परिवारों के उपयोग के लिए अक्टूबर 1965 के अन्त तक दिल्ली में निवास स्थानों को अपने पास बनाये रखने की अनुमति पहले ही दे दी है। उनके मामलों का पुनरीक्षण किया जा रहा है।

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम

117. **श्री हेमराज :** क्या **वित्त** मंत्री 26 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 714 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम में संशोधन किये जाने के संबंध में राज्य सरकारों के प्रस्तावों का परिक्षण कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वित्त मंत्री (ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) : मामले की अभी भी जांच-पड़ताल की जा रही है ।

कलकता में सीमा-कर

118. **डा० रानेन सेन :**

श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने कलकत्ता में सीमा कर लगाने के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कर से कितनी राशि प्राप्त होने का अनुमान है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है और इस संबंध में अभी तक कोई निश्चय नहीं किया गया है ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

Green Belt Around Delhi

119. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Delhi Development Authority has set up a Committee to expedite building of a green belt in Delhi under the Master Plan ;

(b) if so, the names of members of the Committee ; and

(c) the time by which the Committee is likely to start functioning?

The Deputy Minister in the Ministry of Health (Shri P. S. Naskar): (a) No.

(b) & (c). Do not arise.

ब्रह्मपुत्र नदी तथा इसकी सहायक नदियों पर अधिकार

120. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री 24 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1232 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपुत्र नदी तथा उसकी सहायक नदियों पर अधिकार करने के संबंध में कोई निर्णय किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली के समीपवर्ती (सैटेलाइट) नगरों में दफ्तरों का स्थानान्तरण

121 **श्री हेडा** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री 2 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 375 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के उपनगरीय क्षेत्रों में सरकारी दफ्तरों के लिये स्थान की व्यवस्था करने का प्रथम प्रक्रम पूरा हो चूका है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अब द्वितीय प्रक्रम की कार्यान्विति आरम्भ कर दी गई है ; और

(ग) यदि कोई तृतीय प्रक्रम भी है, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) फरीदाबाद में प्रथम प्रक्रम का स्थान मंजूर हो चुका है। एक तिहाई पूरा हो चुका है और शेष दो तिहाई बनाया जा रहा है।

(ख) फरीदाबाद में द्वितीय प्रक्रम तथा गाज़ियाबाद में प्रथम प्रक्रम अभी तक मंजूर नहीं किया गया है।

(ग) तृतीय प्रक्रम की अभी तक योजना नहीं बनाई गयी है।

केन्द्रीय औषधि अनुसन्धान प्रयोगशाला, गाजियाबाद

122. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**

श्री राजेश्वर पटेल :

श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित केन्द्रीय औषधि अनुसन्धान प्रयोगशाला, गाजियाबाद, द्वारा किस प्रकार का कार्य किया जायेगा ?

(ख) क्या निर्माण-कार्य आरम्भ हो गया है, और

(ग) क्या इस प्रयोगशाला की स्थापना के लिये कोई विदेशी सहायता स्वीकार की गई है?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) गाजियाबाद स्थित केन्द्रीय भारतीय भेषज संग्रह प्रयोगशाला औषधों के मानक निश्चित करने के लिये भारतीय भषज संग्रह का काम करेगी तथा औषधों के विश्लेषण की नई नई विधियां भी निकालेगी। संघ क्षेत्रों (दिल्ली सहित) तथा उत्तरी क्षेत्र के उन राज्यों के लिये जिन के पास अपनी परीक्षण सुविधायें नहीं हैं, औषध परीक्षण प्रयोगशाला का काम भी करेगी।

(ख) अभी नहीं। निर्माण कार्य अगले वर्ष किसी समय शुरू किये जाने की आशा है। तब तक यह प्रयोगशाला एक किराये के मकान पर चल रही है।

(ग) नहीं।

असाम सरकार द्वारा माँगी गई सहायता

123. **श्री प्रं० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय सरकार से आग्रह किया है कि यदि केन्द्रीय सरकार वर्तमान संकटकाल में आसाम की सहायता नही करेगी तो उस राज्य की साख तथा आर्थिक स्थिति बहुत ही चिन्ताजनक बनी रहेगी और उसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ;

(ख) यदि हां, तो उस राज्य ने ठीक ठीक क्या सहायता मांगी है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) असम सरकार ने ये सुझाव दिये है कि वाणिज्यिक बैंको से, राज्य में और ज्यादा कार्यालय खोलने का अनुरोध किया जाय ; भविष्य में किसी भी समय युद्ध छिड़ जाने की स्थिति में आवश्यक सीमा तक ऋण-सम्बन्धी सुविधाएं बराबर मिलती रहें; और राज्य के छोटे पैमाने के तथा अन्य औद्योगिक एककों को सहायता देने के उपाय के रूप में संकट काल में सरकार तथा दूसरे सरकारी अभिकरण इन एककोंसे और भी ज्यादा माल खरीदे।

(ग) इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला कि ऋण की पर्याप्त सुविधाएं न होने से असम में कोई वास्तविक कठिनाई अनुभव की जा रही है। यदि आवश्यक हुआ, तो भावी घटनाओं के प्रकाश में (यदि ऐसी कोई घटना हो जाय तो) उचित समय पर कार्रवाई करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

कोसी परियोजना

124. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नेपाल के बीच कोसी परियोजना क्षेत्रों के लिये वृहद् योजना तैयार करने के सम्बन्ध में बातचीत पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) तथा (ख) : जी, नहीं। केवल पश्चिमी कोसी नहर के सम्बन्ध में ही बातचीत चल रही है।

भारत की मृत्यु दर

125. **श्री बृजराज सिंह** :
श्री ओंकार लाल बैरवा :
श्री गोकरन् प्रसाद :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली द्वारा किये गये अध्ययन से पता चलता है कि गत कुछ दशकों में भारत की मृत्यु दर में भारी कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो परिषद् के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कमी किन कारणों से हुई ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क), (ख) और (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विदेशी बैंकों द्वारा पाकिस्तान रक्षा निधि में अंशदान

126. **श्री बृजराज सिंह** :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गोकरन प्रसाद :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी बैंकों ने, जिन को भारत तथा पाकिस्तान दोनों देशों में शाखायें है, पाकिस्तानी रक्षा निधि में धन दिया है परन्तु भारत की राष्ट्रीय रक्षा निधि में धन नहीं दिया ; और

(ख) यदि हां, तो उन बैंकों की भारतीय शाखाओं के भारत विरोधी रवैये पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) : दोनों देशों में, विदेशी बैंकों द्वारा रक्षा अथवा अन्य कोषों में दिये गये धन का ब्योरा अभी उपलब्ध नहीं है और उसे प्राप्त किया जा रहा है। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार कौन सी कार्रवाई करना जरूरी समझ या कौन सी कार्रवाई करने की स्थिति में हो।

नेवेली बिजली घर के कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण संस्था

127. श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री बृजराज सिंह :**
श्री ओंकार लाल बेरवा : **श्री गोकरन प्रसाद :**

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेवेली में बिजली घर के कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण संस्था का विस्तार तथा सुधार करने के लिये रूसी सहायता प्राप्त करने के लिये रूस के साथ किसी संविदा पर हस्ताक्षर किये गये है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) : टक्नो एक्सपोर्ट, मास्को और भारत सरकार के बीच 18 अक्तूबर, 1965 को 6 मास तक की अवधि के लिये रूसी विशेषज्ञों की सेवाओं के प्राप्त करने के लिये एक करार हुआ था। ये विशेषज्ञ प्रवर इंजीनियर होंगे और इन के साथ एक टीकाकार भी होगा। ये रूसी विशषज्ञ बहत् ताप बिजली घरों के प्रचालन रख-रखाव संबंधी व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिये एक संस्थान के प्रतिष्ठापन हेतु स्कीम रिपोर्ट तैयार करेंगे। यदि स्कीम रिपोर्ट के आधार पर उपयुक्त रूसी विशेषज्ञों की प्राप्ति और/अथवा रूस देश से साजसामान की सप्लाई आवश्यक समझी गई तो इस के लिये उपयुक्त रूसी संस्था के साथ एक अलग करार कर लिया जाएगा।

Water Supply from Gandhi Sagar Dam

128. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the quantity of water supplied to the farmers from Gandhi Sagar Dam has been reduced ; and

(b) if so, to what extent ?

The Minister of Irrigation & Power (Dr. K. L. Rao) : (a) Yes.

(b) About 20 per cent less than last year's releases.

Officer-Oriented set up for Ministry

129. Shri Onkar Lal Berwa : **Shri Dinen Bhattacharya :**
Dr. Ranen Sen : **Shri Kolla Venkaiah :**

Will the Minister of **Works** and **Housing** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a new administrative machinery is being set up in his Ministry as an experimental measure with a view to do away with red-tapism and ensuring quick decisions ;

(b) if so, the outlines thereof ; and

(c) when it is likely to come into being ?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) to (c). The Works Division of the Ministry of Works and Housing dealing with the Central Public Works Department has been reorganized with effect from the 18th October, 1965. The new set up is a radical departure from the conventional structure of the Central Secretariat and is likely to result in expeditious disposal of work and appreciable saving in expenditure. In the reorganized set up the administrative and financial powers of the Chief Engineer, Central Public Works Department have been enhanced so as to enable him to dispose of a number of cases himself without reference to the Ministry. Also, a single file system dispensing with the need for a second file in the Ministry in a large number of cases has been introduced. A new system for filing and storage of records and a structural re-organization of the staffing pattern on an "officer-oriented system" has been put into operation. Clerical staff will now be employed only on routine duties like receipt and despatch, diarising, typing, preservation of non-current files, watching external movement of files and miaintaining certain registers. Initial consideration of a paper is in the hands of a Section Officer or an Under Secretary rather than an Assistant or a clerk as under the conventional Secretariat pattern. Instead of the normal five levels (Assistant Section Officer, Under Secretary, Deputy Secretary and Joint Secretary) there are only three levels under the new system *viz* , Section Officer/Under Secretary, Deputy Secretary and Joint Secretary. Stenographic assistance on a liberal scale has been provided for all Section officers and Under Secretaries in the Works Division. *Power of authentication of orders on behalf of the President is now delegated to the Section Officers also.*

Rana Pratap Sagar Power House

130. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the construction work of Rana Pratap Sagar Power House has been started on the 13th October, 1965 ;

(b) if so, its proposed capacity ;

(c) the amount of expenditure to be incurred thereon ; and

(d) the amount of foreign aid involved therein and the names of the countries from whom it would be received ?

The Minister for Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) Yes.

(b) 4 generating units of 43 MW each.

(c) Rs. 18·94 crores.

(d) $ 8 million—Canadian credit.

Re-Development of Delhi Villages

131. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is fact that Government contemplate to re-develop 111 villages on the outskirts of Delhi ;

(b) if so, the broad outlines of the scheme ;

(c) the facilities which would be made available as a result of re-development ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health (Shri P. S. Naskar) : (a) Yes.

(b) Out of the 111 villages, 88 villages have been selected for taking up the work of survey and development in the first instance. The remaining 23 villages will be taken up for development later on. The peripheral services to these villages such as water, sewerage and roads will be provided by the authority responsible for the development of the areas round about these villages but the internal services in the villages will be provided by the local authority concerned.

(c) The re-development plan of the villages makes provision for civic amenities, like community meeting places, schools, dispensaries, open spaces, widening of existing roads and lanes, public latrines, etc.

मैसूर द्वारा अपने पड़ौसी राज्यों को बिजली का दिया जाना

132. श्री वासुदेवन नायर :
श्री कोल्ला वैंकैया :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने अपने पड़ोसी राज्यों को बिजली देने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो बिजली किस दर पर दी जायेगी ; और

(ग) केरल को कितनी बिजली दी जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां। मैसूर सरकार ने आन्ध्र प्रदेश, केरल और मद्रास जैसे आपने सहवर्ती राज्यों को बिजली देने का फैसला किया है।

(ख) अभी तक बिजली सप्लाई के लिये टैरिफ पर फैसला नहीं हुआ है।

(ग) जून, 1966 के अन्त तक 800 लाख किलोवाट घंटे।

केरल के देहातों में जल व्यवस्था

133. श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने देहातों में जल की व्यवस्था करने के लिये कुछ योजनायें प्रस्तुत की हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितनी योजनायें प्रस्तुत की गई हैं और उन पर कुल कितना खर्च होगा ; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या निर्णय किया है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : केरल सरकार से पहली, दूसरी तथा तीसरी योजना काल में 111 ग्राम्य जल सम्भरण योजनायें जिन पर 111.45 लाख रुपये के व्यय का अनुमान प्राप्त हुआ था। उन में से 96 योजनायें जिन पर 87.78 लाख रुपय व्यय का अनुमान है मंजूर की गई हैं। यह राष्ट्रीय जल सम्भरण तथा सफ़ाई कार्यक्रम के अन्तर्गत है। राज्य के चीफ़ इंजीनियर (स्वास्थ्य) में 10 योजनाओं के बारे में जिन पर 27.45 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है, स्पष्टीकरण माँगे गये हैं। पांच योजनायें जिन पर 2.22 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है, स्वास्थ्य सेवाओं के महा निदेशक के विचाराधीन है।

केरल वेतन आयोग

134. श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल वेतन आयोग ने अपने अन्तिम प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे प्रस्ताव क्या हैं ; और

(ग) उनके सम्बन्ध में सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) केरल वेतन आयोग ने केन्द्रीय सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

(ख) और (ग) : ये सवाल पैदा ही नही होते।

Gandak Project

135. Dr. Mahadeva Prasad :
Shri Bibhuti Mishra :
Shri N. P. Yadab :

Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) the progress so far made in the execution of the Gandak Project; and

(b) whether there is any scheme for the construction of canals in Karena and Maharajgunj Tehsils of Gorakhpur District?

The Minister for Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) The construction of the Gandak barrage is proceeding briskly. Over 60% of the total earth-work of 300 lakh cft. has been completed. About 21% of the total concreting of 77 lakh cft. has also been done.

On Tirhut Canal earth-work to the extent of 41,75 lakh cft. has been done out of the toal quantity of 144,00 lakh cft.; on the Saran Canal to the extent of 14,17 lakh cft. out of the total quantity of 52,48 lakh cft. and to the extent of 8,12 lakh cft. out of the total quantity of 17,00 lakh cft. on the Don branch canal.

Work is also in progress on the Western Gandak Canal on which about 16,58 lakh cft. of earth-work has been done out of the total quantity of 56,81 lakh cft. between Mile 11-6 and Mile 55-4. River training works in Nepal area are nearing completion.

(b) The Western Gandak Canal of the Gandak Project will serve the three tehsils of Gorakhpur, Maharajgunj and Pharenda of the Gorakhpur District.

बिजली का उत्पादन

136. श्रीमती सावित्री निगम : क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के आपात को ध्यान में रखते हुए देश में बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई विशेष उपाय करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) निम्नलिखित पग उठाये गये हैं :—

(1) यह निर्णय किया गया है कि उन सभी बिजली परियोजनाओं को जो निर्माण की प्रौढ़ावस्था में हैं और जिन के लिये साज सामग्री की काफी मात्रा पहले ही उपलब्ध कर ली गई है या साज सामान के लिये आदेश दे दिये गए हैं यथा संभव न्यूनतम समय में पूरा करना चाहिये ।

(2) उपलब्ध होने वाली उत्पादन क्षमता के अधिकतम उपभोग को सुनिश्चित करने के लिये राज्यों के अपने भीतर के तथा पड़ोसी राज्यों के विभिन्न बिजली केन्द्रों में अन्तर्सम्पर्क शीघ्र से स्थापित किए जा रहे हैं ।

(3) केन्द्र में स्थिति को लगातार जांच की जा रही है और राज्य अधिकारियों को आवश्यक सहायता दी जा रही है ।

महँगाई भत्ते का मिलाया जाना

137. श्री राजदेव सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का एक भाग उनके वेतन में मिलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, नहीं । इस समय इस प्रश्न पर विचार नहीं हो रहा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जीवन बीमा निगम के अधिकारियों की सेवा की शर्तें

138. श्री मलाइछामी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के अधिकारियों की सेवा की शर्तें केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के समकक्ष होती हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो उन्हें केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों की सेवा की शर्तों के समान बनाने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) : भारत का जीवन बीमा निगम एक स्वायत्त संगठन है । उस के कर्मचारियों की सेवा शर्तें उसके द्वारा बनाये गये विनियमों जिनको केन्द्र सरकार मंजूर करती है के अनुसार हैं । सरकार इनको मंजूर करते समय देखती है कि शर्तें केन्द्र सरकार कर्मचारियों की शर्तों के लगभग अनुसार ही हों । सरकार उनको समकक्षी बनाने पर विचार नहीं कर रही है ।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा जीवन बीमा निगम की पालिसियों का लिया जाना

139. श्री मलाइछामी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम की मार्फत सरकारी कर्मचारियों के वेतन से बीमा पालिसियां लिये जाने की योजना सभी राज्यों में लागू रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो किन राज्यों ने इस योजना को लागू नहीं किया है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) : जीवन बीमा निगम की वेतन बचत योजना जिसके अनुसार बीमे का प्रीमियम कर्मचारियों के वेतन में से काट लिया जाता है अभी तक राजस्थान, पंजाब, केरल तथा उड़ीसा राज्यों में लागू की गई हैं। इसको लागू करने का निर्णय करना राज्यों का काम है ।

दूसरी और तीसरी योजनाओं की परियोजनायें

140. श्री शिव चरण गुप्त : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना की कौनसी परियोजनायें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं ; और

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना की कौनसी परियोजनायें पूरी हो गई हैं, कौनसी पूरी की जा रही हैं और कौन सी अभी तक आरम्भ नहीं की गई हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5055/65 ।]**

Estate Duty Realised from Ex-Rulers

141. Shri Dhuleshwar Meena :
Shri P. L. Barupal :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount realised as estate duty during the period from 1952 to 31st August, 1965 as a result of the passing away of the ex-rulers and the connected members of their families ; and

(b) the names of the States from where it has been realised ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

उपरि वर्धा सिंचाई परियोजना

142. श्रीमती विमला देशमुख : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार को 'उपरि वर्धा सिंचाई परियोजना' स्वीकृति के लिये भेजी है ;

(ख) उस परियोजना पर कुल कितना व्यय होगा ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये इस पर विचार किये जाने की क्या सम्भावनायें हैं?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) परियोजना की अनुमति लागत 13.05 करोड़ रुपये है ।

(ग) चतुर्थ योजना में शामिल की जाने वाली परियोजनाओं की सूची अभी तैयार करनी है ।

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)

RE : CALLING ATTENTION NOTICE—*Query*

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : श्रीमन्, इस महीने की पहली तारीख को मैंने पाकिस्तानी सशस्त्र सैनिकों द्वारा साठ सिख औरतों के जबर्दस्ती पाकिस्ताना ले जाये जाने के संबंध में एक ध्यान दिलाने वाली सूचना दी थी। आज मैंने इसके बारे में आपके कार्यालय में पूछताछ की थी परन्तु कुछ पता नहीं लग सका। मेरा निवेदन है कि आप इसकी जांच करें।

अध्यक्ष महोदय : कल भी मैंने माननीय सदस्यों से निवेदन किया था कि ऐसे मामलों को उन्हें इस तरीके से नहीं उठाना चाहिये अपितु मुझे लिखकर उनकी सूचना देनी चाहिये।

सभापटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम तथा मंत्रियों के निवास स्थान (संशोधन) नियमों के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : मैं निम्न अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम 1952 की धारा 17 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत एस० ओ० 2960 जो दिनांक 25 सितम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 5027/65।]**

(दो) मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1952 की धारा 11 की उप धारा (दो) के अन्तर्गत मंत्रियों के निवास-स्थान (संशोधन) नियम, 1965 जो दिनांक 2 अक्तूबर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1446 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5028/65।]**

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभापटल पर रखता हूं :—

(एक) न्यासधारी (शेयरों तथा डिबेंचरों के धारण की घोषणा) (संशोधन) नियम, 1965 जो दिनांक 16 अक्तूबर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1519 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5030/65।]**

(दो) कम्पनी विधि बोर्ड (प्रक्रिया) (संशोधन) नियम, 1965 जो दिनांक 15 अक्तूबर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1540 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5029/65।]**

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभापटल पर रखता हूं :—

(एक) बेलन मिलें गहूं उत्पाद (मूल्य नियंत्रण) चौथा संशोधन आदेश, 1965 जो दिनांक 2 अक्तूबर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1440 में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5031/65।]**

(दो) पश्चिमी बंगाल अत्यावश्यक वस्तु (लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध) नियंत्रण संशोधन आदेश, 1965 जो दिनांक 20 अक्तूबर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1559 में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5031ए65।]**

केन्द्रीय अत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

श्री ब० रा० भगत : मैं श्री रामेश्वर साहू की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 अन्तर्गत निम्नलिखित अधि सूचदओं की एक-एक प्रति :—

(एक) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शल्क-वापसी (सामान्य) तेइसवां संशोधन नियम, 1965, जो दिनांक 3 जुलाई, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 919 में प्रकाशित हुए थे तथा जिन में दिनांक 28 अगस्त, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1229 और दिनांक 25 सितम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1406 द्वारा शुद्धि की गई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5045/65।]**

(दो) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) उनहत्तरवां संशोधन नियम 1965 जो दिनांक 25 सितम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1405 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5034/65।]**

(तीन) अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1407 जो दिनांक 25 सितम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं और जिस में दिनांक 24 जुलाई, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1021 का शुद्धि-पत्र दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5035/65।]**

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 1378 जो दिनांक 18 सितम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5037/65।]**

(दो) जी० एस० आर० 1390 जो दिनांक 16 सितम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5040/65 ।**]

(तीन) जी० एस० आर० 1392 जो दिनांक 16 सितम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5038/65 ।**]

(चार) जी० एस० आर० 1433 जो दिनांक 24 सितम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5036/65 ।**]

(पांच) जी० एस० आर० 1470 जो दिनांक 28 सितम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5033A/65 ।**]

(छः) जी० एस० आर० 1479 जो दिनांक 9 अक्तूबर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(सात) जी० एस० आर० 1497 जो दिनांक 1 अक्टूबर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(आठ) जी० एस० आर० 1498 जो दिनांक 1 अक्तूबर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5033/65 ।**]

(नौ) एस० ओ० 3183 जो दिनांक 16 अक्तूबर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5032/65 ।**]

(दस) जी० एस० आर० 1586 जो दिनांक 27 अक्तूबर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5043/65 ।**]

(3) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 1495 जो दिनांक 1 अक्तूबर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5039/65 ।**]

(दो) जी० एस० आर० 1496 जो दिनांक 1 अक्तूबर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5041/65 ।**]

(4) वित्त अधिनियम, 1965 की धारा 77 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर 1391 की एक प्रति जो दिनांक 16 सितम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5039/65 ।**]

(5) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 280–जेड ई की उप-धारा (4) अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1335 की एक प्रति जो दिनांक 11 सितम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5041/65 ।**]

(6) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1376 की एक प्रति जो दिनांक 18 सितम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिस के द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण तथा कुल विक्री) नियम, 1957 में एक और संशोधन किया गया। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5044/65 ।**]

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)—1965-66

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (GENERAL)—1965-66

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं 1965–66 के आयव्ययक (सामान्य) के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगें बताने वाला एक विवरण प्रस्तुत करना चाहता हूं।

केरल के संबंध में उद्घोष । लागू रखे जाने के बारे में संकल्प—जारी

RESOLUTION RE : CONTINUANCE OF PROCLAMATION IN RESPECT OF KERALA—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री हाथी द्वारा 3 नवम्बर, 1965 को प्रस्तुत निम्न संकल्प पर अग्रत्तर चर्चा करेगी :—

"कि यह सभा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छद 356 के अन्तर्गत दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा को 11 नवम्बर, 1965 में छः मास की अग्रेत्तर अवधि के लिये लागू रखे जाने का अनुमोदन करती हैं।"

श्री हाथी अपना भाषण जारी रखें।

एक माननीय सदस्य : इसके लिये कितना समय नियत किया गया है?

अध्यक्ष महोदय : सरकारने साढ़े सात घंटे की सिफारिश की है। परन्तु कार्यमंत्रणा समिति ने अभी निर्णय नहीं किया है। उसकी बैठक आज साढ़े बारह बजे है।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : I want to raise a point of order.

Mr. Speaker : On what subject ?

Dr. Ram Manohar Lohia : On the adjournment Motion and calling Attention Notice. The land which Pakistan has captured in Rajasthan.....

Mr. Speaker : That cannot be raised now. The hon. Members should write to me about the matter they want to raise and if I allow that only then that can be raised.

Dr. Ram Manohar Lohia : I have already written.

Mr. Speaker : Only writing is not enough. It must have my permission.

गृह कार्य-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : अध्यक्ष महोदय, कल मैं केरल के राज्यपाल की रिपोर्ट के बारे में बता रहा था। राष्ट्रपति का शासन लोकतन्त्रीय सरकार का स्थान नहीं ले सकता, इसलिये राष्ट्रपति के शासन की अवधि कम से कम होनी चाहिये। इस मूल सिद्धांत को ध्यान में रख कर राज्यपाल ने इस प्रश्न का अध्ययन किया है। उन्होंने वहां के सभी राजनैतिक दलों से बातचीत की है। उनके साथ बातचीत के दौरान किसी भी अकेली राजनीतिक पार्टी ने यह दावा नहीं किया कि वह चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लेगी।

उन्होंने कहा कि पिछले मध्य कालीन चुनाव में वामपन्थी साम्यबादी दलने 40 स्थान जीते थे, संयुक्त सोशलिस्त पार्टी ने 13 और दक्षिणपन्थी साम्यवादी दलने 3। अब यह अनुमान लगाया जाता है कि वामपन्थी दल इतने स्थान नहीं जीत सकता।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। यह गलत अनुमान है।

श्री हाथी : यदि मुस्लिम लीग, केरल काँग्रेस और केरल प्रदेश काँग्रेस मिल जायें तो हो सकता है वे बहुमत प्राप्त कर लें। परन्तु केरल कांग्रेस और केरल प्रदेश कांग्रेस में इतना मतभेद है कि उसको दूर करना असंभव सा है। **(अन्तर्बाधा)**

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : क्या राज्यपाल को इसका निर्णय करना है?

श्री हाथी : आजकल ऐसी ही स्थिति है। राज्यपाल की रिपोर्ट को मैंने सभापटल पर रख दिया है और मैं केवल उसमें दी हुई बातों को ही उच्चारित कर रहा हूं। वामपन्थी साम्यवादी दल के नेता श्री नम्बूद्रीपाद ने जो वक्तव्य दिया है उसपर न केवल केरल में ही अपितु उसके बाहर भी लोगोंने रोष प्रकट किया है। अतः नतीजा यह निकलता है कि न तो किसी एक दल द्वारा बहुमत प्राप्त करने की ही संभावना है और न ही अन्य दलों द्वारा मिलकर सरकार बनाये जाने की ही संभावना है।

श्री नाम्बूद्रीपाद को छोड़ कर अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें बताया कि वे सामान्य चुनावाओं के लिये अनुरोध नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग के नेताने बताया कि चुनाव से सामुदायिक शांति भंग हो जायेगी।

[डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुई
DR. SAROJINI MAHISHI *in the Chair*]

इसलिये राज्यपाल के अनुमान के अनुसार वर्तमान उद्घोषणा को, जो कि समाप्त होने वाली है और छः महीने के लिये जारी रखा जाये। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है क्योंकि वह केरल के प्रशासन के लिये जिम्मेदार होगी।

पिछली बार जब सभाने इस संकल्प का अनुमोदन किया था तो हमने एक समिति बनाई थी। मैं सभा को सूचित कर दूं कि हमने अब इस समिति के कार्यक्षेत्र को बढ़ा दिया है। इस समिति का यह काम है कि यह देखे कि केरल के विकास में किसी प्रकार की बाधा न पड़े। इस समिति ने केरल की विभिन्न समस्याओं पर विचार किया है।

यद्यपि राज्य का विधान मंडल नहीं रहा है, तब भी इस समिति को केरल के प्रतिनिधियों और संसद् सदस्यों का सहयोग मिला है और इसने एक छोटी संसद के रुप में कार्य किया है।

श्री हरि विष्णु कामत : यह सब ढोंग है।

श्री हाथी : श्री कामत उसमें नही है। केरल संबंधी कैबिनेट समिति ने केरल को 1965–66 के लिये योजना व्यय के अतिरिक्त 5.63 करोड़ की अतिरिक्त राशि आवंटित की। हाल ही में योजना आयोग और वित्त आयोग के अधिकारियोंने केरल राज्य का दौरा किया। सिंचाई, बिजली, कृषि आदि से संबंधित विविध परियोजनाओं की जांच की गई। उससे पता चलता है कि निर्वाचित विधान मंडल के न होते हुए भी केरल के विकास में कोई बाधा नहीं पड़ी है। यद्यपि ये समितियां विद्यमान हैं, तो भी बड़ी हिचकिचाहट के साथ हमें राष्ट्रपति के शासन को वहां लागू करना पड़ा है।

सभापति महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा को 11 नवम्बर, 1965 से छः मास की अग्रतर अवधि के लिए लागू रखे जाने का अनुमोदन करती है।"

श्री रंगा (चित्तूर) : मैं अपने दल की ओर से इस संकल्प का विरोध करता हूं।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

हम इस संकल्प का विरोध क्यों करते हैं। क्योंकि हम लोकतन्त्र और इसके सिद्धान्तों के प्रेमी हैं। सरकार एक राजनीतिक चाल चल रही है और हम नहीं चाहते कि वह चाल सफल हो जाये।

भूतपूर्व न्यायवादी श्री सेतलवाड ने कहा है कि यह सरकार संवैधानिक तानाशाही ग्रहण करने का प्रयत्न कर रही है।

सरकार कहती हैं कि वहां आपात कालीन स्थिति के कारण चुनाव करना वांछनीय नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि फिर इस आपातकालीन स्थिति में सारे देश में चुनाव करने का विचार उनके दिल में कसे आया।

कांग्रेस दल ने अपनी ऊंचे स्तर की बठक में यह निर्णय किया कि आम चुनाव अभी करना वांछनीय नहीं है। आपात का तो केवल बहाना है।

एक तर्क यह दिया गया है कि किसी भी दल को यह आशा नहीं है कि वह बहुमत प्राप्त कर लेगा। इस बात से तो उस राज्य में केवल कांग्रेस की लगातार असफलता का ही पता चलता है। क्या लोगों के लिये लोक तन्त्रीय ढांचा सुनिश्चित करने के लिये यह बहुत जरूरी है कि हम हमेशा के लिये इस बात पर अड़े रहें कि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होना चाहिय। पिछली बार श्री हाथी ने आश्वासन दिया था कि स्विट्ज़रलैंड की संसदीय पद्धति के आधार पर केरल में मिलीजली सरकार बनाने पर विचार किया जायेगा। वहां पर सभी दलों को मिलकर सरकार चलाने का अवसर दिया जाता है। क्या सरकारने इस पर विचार कर लिया है ?

प्रोफसर आर्थर लुइस ने 'एनकाउंटर' ('Encounter') नाम की पत्रिका के अगस्त, 1965 के अंक में "बियोंड अफ्रीकन डिक्टेटरशिप" ("Beyond African Dictatorship") नामक लेख में आंगल अमरीकी चुनाव पद्धति की बड़ी निन्दा की है। भारत में शासक दल को देश भर में केवल 44 प्रतिशत मत प्राप्त हुए परन्तु उसके पास 72 प्रतिशत स्थान आते हैं। आप कैसे यह आशा कर सकते हैं कि लोग ऐसे लोकतन्त्र में विश्वास करें। इस लिये मेरा सुझाव है कि हमे स्विस पद्धति को अपने देश में लागू करने पर विचार करना चाहिये। मिलीजुली सरकार कानून का सम्मान करती है परन्तु एक दल की सरकार अपने विरोधियों को समाप्त करने का प्रयत्न करती है। और अनुचित तरीकों से अपनी सत्ता बनाये रखने का प्रयत्न करती है।

कांग्रेस दल ने बार बार केरल में बहुमत प्राप्त करने का प्रयत्न किया है। परन्तु हर बार उसको असफलता का मुँह देखना पड़ा है। कांग्रेस दल केन्द्र का सत्ताधारी दल है और इसके पास चुनावों में खर्च करने के लिये धन भी काफी है परन्तु फिर भी इसको वहां बहुमत प्राप्त नहीं हो सका है। सरकार

की यह चाल मालूम पड़ती है कि जब तक केरल में कांग्रेस दल को बहुमत प्राप्त नहीं होगा तब तक वहां पर राष्ट्रपति के शासन को जारी रखा जायगा । यह सब बहुत बुरी बात है और केरल की जनता को बिना कारण इतना बड़ा दण्ड नहीं देना चाहिये ।

यदि सरकार यह समझती है कि केरल के लोग उसके सामने झुक जायेंगे तो यह उसकी बड़ी भूल है ।

सरकार को यह डर है कि केरल में वामपन्थी साम्यवादी दल कहीं बहुमत न प्राप्त कर ले । परन्तु ऐसा हो नहीं सकता है । इन परिस्थितियों में सबसे अधिक सम्मानजनक बात तो यह थी कि सरकार वामपन्थी साम्यवादी दल को गैर कानूनी करार दे देती और अन्य प्रजातंत्रीय राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने का अवसर दे देती जिसके परिणामस्वरुप वहां जनता की सरकार बनती परन्तु इन्हें ठीक चुनाव के समय बन्दी बना कर सरकार ने बहुत बड़ी राजनीतिक भूल की है ।

यदि सत्तारुढ़ दल यह कहता है कि क्योंकि केरल में राजनीतिक दलों की नीतियों में परस्पर विरोध है इसलिये सभी दलों को सरकार अथवा दो या दो से अधिक दलों की मिली झुली सरकार नहीं बन सकती तो इस तर्क का खण्डन यहां केरल संबंधी सलाहकार समिति के शानदार कार्य से हो जाता है जिस में प्रत्येक राजनितिक दल के सदस्य हैं और इस समिति ने कई निर्णय सर्वसम्मति से किये हैं । मेरे विचार से सभी दलों की मिली जुली सरकार अधिक सफल सिद्ध होगी और प्रशासन में अधिक कार्य कुशलता आजायेगी । यही तर्क मेरे इस सुझाव को सुदृढ़ करता है कि कमसे कम केरल में स्विट्ज़र्लैण्ड की प्रणाली का प्रयोग किया जाए । पता नहीं सरकार क्यों यह प्रयोग करने में इतनी अनिच्छा प्रदर्शित कर रही है । शायद इस भय के कारण कि यदि वहां यह प्रयोग सफल हो गया तो अन्य राज्यों में जहां विरोधी दल इस समय सरकारी दल से सहयोग कर रहे हैं इससे इन्कार न करदें और यही प्रयोग वहां भी करने की मांग न करने लगें । इसका दूसरा कारण उनका साम्यवादी दल के सत्तारुढ़ होने का भय है । उन्हें सब से बड़ा भय अपनी सत्ता खोने का है ।

यद्यपि आज केरल में कांग्रेस की सरकार नहीं है परन्तु शासन तो इन्हीं का ही है बल्कि कहना चाहिये कि अब वे अधिक अच्छी स्थिति में हैं क्योंकि मुख्य मंत्री के कान तो किसी भी गलती पर पकड़े जा सकते हैं परन्तु राज्यपाल को राष्ट्रपति का संरक्षण प्राप्त है और राष्ट्रपति को कोई आंच नहीं पहुंचा सकता । इस प्रकार कांग्रेस ने जनता की इच्छा के विरुद्ध वहां शासन हथिया रखा है इसलिये वहां राष्ट्रपति के शासन में 6 मास की वृद्धि के लिये सरकार के लिये गलत है । और फिर यह किसे पता है कि यह वृद्धि अन्तिम होगी । इसलिये मेरा पहला निवेदन यह है कि सरकार इस संकल्प पर बल न दे यद्यपि वे इसे पारित करवा सकते हैं और मेरे दूसरा सुझाव यह है कि वे वहां सर्वदलीय सरकार अथवा 'स्विस प्रणाली' के आधार पर सरकार बनाने का प्रयोग करें ।

श्री ही० ना० मुखर्जी (कलकत्ता-मध्य) : यद्यपि श्री रंगा ने बहुत ही प्रभावपूर्ण ढंग से अपने तर्क पेश किये हैं परन्तु फिर भी मैं उन्हें नहीं मान सकता ।

केरल का मामला भारत के राजनीतिक जीवन पर धब्बा है और खेद की बात यह है कि इसमें वहां की जनता का कोई दोष नहीं है बल्कि सत्तारुढ़ दल को वहां अपना शासन बनाये रखने की चिन्ता है चाहे इसके लिये उन्हें अनुचित तरीके ही क्यों न अपनाने पड़े और यही कुछ वहां हो रहा है । वहां 1959 में जिस प्रकार साम्यवादी सरकार के विरुद्ध षड़यंत्र रचकर उसे उतार फैंका गया, देश उसे कदापि नहीं भूल सकता ।

कल श्री हाथी ने सरकार का मत स्पष्ट करते हुये कहा था कि वे लोकतंत्र के सिद्धान्तों को मानते हैं और वहां चुनाव अवश्य करवाये जाते यदि देश में आपात की स्थिति न होती और यदि राज्यपाल

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

ने इसके विरुद्ध सिफारिश न की होती । मैं भी इसी दृष्टिकोण से इस रिपोर्ट को देखूंगा । मुझे लगा है कि यह दस्तावेज एक बहुत ही अद्भुत प्रकार का है । हम केरल के राज्यपाल को यहां भली प्रकार जानते हैं ।

जो प्रतिवेदन हमारे सामने है उसे देख कर बड़ा आश्चर्य होता है । इसके यह पता चलता है कि हमारे राज्यपाल किस ढंग से कार्य करते हैं । इसमें बहुत भूलें तथा गलत बयान दिये हैं । अनुवाद करने हुए तो और अर्थ का अनर्थ बना दिया गया है । सारे काम में बहुत लापरवाही की भावना प्रयोग हुई साथ दिखाई दे जाती है । ऐसा समझा लिया गया है कि राज्यपाल दो 'प्रजा समाजवादी दल' के नेताओं से मिले थे । अब माननीय मंत्री ने कहा है कि यह गलती से 'संयुक्त समाजवादी दल' छप गया है । परन्तु आश्चर्य इस बात का है कि वे दोनों सज्जन इन दो उपरोक्त दलों के नहीं थे । उनका सम्बन्ध भारत के साम्यवादी दल से था । यह बड़े ही खेद की बात है कि राज्यपाल महोदय ने सरकार दस्तावेजों में राजनीतिक दलों को बड़े ढीले शब्दों में याद किया है । उनका उल्लेख उपयुक्त ढंग से नहीं किया गया है । उदाहरणार्थ उन्हें "वामपन्थी" और "दक्षिण पंथी" नाम दिया गया । राज्यपाल इस बात को भी भूल गये कि देश का निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों के नामों का एक उल्लेख भिन्न तरह से करता है । इस मामले में राज्यपाल ने बिल्कुल ही दूसरा ढंग अपनाया, जो किसी भी स्थिति में उपयुक्त नहीं था । और मेरे विचार में श्री हाथी को इस बात का पता है । इसके विपरीत मैं यह भी कह सकता हूं कि श्री जैन को यह कहने का भी कोई अधिकार नहीं था कि तीनों दल मिल कर भी बहुमत में नहीं होंगे । क्या यह राजनीतिक अशिक्षा नहीं है ?

इस बात को कभी भी वांछनीय नहीं कहा जा सकता कि राज्यपाल राजनीतिक पूर्व कथनों में पड़े । उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि यदि दो या तीन दल मिल भी जाय तो भी वे बहुमत में नहीं रहेंगे । भारत के साम्यवादी दल की सदा ही यह स्थिति रही है कि वह "मार्क्सवादी" साम्यवादियों, यदि वे लोग सरकार बनाने के समर्थ हो, तो वे सरकार को पूरा सहयोग देने को तैयार है यह सब इस लिए किया जा रहा है कि सरकार का संसद में बहुमत है और वह समझती है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता । यह कहना भी निराधार है कि आपात के कारण चुनाव नहीं हो सके हैं ।

यह भी उल्लेखनीय है कि गत बार सरकार ने चुनाव में चुने गये सदस्यों को एक स्थान पर मिलने नहीं दिया था । उसे भय था कि कहीं वे आपस में बातचीत करके यह न सोचे कि वे सरकार बना सकते हैं अथवा नहीं । यह एक ऐसी बात है जिस की कल्पना करना और वह भी संसदीय राजनीति में असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है । इस परिस्थिति में ऐसी गलत बात संभव हो सकती है । भूतपूर्व महा न्यायवादी ने भी कहा था कि कार्यपालिका ने भी चीनी आक्रमण से लाभ उठा कर अपने आपको संवैधानिक तानाशाह बना लिया है। ठीक ही कहा है श्री रंगा ने कि आज वे अंधे बहुमत में है और जो चाहे कर सकते है ।

मंत्री महोदय ने राज्य के बुद्धिवादी वर्ग को यह सलाह दी थी कि वे इसके विरुद्ध आवाज उठाये । क्या इसका अर्थ यह न होगा कि संविधान में जो मूलभूत अधिकार भारत के नागरिकों को प्राप्त है, उससे उन्हें वंचित कर दिया जाए ? इस संदर्भ में मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि सलाहकार समिति जिसे मंत्री महोदय ने 'छोटी संसद' का नाम दिया है, केरल के लोगों को सन्तुष्ट नहीं कर सकती । यदि संसदीय प्रणाली में रहना है तो केरल को भी अन्य क्षेत्रों की तरह निर्वाचित विधान मंडल बनाने का अधिकार है । दुःख की बात है कि पिछले कुछ समय से केरल को इस अधिकार से निरन्तर वंचित रखा जा रहा है । क्या यह राजनीतिक और नैतिक तौर पर ठीक है ?

श्री केप्पन (मवानुपुजा) : केरल में राष्ट्रपति के शासन को जारी रखने के बारे में यहां पर काफी कुछ कहा गया है । राष्ट्रपति का शासन जारी रखना लोक तंत्र के विरुद्ध है । परन्तु मेरा मत यह है कि जो महानुभाव अब भी यहां पर चुनाव की बात कर रहे है वे भी दिल से चुनाव नहीं चाहते । किसी

को भी चुनाव में जीतने की आशा नहीं है। केरल की समस्या के कई हल सुझाये गये है। एक सुझाव यह है कि स्विटज़रलैण्ड की तरह की सरकार बनाई जानी चाहिए। इस की स्थिति यह होती है कि एक विभिन्न दलों की समिति एक मत से निर्णय करती है। इस बारे में निवेदन यह है कि तथ्य यह है कि हमने पहले कई प्रयोग कर चुके है। हमनें इस बात का प्रयास किया था कि अल्पसंख्यक दल का समर्थन किया जाय और एक स्थायी और स्थिर सरकार का निर्माण किया जाय। हमने प्रजा समाजवादी दल, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दल को सम्मिलित सरकार भी बनाई। ये दोनों ही प्रयोग बुरी तरह असफल रहे हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्विट्जरलैण्ड की तरह का प्रयोग भी असफल रहेगा। मेरा कहना है कि केरल की राजनीति को अब अनिश्चित काल के लिए प्रयोगों की प्रयोगशाला नहीं बनाया रखना चाहिए। राष्ट्रपति का शासन केरल के लोगों को एक चुनौती है।

केरल के लोगों ने राष्ट्रपति राज्य का स्वागत नहीं किया। उन्होंने इसे एक अनिवार्य बुराई के रूप में स्वीकार किया है, जिससे छुटकारा पाना बहुत ही कठिन है : इस पर भी केरल के लोगों को यह आशा थी कि क्यों कि केन्द्रीय सरकार केरल में सीधे प्रशासन के सम्पर्क में आ रही है, अतः इसे इस राज्य की महत्वपूर्ण समस्याओं के हल तलाश करने का प्रयास करना होगा। परन्तु अब यह आशा भी निराशा में बदल रही है। राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा सम्भाले जाने के बाद वहां अनाज की बहुत ही कमी हो गयी है। और यह कमी गत एक वर्ष से निरन्तर चल रही है। आज एक वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी यह कमी अभी जारी है। राशन कार्डों के नवीकरण के लिए लोगो को घंटों में लम्बी कतारों में खड़ा होना होता है। कुछ लोग जो राशन लेने के अधिकारी तो होते हैं परन्तु उन्हें उसके बिना ही रहना पड़ता है। इस प्रकार वहां शोचनीय स्थिति चल रही है।

अनाज देने वालों को इतना कम दाम दिये जाते हैं कि उनका उत्पादन बढ़ाने का जोश ठंडा पड़ जाता है। वह अपने लिए उत्पादन करने के बाद अपने काम की इतिल्ली समझ लेते है। इस बारे में यह एक ठोस तथ्य है कि केरल में भूमि का उपयोग अधिकतम हो रहा है। इसका परिणाम यह है कि अनाज की वृद्धि के अन्तर्गत अधिक भूमि लाने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः यह जरूरी है कि फालतू अनाज वाले राज्य अपना व्यवहार बदले और केरल को अधिक खाद्यान्न दे। यह भी उल्लेखनीय है कि केरल अपनी व्यापारिक फसलों द्वारा भारत की कुल विदेशी मुद्रा का 19 प्रतिशत कमाता है। और इस अंश का काफी भाग अन्य राज्यों की विकास योजनाओं के भी काम आता है।

खाद्य स्थिति को सुधार करने के लिए केरल में कई ढंग अपनाये जा सकते हैं, जिसके खाद्यान्नों विकल्प तैयार किया जा सकता है। वहां मछली पालन के ढंग में यदि सुधार करके नये ढंग से विकास किया जाय तो वैकल्पिक खाद्य का उत्पादन किया जा सकता है। केरल की 80 प्रतिशत जनता मछली खाती है। 75 लाख की लागत से 15 मत्स्यनौकाये खरीद कर मत्स्य उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। यह उत्पादन 80,000 टन तक बढ़ाया जा सकता है। इससे 2.24 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। केवल 1600 बिजली की नावों को इस कार्य पर लगाया जा सकता है। इससे यह उत्पादन एक दम दुगुना हो जायेगा।

केरल में बेरोजगारो की समस्या भी है। कुल जनसंख्या का 34 प्रतिशत स्थायी और अस्थायी रुप से बकार चला आ रहा है। और इस राष्ट्रपति के शासन दौरान इस दिशा में कोई कमी नहीं हुई है। हम चौथी योजना की सफलता की बात कर रहे है। कहा जा रहा है कि प्रत्येक राज्य इसके लिए साधन जुटाये जाय। और उन साधनों के अनुसार उन्हें राशि दी जायेगी। इसका अर्थ यह होगा कि ऐसे राज्य में और कर लगेगे जहा लोगों को कर अदा करने के लिए अपनी भूमि बेचनी पड़ेगी। हम चाहते है कि मंत्री महोदय यह बताये कि हमें क्या प्राप्त होगा।

1942–43 में केरल में खाद्य की काफी कमी हो गयी थी। उस समय सरकार ने लोगों को प्रेरणा दी कि वे बन क्षेत्रों में भी खेती कर सकते है। अब कहा जा रहा है कि उन्होंने 5 एकड़ भूमि पर कबजा कर लिया है। मेरा निवेदन यह है कि यह एक मानवीय समस्या है जिसमें 4000 परिवारों के बेदखल

[श्री केप्पन]

करने का प्रयत्न है। उन्हें बेदखल करने के पूर्व उन्हें पर्याप्त प्रतिकर दिया जाना चाहिए । इससे 10 लाख टन धान, 30 लाख टन वेपिओका को हानि होगी । 20000 लोगों को खाना देना होगा । इस मामलों पर सहानुभूति पूर्ण ढंग से विचार करना चाहिए ।

श्री मणियंगाडन (कोट्टयम) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता । इसका यह मतलब नहीं कि राष्ट्रपति का शासन केरल में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न कर रहा है। मेरा निवेदन यह है कि आज वहां जो परिस्थिति है, उसे देखते हुए यही एक रास्ता है कि वहां राष्ट्रपति शासन को ही जारी रखा जाय। यह दुर्भाग्य की बात है कि वहां इसके अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं है। इस दिशा में राष्ट्रपति को हटाने के बारे में जो तर्क विरोधी पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये हैं, वे सारहीन है। मेरे विचार में इस की अवधि बढ़ाना बड़ा ही जरूरी है । जब वहां ठीक परिस्थिति निर्माण हो जाय, तो चुनाव कराये जा सक्ते हैं। यह बात भी बिलकुल निस्तार है कि वहां चुनाव इस लिए नहीं कराये जा रहे, क्योंकि कांग्रेस सत्ता अपने हाथ में रखना चाहती है ।

जैसा कि सब को मालूम है कि मध्यावधि चुनावों में कांग्रेस को इतना अधिक बहुमत प्राप्त नहीं हुआ कि वह अपनी सरकार बना सकती। परन्तु अन्य दलों की ओर से उसे यह पेशकश थी कि वह इनमें से किसी के साथ मिल कर संयुक्त मंत्रीमंडल का निर्माण कर सके । परन्तु कांग्रस अपने सिद्यान्त पर दटी रही । उसने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया कि जब तक कांग्रेस अपना बहुमत प्राप्त नहीं कर लेगी, वह सरकार नहीं बनायेगी । इस पृष्टभूमि में मेरा मत यह है कि राज्यपाल द्वारा चुनाव न कराने जाने के जो कारण प्रस्तुत किये है वे ठीक ही है। यह भी एक ठोस तथ्य है कि वर्तमान स्थिति में चुनाव कराना वैसे भी ठीक नहीं है ।

सलाहकार समिति के बारे में यह कहा जा सकता है कि वह ठीक तरह से काम कर रही है परन्तु उससे निर्णयों को कार्यान्वित नहीं किया गया है। केरल की खाद्य-स्थिति इतनी भयंकर हो रही है कि यदि इसका तुरंत कोई उपाय न किया गया तो स्थिति बहुत ही गंभीर हो जायेगी । आखिर काफी मदत तो लोग इस स्थिति को सहन नहीं करेगें। फालतु अन्न पदा करने वाले राज्यों को अन्न की कमी वाले राज्यों को अनाज देना ही चाहिए । यह भी उल्लेखनीय है कि विद्युत की कमी के कारण केरल के बहुत से कारखाने बंद हो गये हैं। बहुत सी बातों के लिए मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है । इसके लिए एक तापीय संयंत्र स्थापित तुरन्त किया जाना चाहिए। सरकार को इस दिशा में देरी नहीं करनी चाहिए । सलाह कार समिति की बठकों को भी प्राय: बुलाते रहना चाहिए ।

श्री नि० च० चटर्जी (बर्दवान) : मैं आपके सामने ठोस तथा प्रस्तुत करूंगा । मेरा प्रश्न एक ही है कि क्या राष्ट्रपति शासन को चालू रखा जाने का कोई औचित्य है ? मेरा मत यह है कि संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार केरल में राष्ट्रपति का शासन थोपना वैध नहीं है । यह तो संविधान का स्पष्ट उल्लधंन है। राष्ट्रपति द्वारा राज्य के कार्य-भार को सम्भाल लेने से पूर्व अपेक्षित शर्त पूरी नहीं की गयी है । हम यह कहने का कदापि साहस नहीं कर सकते कि केरल की सरकार संविधान के उपबन्धो के अनुसार ही चलाई जा रही है । मंत्रीमंडल बनाने से पूर्व ही विधान सभा भंग करके संकट-कालीन स्थिति घोषित कर दी गयी । सरकार बनाये जाने के कोई भी अवस्था प्रदान नहीं किये गये । विधान मंडल को अधिवेशन करने का भी अवसर प्रदान नहीं किया गया ।

जब वहां पर सरकार स्थापित करने का किसी को आवसर ही नहीं दिया गया, जब वहां पर विधान मंडल को अधिवेशन करने ही नहीं दिया गया तो यह कैसे कहा जा सकता है कि वहां पर सरकार को संसदीय तथा लोकतंत्रात्म ढंग से नहीं चलाया जा सकता है ।

मैं श्री अ० प्र० जैन द्वारा दी गई इस युक्ति का खंडन करता हूं कि संसदीय सरकार बनाने के लिये पूर्ण बहुमत-प्राप्त एक स्थायी सरकार होनी चाहिये । उनका यह सिद्यान्त बिल्कुल गलत है क्योंकि यदि ऐसा होता तो ब्रिटेन में भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री एमसे मेकडोनल्ड तथा श्री विन्स्टन चर्चल कभी सरकार न बना पाते और श्री विल्सन जो आज वहां पर प्रधान मंत्री हैं, कभी सरकार न बना पाते क्योंकि उनको

बहुमत प्राप्त नहीं है यदि आज सारे विपक्षी दल इकट्ठे हो जायें तो श्री विल्सन की सरकार को किसी समय भी हार हो सकती है । इसके अतिरिक्त केरल में एक मिली जुली सरकार पहले कार्य कर चुकी है । वह सरकार अवैध न हो कर संविधान के उपबन्धों के अनुसार थी । अनुच्छेद 356 का उपयोग तभी किया जा सकता है जब कोई सरकार असफल रहती है और अन्य कोई सरकार नहीं बनाई जा सकती है । वहां पर ऐसी कोई बात नहीं थी फिर भी वहां पर राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया है । एक ओर तो हम यह घोषणा करते हैं कि हम पाकिस्तान से एक सिद्धान्त को ले कर युद्ध कर रहे हैं और कि यह युद्ध लोकतन्त्र और सैनिक तानाशाही के बीच है परन्तु दूसरी ओर हम एक महत्वपूर्ण राज्य के लोगों को संसदीय लोकतंत्र के लाभ से वंचित कर दिया है । यह दोनों बातें कैसे मेल रखती हैं । श्री नाम्बूद्रीपाद को, जो सब से बड़े दल के नेता हैं, पहले सरकार बनाने दी जानी चाहिये थी और यदि वह असफल रहते तो संसिधान के उपबन्धों का उपयोग किया जाना चाहिये था । परन्तु इस शर्त को, जो कि संविधान के अन्तर्गत अनिवार्य है, पूरा किये बिना ही असाधारण शक्तियों को अपने हाथ में ले कर संविधान के उपबन्धों का उल्लघंन किया गया है ।

अन्य नेताओं के कहने पर राज्यपाल ने यह अनुमान लगाया है कि यदि चुनाव कराये गये तो किसी दल को ठोस बहुमत प्राप्त नहीं होगा । राज्यपाल को अपने प्रतिवेदन में वे कारण बताने चाहिये थे कि केरल में क्यों कोई सरकार काम नहीं चला सकती । सरकार बनाने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि किसी दल को पूर्ण बहुमत मिले । इसीलिये मैं यह बताना चाहता हूं कि संविधान के आपात-कालीन उपबन्धों का उपयोग करने के लिय पूर्व अपेक्षित शर्त पूरी नहीं की गयी है । यह संवैधानिक शक्तियों का असंवैधानिक उपयोग है । इससे तो यह कहीं अधिक अच्छा होगा यदि वहां पर चुनाव का खतरा मोल ले लिया जाये । परन्तु यह कहा जा रहा है कि आपात में चुनाव नहीं कराये जा सकते । यह आपात कैसा है ? मैं समझता हूं कि श्री जैन जानबूझ कर ऐसा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करेंगे जो सही न हो ।

श्री वारियर : यह तो राज्यपाल की रिपोर्ट का केवल संक्षिप्त रूप है । मूल रिपोर्ट में तो बहुत सी बातें होंगी ।

श्री नि० च० चटर्जी : हमारे देश में आपातकालीन स्थिति की उद्घोषणा 1962 में चीन के आक्रमण के समय हुई थी। इस लिये उसे उद्घोषणा के कारण चुनावों का न करना अनुचित है । पाकिस्तान के साथ संघर्ष एक अस्थायी चीज़ है । इसका भी केरल के चुनावों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता । आज केरल के लोग खाद्यापदार्थों की मांग कर रहे है । वहां पर यदि सरकार बनाई जाये तो लोग कुछ सन्तुष्ट हो सकते हैं । वे सलाहकार समिति से सन्तुष्ट नहीं है ।

मैं केरल आयोग का अध्यक्ष था । उस आयोग की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है । हमें वहां के भूखे लोगों के लिये आसू नहीं बहाने चाहिये । उनकी अपनी सरकार बनने दी जाये ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर) : अभी देश के एक महान विधिवेत्ता श्री चटर्जी ने सिद्ध कर दिया है राष्ट्रपति की उदघोषणा को लागू रखना न केवल असंवैधानिक है बल्कि प्रजातन्त्र का उपहास भी है । मैं इस संकल्प का कड़ा विरोध करता हूं । कांग्रेस पार्टी वास्तव में वहां पर अपना राज जारी रखना चाहती है । यह पार्टी प्रजातन्त्र को समाप्त कर रही है केरल के 90 प्रतिशत लोग शिक्षित हैं और ऐसे लोगों को लोक प्रिय सरकार से वंचित रखा जा रहा है ।

राज्यपाल की रिपोर्ट हमें पूरी रूप में नहीं दी गई है । इस में सभी दलों की बात नहीं आयी है । केरल के लोग अब भी साम्यवादी दल का समर्थन करते हैं । यदि अब चुनाव कराये जायं तो उसे अवश्य सफलता मिलेगी । पिछले चुनावों से पहले भी कहा जाता था कि साम्यवादी दल के जीतने की कोई आशा नहीं, परन्तु चुनाव में उसी दल को बहुमत प्राप्त हुआ । यह उस समय हुआ जब वे हमारे बहुत नेता जेल में थे । श्री अ० प्र० जैन उत्तर प्रदेश में राजनैनिक चालों के लिये बहुत प्रसिद्ध थे । उन्होंने केरल में वामपंथी दलों में फूट डालने के लिये ही रिपोर्ट लिखी है ।

[श्री दीनेन भट्टाचार्य]

सरकार को केरल के राज्यपाल की पूरी रिपोर्ट प्रकाशित करनी चाहिये। सरकार वहां पर कांग्रेस पार्टी को ठीक करने के लिये राज्यपाल को भेजा है । मेरे विचार में वहां पर पिछले महीनों में कांग्रेस पार्टी अपनी स्थिति के सुधार नहीं कर सकी और इसी लिये इस उद्घोषणा की अवधि फिर बढ़ाई जा रही है । इस बात को तो कांग्रेसी सदस्यों ने भी माना है कि राज्यपाल के शासन के काल में केरल की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ हैं । वहां की मज़दूरों की 40 प्रतिशत जनसंख्या बिना रोज़गार के है । खाद्यान्नों बारे में भी स्थिति बहुत खराब है ।

वहां पर स्थापित की गई सलाहकार समिति के पास कोई अधिकार नहीं है। उस समिति में सभी दलों का प्रतिनिधित्व भी नहीं है । हमारे नेता श्री गोपालन को बन्दी बनाकर रखा हुआ है । उन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध सरकार को सहायता का भी वचन दिया है । मैं सरकार के इस प्रकार के रवैये को समझ नहीं पाया । सरकार को केरल में बन्दी बनाये गये नेताओं को रिहा कर देना चाहिये। केरल में नोकर शाही का राज है । सलाहकार समिति के निर्णयों की वे लोग परवाह नहीं करते। इस प्रकार वास्तव में इस समिति का कोई लाभ नहीं है । इसमें मेरी पार्टी के प्रतिनिधियों को लिया नहीं गया है । इसी प्रकार त्रिवेन्द्रम प्रतिरक्षा समिति में मेरी पार्टी से किसी को नहीं लिया गया। श्री नाम्बुद्रीपाद को तो ले लिया गया है ।

केरल में बन्दी बनाये गये लोगों की दशा बहुत खराब है । राज्यपाल ने आश्वासन दिया था कि उन लोगों के साथ उदारता का व्यवहार किया जायेगा परन्तु इस बारे में कुछ नहीं किया गया है । वहां जेल में लगभग 142 व्यक्ति है । उनमें से केवल 54 को परिवार भत्ता दिया जाता है और वह भी केवल 50 या 60 रूपये दिये जाते है । इस से निर्वाह करना बहुत कठिन है । जेल में वैसे भी परिस्थितियां बहुत खराब हैं । बन्दियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

परोल पर रिहाई के बारे में आश्वासन दिया गया था कि बन्दियों को आवश्यक कामो या उनके परिवार के किसी सदस्य के बीमार होने की स्थिति में उनको पैरोल पर रिहा किया जायेगा । इस आश्वासन को पूरा नहीं किया गया ।

केरल के स्कूलों से कुछ पुस्तकें हटा दी गई थी। इस आदेश के विरुद्ध वहां पर आंदोलन हुआ और वह आदेश वापिस ले लिया गया परन्तु वे पुस्तकें अभी भी वापिस नहीं रखी गई हैं ।

केरल में श्रमिकों की हालत बहुत खराब है । वहां पर उनकी कोई भी बात नहीं सुनता। प्रतिदिन असंख्य झगड़े खड़े हो रहे ह । इस प्रकार आप देखेंगे कि वहां स्थिति बहुत खराब है । लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं हो रही है । मैं श्री नन्दा द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प का विरोध करता हूं ।

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा) : मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं क्योंकि यह केरल के लोगों के हित में हैं। मैं केरल सलाहकार समिति का सदस्य हूं और वहां की समस्याओं को जानता हूं। श्री नि० चं० चटर्जी ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत लागू की गई उद्घोषणा की आलोचना की है। इस समय तो केवल अवधि बढ़ाई जा रही है। इस लिये अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत आलोचना में कोई बात युक्तिसंगत नहीं लगती है। यह आलोचना तो उस समय होनी चाहिये जब यह उद्घोषणा लागू की गई थी। मैं श्री सीतलवाद की बात से भी सहमत नही हूं। उन्हें राजनीति का कोई अनुभव नहीं हैं। कानून के विषयों में तो उनकी बात में बहूत सार होता है परन्तु राजनैतिक विषयों में ऐसी बात नहीं है। श्री मुकर्जी ने कहा है कि केरल में प्रजातन्त्र का उपहास हो रहा है। उनका दल तो प्रजातन्त्र में विश्वास नहीं रखता। इस लिये उनकी केरल में प्रजातन्त्र की बात करने का अधिकार नहीं है। इस समय जो केरल के बारे किया जा रहा है यह प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के अनुसार है। संविधान में इस बारे में उपबन्ध हैं। संसद् की दोनों सभाओं में इस उद्घोषणा का अनुमोदन होगा । अतः केरल में कोई तानाशाही नहीं है।

वहां पर एक सलाहकार समिति बनाई गई है जिस के सदस्य लोगों द्वारा चुने हुए संसद् सदस्य हैं। वे लोग भी तो लोगों के प्रतिनिधि हैं इस समिति के समक्ष वहां की समस्यायें प्रस्तुत की जाती है और उनका ठीक प्रकार से समाधान किया जाता है। केरल में चावल की सप्लाई में वृद्धि के बारे में ऐसे ही किया गया है। इस प्रकार यह समिति एक प्रतिनिधि समिति है।

केरल के राज्यपाल ने भी बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं वहां के लोगों से मिला हूं। वे राज्यपाल की बहुत प्रशंसा करते हैं। हमें भी प्रसन्नता है और राज्यपाल के कार्य की सराहना करते हैं। केरल के लोग चाहते हैं कि वहां पर वर्तमान व्यवस्था को अगले आम चुनावों तक जारी रखा जाये। वहां पर इस समय चुनाव कराने से कोई लाभ नहीं है। पूरे देश एक ही समय चुनाव ठीक रहेंगे।

केरल की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वहां राजनैतिक नेताओं की संख्या बहुत अधिक है। वहां के लोग बहुत शिक्षित हैं।

आप किसी राज्य चले जाइये, उत्तर प्रदेश में जाइये, आप देखेंगे कि, केरल राज्य की एक हजार नर्में वहां काम पर लगाई गयी है। मध्य प्रदेश में ही लगभग ऐसी स्थिति है। दिल्ली में भी आपको केरल के लोग इसी तरह मिलेंगे। यह स्थिति लगभग सारे केरल की है। केरल के पास प्रकृति की देन बहुत है, काफी कीमतें चीजें पैदा होती है। देश के विदेशी विनिमय का 19 प्रतिशत भाग इसके द्वारा ही मिलता है। इन सब को देखते हुए प्रश्न यह है कि आखिर इस राज्य की समस्या क्या है ?

बात यह है कि यहां शिक्षा बहुत है, और उसी अनुमान से बेकारी है। भूमि सीमित, खाद्य उत्पादन कम और आबादी अधिक है। सब कुछ होते हुए भी यह आत्मनिर्भर राज्य नहीं है। गरीबी हो तो साम्यवाद पनपता है। परन्तु यह बात केरल में गलत सिद्ध हुई। वहां साम्यवाद वहां है, जहां लोग आलसी है। मेरा कहना है कि अभी एक वर्ष के लिए केरल में राष्ट्रपति का राज्य एक वर्ष के लिए ठीक है। मेरा निवेदन है कि राज्यपाल श्री अ० प्र० जैन इस दिशा में ठीक पग ही उठा रहे है।

श्री मुहम्मद कोया (कोझीकोड) : पूर्व वक्ता के भाषण से मुझे काफी आश्चर्य हुआ। मेरा विचार है कि उन्होंने मामले का ठीक ढंग से अध्ययन नहीं किया। उन्होंने वहां की प्राकृतिक समृद्धि देख कर ही समझ लिया कि वहां सब कुछ ठीक है। राज्यपाल का कहना है कि राष्ट्रपति का शासन कोई स्थायी वस्तु नहीं है। लोकप्रिय सरकार को इसका स्थान लेना चाहिए। परन्तु राज्यपाल को यह सन्देह है कि यदि नये चुनाव करवाये गये तो स्थायी सरकार नहीं बन सकती। उनका मत यह है कि गत आठ मास में स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। अत: प्रश्न होता है कि यदि 1967 तक इसी तरह ही स्थिति बनी रही तो क्या होगा ? भारत सरकार को इस स्थिति पर बड़ी गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। उन्हें यह पता लगाना चाहिए कि इस तरह की स्थिति निर्माण हो जाय तो कोई वैकल्पिक शासन व्यवस्था व्यावहारिक रूप में स्थापित की जा सकती है। इस बात को स्वीकार करता हूं कि सलाहकार समिति लोकप्रिय शासन का स्थान नहीं ले सकती। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि समिति की एक मत से की गयी सिफारिशों को भी कार्यान्वित नहीं किया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इस दिशा में बहुत ही निराशा हुई है।

मेरा यह भी विचार है कि विधान सभा को भंग करने के मामलों में केन्द्रीय सरकार को कुछ शीघ्रता से काम लिया है। विधान सभा के सदस्यों को राज्य की राजधानी तक में जाने की अनुमति नहीं दी गयी। यह संविधान की दृष्टि से ठीक नहीं है। इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहना है कि राज्य की समस्याओं की ओर उपेक्षा को राष्ट्रपति शासन का बहाना नहीं बनाना चाहिए। इस समस्यापूर्ण राज्य में राशन की व्यवस्था जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं की भी उपेक्षा की गयी है। 'वक्फ बोर्ड' जैसे धार्मिक निकायों सहित हाल ही में गठित सभी समितियों में कांग्रेसियों का प्रभुत्व है। और ये लोग चुनाव में हार गये है। अत: इन गठित समितियों में उनके प्रभुत्व को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। राज्यपाल द्वारा, प्रतिदिन के प्रशासनिक मामलों पर सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति नियुक्त की जानी

[श्री मुहम्मद कोया]

चाहिए। इस समिति में सभी दलों के प्रतिनिधि लिये जाने चाहिए। उन्हें विभिन्न लोकप्रिय समितियों में निरन्तर लिया जाना चाहिए। मेरा कहना है कि क्योंकि राज्य में चुनी हुई सरकार नहीं है, अतः सलाहकार समितियाँ गठित की जानी चाहिये और सभी वर्गों के लोग उसमें लिये जाने चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को प्रशासनिक मामलों में सलाह देने का अवसर दिया जाना चाहिये।

इस के अतिरिक्त मुझे कहना है कि जिन लोगों ने हाल ही में पाकिस्तान के हमले के समय प्रतिरक्षा कार्यों में काफी सक्रिय भाग लिया है, उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। 'मुस्लिम लीग' के लोगों को भी बन्दी बना लिया गया, हालांकि वे प्रतिरक्षा कार्यों में अपना सहयोग दे रहे थे। इसके अतिरिक्त पूर्व धारणायें, व्यक्तिगत वैमनस्य, तथा शत्रुता भी इन गिरफ्तारियों का कारण है। मेरा आग्रह है कि केरल के अधिकारियों को इस मामलें पर बहूत ही गम्भीरता से विचार करना चाहिये। इसके साथ ही प्रशासन को राज्य के शिक्षित बेकारों की समस्या को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। मालाबार का क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है, उसकी ओर भी समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। रेलवे का तो वहां नाम निशान नहीं हैं, जो कुछ अंग्रेजों ने किया था वही चल रहा है। इस क्षेत्र के पिछड़े पन की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार को हमारी शिकायतें सुननी चाहिये, क्योंकि अब तो हमारा राज केन्द्रीय सरकार के हाथ में ही है ?

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : हमें केरल की स्थानीय कठिनाइयों की ओर ध्यान देना चाहिए। यद्यपि विभिन्न महानुभावों ने अपने अपने दृष्टिकोण से समस्या के आधारभूत अंग पर प्रकाश डाला है। केरल का अपना व्यक्तित्व है और उसके साथ कुछ समस्यायें भी जुड़ी हुई है। राज्य का क्षेत्रफल 145,000 वर्ग मील है और आबादी 190 लाख है। 4000 वर्ग मील जंगल है। यहां के लोग काफी संख्या में शिक्षित है। कांग्रेस दल ने केरल में लोकतंत्रात्मक सिद्धान्त अपनाये हैं यदि वह सरकार बनाना चाहती तो विद्रोही कांग्रेसियों के सहयोग से बना सकती थी जिन्होंने कि कांग्रेस प्रधान के समक्ष यह प्रस्ताव रखा था। परन्तु कुछ सिद्धान्तों के लिए कांग्रेस ने सरकार नहीं बनाई थी। इस प्रकार उन्होंने प्रजातंत्र के आदर्श को बढ़ाया।

सरकार ने वामपन्थी साम्यवादियों को अवरूद्ध करके एक प्रकार से उनकी अधिक स्थान प्राप्त करने में सहायता की है और इस तरह उनको अधिक महत्व दिया है जिससे लोगों को उनके पक्ष में विशेष प्रेरणा मिली है। केरल में राष्ट्रपति का शासन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही लागू किया गया है। अब हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या राष्ट्रपति के शासन की अवधि और बढ़ानी चाहिये। यदि स्थिति में परिवर्तन हो जाये तो कांग्रेस दल को प्रशासन का उत्तरदायित्व अपने हाथ में लेना चाहिये। तब लोगों को यह नहीं कहना चाहिये कि कांग्रेस लोकतंत्र के मूल सिद्धान्तों से विचलित हो रही है।

सलाहकार समिति, जो कि पूरी तरह प्रतिनिधि समिति है और इसमें प्रतिष्ठित व्यक्ति है, राज्य की समस्याओं को हल करने का प्रयत्न कर रही है। संविधान में उपबन्धित आपातकालीन शक्तियों को व्यवहार लाया जा रहा है। यह किसी प्रकार भी संविधान के मूल उपबन्धों का उल्लंघन नहीं है न ही लोकतंत्र के मूल सिद्धान्तों के उल्लंघन अथवा अतिक्रमण का कोई प्रश्न है।

Shri Bade (Khargone) : I oppose this motion which intends to extend the period of President's rule in Kerala. I record my opposition on behalf of my party. I am not opposing it for the sake of opposition, it is against the provision of the Constitution. The President Rule was promulgated there only for Six months. It is mockery of the constitution. This is nothing but a political corruption. It is a negation of democracy and it is sad that it is being done by Congress, and now it is being extended. Congressmen have used 3 Ws i. e. Wine, wealth and women in order to get the congress victorious in the election. I have seen this thing in all the three elections. All the underhand means were adopted by the congress. Opposition people were arrested in order that there may not be the communist Regime in the State of Kerala.

As a matter of fact democracy has been throttled in Kerala—the coalition Government were not allowed to be formed there. The Report of the Governor that situation there has not changed is meant to perpetuate the president's Rule in the State. It is feared that that President's rule will always be imposed there. It will become a permanent feature. Whenever a party other than the congress comes to power.

It may be stated that it was hoped that Shri A. P. Jain would be able to bring in best administration. We don't want this convention to be permanent. Due to Indo-Pak Conflict, Country is facing a serious situations. But the congress president came with a proposal to have general Election in the country. Congress wanted to take the advantage of the situation.

[डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुई
DR. SAROJINI MAHISHI *in the Chair*]

But with all this in the back ground, I want to state, I will support the proposal during this emergency. At present the President's rule may be extended so as to avoid an election which may create discussions. Union cabinet committee has been appointed for Kerala. The Committee is doing very excellent work. Shri A. P. Jain has been doing well in consulting the representatives of Public.

श्री खाडिलकर (खेड) : छः मास हुए हमने इस विषय पर चर्चा की थी। अब यह दूसरी बार सदन के समक्ष आया है। मैंने पहली बार ही कहा था कि सारे प्रयास का लेने के पश्चात ही हमें राष्ट्रपति के शासन की बात करनी चाहिए। इसी बात को लेकर संवैधानिक औचित्य की बात श्री नि० च० चटर्जी ने की है। हमने आज की स्थिति में जब कि हम पाकिस्तान से लड़ाई कर रहे हैं, यह उचित है कि हम राज्य को दलगत राजनीति की आधार पर घूट की आग में झोंक दे। क्या आज की स्थिति में चुनाव करवाना ठीक होगा। महाराष्ट्र नगरपालिकाओं के चुनाव भी इसी आधार पर ही स्थगित किये गये है कि देश में इस समय आपात की स्थिति चल रही है। और इस स्थगन का प्रस्ताव विरोधी दलों द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

हमें एक यह बात भी सामने रखनी चाहिए कि आज की आपात स्थिति चीनी हमले के समय से कुछ भिन्न है। पाकिस्तान के साथ तो हमें युद्ध करना पड़ा है और देश का वातावरण ही बदल गया है। दो बाते हुई है। एक तो हमारा यह विचार बदल गया है कि पाकिस्तान की सैनिक शक्ति बहुत ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि प्रथम बार राष्ट्र एक व्यक्ति के रूप में उठ खड़ा हुआ। सभी ने सरकार को सहयोग दिया। अतः इस समय जिस प्रकार के तर्क प्रस्तुत किये जा रहे हैं उन्हें संगत नहीं कहा जा सकता। आज यहां केरल की बात की जा रही है। केरल के दोनों ही पक्ष यहां नहीं। साम्यवादी लोग तो जेलों में है। मार्किस्ट लोग यहां है। कुछ भी हो केरल में जो कुछ किया जाना है उसे औचित्य के आधार पर ही किया जाना है।

रिपोर्ट से यह बात स्पष्ट पता लगती है कि विरोधी कांग्रेसी एकता नहीं रख सके हैं और कांग्रेस के मंच पर फिर से नहीं आ सके हैं। न ही साम्यवादी दल, जो उस राज्य में एक बडा दल है। निकट आ सका है। मुझे आशा है कि श्री नाम्बूद्रीपाद, विश्व की बदलती हुई स्थिति को देखते हुए, साहस से काम लेंगे और यह सोचेंगे कि अब समय आ गया है जब कि उनके और उनके दल की विचारधारा बदलनी चाहिए।

यह राज्यपाल की रिपोर्ट का बहुत अच्छा सारांश है। मैं यह बात सोच भी नहीं सकता कि राज्यपाल वहां पर वर्तमान स्थिति बनाये रखने के लिये कोई बहाना ढूंढेंगे। जब तक विभिन्न समुदाय और एक दल एक प्रकार का सख्त रवैया अपनाएंगे और शक्ति-संघर्ष से कोई बड़ा दल बनने की आशा नहीं होगी, ऐसी स्थिति में संविधान के अनुसार किसी लोकतंत्रीय, संसदीय व्यवस्था का होना संभव नहीं है।

[श्री खाडिलकर]

पिछली बार मैंने यह सुझाव दिया था कि यदि बार बार निर्वाचन करने के पश्चात भी केरल में बहुमत शासन स्थापित न किया जा सके तो कोई और उपाय किया जाय जिससे वहां संविधान के अन्तर्गत सरकार बनायी जा सके। लेकिन वर्तमान समय इसके उपयुक्त नहीं है। इस समय जब कि हमें संकट का सामना करना पड रहा है, इस उपाय के बारे में उंगली उठाना ठीक नहीं है क्यों कि इसके अतिरिक्त और कोई चारा भी तो नहीं है।

छः महीने बाद हमें फिर ऐसी ही स्थिति का सामना करना होगा। शायद सामान्य निर्वाचन के समय स्थिति सुधार सके क्यों कि वर्तमान सख्त रवैये के कारण किसी भी दल का बहुमत नहीं हो सकता जो कि संसदीय लोकतंत्र का आधार है।

केरल देश में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। वहां के लोग इन मामलों के प्रति अधिक जागरूक तथा सजग हैं। हालांकि व निर्धन है और वहां बरोजगारी बहुत है, वहां उद्योग का विकास नहीं हुआ है और कृषि से रोजगार की व्यवस्था नहीं हो सकता और न ही वहां खाद्य में आत्म-निर्भरता है। ऐसी स्थिति में जब वहां निर्वाचित लोकप्रिय सरकार नहीं है, गृह-मंत्री यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके प्रति न्याय हो।

यदि भारतीय संघ में किसी भी राज्य में एसी स्थिति रहती है तो संविधान के पंडितों को इस पर फिर से विचार करना होगा। यदि अगली बार भी ऐसी ही स्थिति रहती है तो उनको जनमत तैयार करने और सरकार बनाने के बारे में उपाय करने पडेंगे। मैं नहीं चाहता कि केरल को लोकप्रिय सरकार से वंचित रखा जाए। स्थिति चाहे जो हो, किसी भी राज्य में अधिक समय तक ऐसी सरकार नहीं होनी चाहिए जो निर्वाचित न हो और एक निर्वाचित सरकार के रूप में कार्य न कर रही हो। यह सामाजिक रूप से और अन्यथा एक असफलता है क्यों कि आगे चल कर इसके दीर्घ-गामी प्रभाव होंगे।

गृह मंत्री जी को यह सुनिश्चित्त करना चाहिये कि राज्यपाल द्वारा सरकार इस प्रकार चलायी जाये जैसे कि वहां पर लोकप्रिय सरकार का शासन हो।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : राज्यपाल का प्रतिवेदन, जो सभी के समक्ष है और जिसके बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, बडा खेदजनक दस्तावेज है। राज्य मंत्री द्वारा रखा गया प्रस्ताव इस बातका पर्याप्त प्रमाण है कि आज भी सरकार द्वारा नीतियों को निर्धारित करने और निर्णयों को क्रियान्वित करने में सिद्धान्तहीनता तथा पक्षपातपूर्ण हित का ध्यान रखा जाता है। इस संकट काल में भी उन्होने अपने दल के कल्याण की भावना को नहीं त्यागा है।

राज्यपाल का प्रतिवेदन बडी असावधानी से तैयार किया गया है और इसमें कई असंगत और गम्भीर भूलें की गयी हैं। उन्होंने मध्यकालीन निर्वाचनों का उल्लेख किया है। यह केरल के लिये मध्यकालीन निर्वाचन नहीं हैं। यह तो पूरी अवधि के बाद निर्वाचन हुए थे। संसद् के लिये ये मध्यकालीन हो सकते हैं लेकिन केरल के लिये नहीं। प्रतिवेदन में निर्वाचनों में कांग्रेस दल की विजय के लिये सहानुभूति प्रकट की गयी है। संविधान में यह नहीं दिया गया है कि राज्यपाल को दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे देना चाहिये और यह राज्यपाल भी अन्य राज्यपालों की तरह ही कांग्रेस दल का राज्यपाल है। प्रतिवेदन में लिखा है कि यदि अब भी निर्वाचन होते हैं तो कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल सकेगा। संविधान में कहीं पर भी यह व्यवस्था नहीं है कि मंत्रि-परिषद् का समर्थन सदस्यों के बहुमत द्वारा होना चाहिए। केरल में एसा सिद्ध भी हो चुका है। मेरे दल ने बिना पूर्व बहुमत के, जब कि राज्य के विधान मंडल में उसको केवल 19 स्थान मिले थे, काफी समय तक सरकार चलाई। अतः मंत्री महोदय का यह कहना ठीक नहीं है कि क्यों कि चुनावों में किसी दल को भी अस्तित्व योग्य बहुमत प्राप्त नहीं होगा, इसलिये चुनाव नहीं किये जाने चाहियें। वास्तविक कारण यह है कि सरकार आपात काल के नाम पर सभी प्रकार के चुनाव, यहां तक कि

नगरपालिका और पंचायतों के चुनाव भी स्थगित करना चाहती है। महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने नगरपालिकाओं के निर्वाचन दो वर्ष के लिये स्थगित कर दिये है। मध्य प्रदेश में भी नगरपालिका के निर्वाचन अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिये गये हैं। अतः सरकार को निश्चित रूप से इस बारे में बताना चाहिए कि वह केरल में छः महीने बाद चुनाव करायेंगे या नहीं? और क्या आपातकाल के रहत हुए भारत में 1967 में अगले सामान्य निर्वाचन कराये जायेंगे या नहीं?

राज्यपाल ने यह कह कर कि श्री अधिकारी तथा श्री राजेश्वर राव मेरे दल के सदस्य है, मेरे दल को अपमानित किया है। दूसरे, उन्होंने यह कहा है कि प्रजा समाजवादी नेताओं ने कहा था कि सामान्य रूप से वे वामपंथी साम्यवादियों अथवा मार्क्सवादी साम्यवादियों के साथ चुनाव सम्बन्धी गठजोड करने के लिए तैयार हैं। यह वक्तव्य मेरे दल का अवमान है। यह सच है कि राज्यपाल के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकती। मैं चाहता हूं कि प्रमुख विधिजीवी राज्यपाल के विरुद्ध कार्यवाही करने की सम्भावना का पता लगाने के प्रश्न पर विचार करें। श्री नाम्बूद्रीपाद मार्क्सवादी साम्यवादियों के नेता हैं। वह बडे ईमानदार और सत्यनिष्ठ हैं। लेकिन आजाद काश्मीर और अक्षय चिन के बारे में उनका वक्तव्य बडा असंतोषजनक है। अब समय आ गया है जब कि हम सब को एक होकर दृढ-निश्चय से संयुक्त राष्ट्र के भीतर और बाहर यह मांग करनी चाहिये कि तिब्बत में आत्म-निर्णय हो। दूसरी मांग यह होनी चाहिये कि चीनी साम्राज्यवाद के चंगुल से तिब्बत को मुक्त कराया जाये।

अब समय आ गया है--जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने भी सुझाव दिया है--कि तिब्बत पर चीन की प्रभुसत्ता न मानी जायें।

पिछले सत्र में केरल बजट पर बहस के दौरान मैंने कई बातें उठायी थीं जिनका वित्त मंत्री ने कोई उत्तर नहीं दिया था बल्कि कहा था कि वे अपने साथियों से परामर्श करके उत्तर बाद में सभा पटल पर रख देंगे। अब मैं समझता हूं कि गृह मंत्री उन बातों का उत्तर देंगे। केरल के नजरबन्दों के बारे में कुछ योग्य और कुछ अयोग्य क्यों हैं।

दूसरी बात केरल में पाकिस्तान-समर्थक नजरबन्दों के बारे में थी क्यों कि दो बातें हैं: पाकिस्तान-समर्थक नजरबन्द और चीन-समर्थक नजरबन्द। इन दोनों के बारे में क्या स्थिति है।

श्री नाम्बूद्रीपाद के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा और केरल सरकार द्वारा भिन्न भिन्न वक्तव्य दिये गये हैं। श्री गोपालन को गिरफ्तार किया गया है। क्या श्री गोपालन का दावा श्री नाम्बूद्रीपाद के दावे से कुछ कम है? उनको क्यों छोडा हुआ है। यदि वह स्वतन्त्र हैं तो श्री गोपालन को भी स्वतन्त्र किया जाये। यदि सरकार अब भी इस दस्तावेज को मानती है तो अब समय आ गया है जब कि सरकार सभी प्रकार से इस बात पर विचार करे कि श्री नाम्बूद्रीपाद के साथ कैसा व्यवहार किया जाये और उनके दल को अवैध घोषित कर उस पर प्रतिबंध लगाया जाये या नहीं। यह मामला बहुत समय से लम्बित है। इस बारे में कुछ निर्णय अवश्य किया जाना चाहिये।

पिछले सत्र में मैंने यह कहा था कि राष्ट्रपति के शासन के अन्तर्गत केरल की जनता को बडे कष्टों का सामना करना पड रहा है। मुख्य समस्या खाद्यान्न की है। वहां पर चावल की स्थिति पहले जैसे ही खराब है। यदि राष्ट्रपति के शासन का यह परिणाम है तो मैं समझता हूं कि इसे जितना जल्दी समाप्त कर दिया जाये उतना अच्छा हो। वहां पर राष्ट्रपति शासन बहुत समय से चल रहा है। ईश्वर के लिये इसे समाप्त कर वहां चुनाव कराये जायें। यहां पर सभी दलों ने कहा है कि यदि सरकार आदेश दे तो वे चुनाव कराने को तैयार हैं। अतः मैं एक बार फिर कहता हूं कि यह उचित समय है जब कि केरल में यथा सम्भव शीघ्र चुनाव कराये जायें। मैं जानता हूं कि यह प्रस्ताव आज पास हो जायगा लेकिन कम से कम फिर छः महीने बाद तो इसकी अवधि और न बढायी जाय।
अतः मैं इस प्रस्ताव का तीव्र विरोध करता हूं।

Shri Gauri Shankar Kakkar (Fatehpur) : Mr. Chairman, Madam, I oppose this motion which is before the House. It is strange that the Governor's report has been made the basis of the motion. According to Article 356 of the Constitution, when an extention of the President's Rule is sought, the report of the Governor is neither required nor it can be made the basis of continuing the President's Rule. If the motion was put forward by the Home Ministry, then it was justified. It is for Parliament alone to decide whether there are reasonable grounds for the extenstion of the President's rule.

There are certain States, namely U.P., Bihar or Orissa where the administration is not running on strictly in accordonce with the provisions of the constitution. These States can also be brought under the President's Rule.

It is not proper on the part of the Governor of Kerala to have stated in his report that no party is likely to gain a majority in elections in the State. This statement is merely based on conjecture and surmises. The fact is that no one can forecast the results of the election.

In the last report given by the Governor after the last general elections, the main fault was that of congress Party. The party which formed cabinet in all the States and had coalition with Muslim League, the President of that congress Party even prior to the meeting of the high command made a declaration that that party would not enter into coalition with any other party. In a way we made grounds for the President's Rule there.

Besides that after elections nobody was allowed to go in the Assembly House. In no other democratic country in the world, such things will take place. The elected persons were deprived of their rights.

There is no provision in the Constitution on the basis of which President's Rule is continued in Kerala. One thing is there that congress could not attain absolute majority and could not form Government and therefore the President's Rule is continued there and not holding elections.

It has appeared in newspapers that Sarwashari Kamaraj and T. T. Krishnamachari want to hold general elections one year earlier i. e. in February 1966 so that people could support the Shastri Government for their stand in war against Pakistan. Then why they are not holding elections in Kerala and why President's Rule is extended for six months more.

It is not proper to ban leftist Communist because they are pro-chinese. If that party gets the support of the public there, it is not poper to check it. I think this proposal is not justified and is against the provisions of the Constitution. The rights of this House are being vested into the Governor.

Therefore I oppose this resolution.

श्री वारियर (त्रिचूर) : गृहकार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने इस संकल्प के पक्ष में जो तर्क दिये हैं वे जंचते नहीं हैं। यह सच है कि एक सलाहकार समिति बनाई गई है जिसमें इस सभा के और राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य है और कुछ बाहर के व्यक्ति भी हैं। लेकिन इस समिति की स्थापना के लिये संकल्प प्रस्तुत किये जाने के समय भी हमने कहा था कि सरकार इसको केवल केरल के वैधानिक कार्यों के सम्बन्ध में परामर्श दात्री समिति ही न बना कर इसको अधिक कार्यकारी समिति बनायी जाय। केरल में विधानमंडल न होने से वह सरकार द्वारा बनाये गये कानूनों की अवहेलना नहीं कर सकता। राष्ट्रपति का शासन जारी रखने के एक महत्त्वपूर्ण मामले पर भी हमसे सलाह नहीं ली

गयी। फिर इस समिति का क्या लाभ है। इस समिति की राय न मानी जाय तो कोई एतराज नहीं लेकिन कम से कम इससे परामर्श तो किया ही जाय। कारण बडा साधारण है। क्यों कि राष्ट्रपति का शासन जारी रखने का प्रस्ताव कोई नया नहीं है। पहले भी इस सभा में प्रश्न उठाये गये थे और तब विधि मंत्री ने कहा था कि जब तक ऐसी स्थिति पैदा न हो जाये कि वहां स्थायी सरकार स्थापित की जा सके, वहां निर्वाचन नहीं किये जायंगे।

जब सरकार ने अपने मन में अन्तिम रूप से यह निर्णय कर लिया कि अभी कुछ समय तक निर्वाचित लोकप्रिय सरकार नहीं हो सकती और यह बात कही जाती हैं कि चुनाव केवल 1967 में ही होंगे। इस सरकार को इतना ईमानदार और स्पष्ट तो होना ही चाहिये कि वह संसद् से इसका अनुमोदन करने को कहे कि निर्वाचन 1967 में किये जायंगे और तब तक वहां राष्ट्रपति शासन जारी रहेगा। सरकार राज्यपाल से रिपोर्ट मांगने का दिखावा करने के बजाय स्पष्ट यह क्यों नहीं कह देती कि देश में आपात की स्थिति है जो वर्तमान स्थिति के अनुसार कभी समाप्त नहीं होगी और इस लिये वहां चुनाव संभव नहीं हैं। मुझे राज्यपाल के शासन पर केवल इसीलिये आपत्ति है कि वहां की समस्याएं कभी हल नहीं होती और निर्धारित राशि का बहुत बड़ा भाग बिना उपयोग के वापिस कर दिया जाता है। वर्तमान नौकरशाही प्रशासन में ही 40 करोड़ रुपये वापिस किये गये हैं। अब 20 करोड़ के स्थान पर 5.5 करोड़ रुपये स्वीकृत हुये हैं और यदि जनता की सरकार वहां होती तो ऐसा कभी न होने दिया जाता। वहां प्रति व्यक्ति 5.75 औंस चावल का राशन है जो खाने योग्य भी नहीं है और जिसमें से दुर्गंध आती है। और वहां कई दुकानों पर यह भी कई कई दिन नहीं मिल पाता। अब जनता शिकायत करे तो किससे—न उनके द्वारा निर्वाचित वहां की सरकार है न ही मंत्री ? कब तक ऐसी स्थिति चलती रहेगी ?

बिजली और उद्योग ठप्प होने की आशंका दूर करने के लिये एक तापीय बिजलीघर की मांग की गई थी परन्तु इसे भी अस्वीकार कर दिया गया है। यद्यपि कई बार कहा गया है कि केरल में पानी से बिजली उत्पन्न की संभावना सब से सस्ते दामों हो सकती है परन्तु इसके लिये हमे मद्रास के आगे हाथ पसारने पड़ते हैं। अब मद्रास में भी वही संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है और उन्हें मैसूर के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। हमें तो सदा यही कहा जाता रहा है कि दक्षिणी विद्युत संयंत्र आने वाला है—पता नहीं कब वह शुभ दिन आएगा ? और जब तक ऐसा नहीं होगा केरल विद्युत से वंचित रहेगा। आश्चर्य तो इस बात का है कि सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय द्वारा नियुक्त की गई समिति द्वारा इसकी सिफारिश किये जाने पर भी तापीय बिजली घर वहां स्थापित करने को मना कर दिया गया है। अब मंत्री महोदय ने स्वयं इसके लिये कहा है परन्तु समस्या वित्त की है। आश्चर्य है कि मंत्री महोदय कई मामलों में तो सर्वशक्तिमान बन जाते है परन्तु कई अन्य मामलों में अत्यन्त दुर्बल। लगता है यह सब घोटाला पूर्वनिश्चित योजना के अनुसार होता है। अब इस अन्याय के विरुद्ध हम अपील भी करें तो किस से ? क्या केवल भगवान से ?

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि नव गठित मीनक्षेत्र निगम में अधिकतर शेयर किसी अमरीकी संस्था को दिये गये हैं ? यदि हां, तो सरकार को कोई स्पष्टीकरण देना होगा। यदि वे पाकिस्तान को अस्त्र दे रहे हैं तो हम उन्हें अपनी मछलियां क्यों दें ? अब जब कि हमारे प्रति उनकी मित्रता संदिग्ध है और उनका सातवां बेड़ा करीब ही खड़ा है तो हमारे लिये अपनी तट रेखा उनको सौंप देना क्या उचित होगा। हमें इस बारे में पुनर्विचार करना होगा। यदि राज्य सरकार इसका प्रबन्ध नहीं कर सकती तो केन्द्र सरकार इसे संभाल ले। तब उसे ज्ञात होगा कि 2 करोड़ तो क्या 20 करोड़ रुपये भी भारत में एक पूर्णविकसित मीनक्षेत्रीय निगम के लिये पर्याप्त नहीं है जिसे सबसे अधिक लाभ हो और जिसे विदेशी मुद्रा की सबसे अधिक कमाई होती हो।

केरल में वेतन आयोग ने हाल ही में जो अपनी रिपोर्ट पेश की है उससे सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को निराशा हुई है और सरकार के फसलों से वे पूर्णतया असंतुष्ट हैं। सरकार को इसका पुनर्विलोकन करना चाहिये और दिनोदिन बढ़ते मूल्यों की दृष्टि से इस मामले पर गंभीरतापूर्वक

[श्री वारियर]

ध्यान देना चाहिये क्योंकि यदि सरकारी कर्मचारी असंतुष्ट हुये तो निष्क्रीयता, नौकरशाही और लालफीताशाही बढ़ेगी जिसका परिणाम बहुत बुरा होगा

खेद है कि चौथी योजना में भी केरल में एक इंच भी नई रेलवे लाईन के निर्माण की व्यवस्था नहीं है जिसमें अन्य राज्यों की अपेक्षा अनुपात में अधिक माल का आयात-निर्यात होता है।

केरल के सभी दुखों का कारण गत 18 वर्षों से अपनायी जा रही केन्द्र सरकार की खराब नीति जिससे हमारा शोषण किया जाता रहा है। इसलिये सरकार को चाहिये कि व अपनी वर्तमान नीति बदले और केरल को भी अन्य राज्यों की भान्ति फलने फूलने का अवसर दे। इससे राज्य के साथ साथ सारे देश का कल्याण होगा।

श्री पाराशर (शिवपुरी) : यदि किसी को यह देखना हो की एक डांवाडोल सरकार जनता को कितना बर्बाद कर सकती है तो वह केरल जा कर देख सकता है। वहां सरकारी अधिकारी नियमों और संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वे चाहे और किसी के हित में ऐसा करते हों परन्तु यह जनता का हित कदापि नहीं है। यह धांधली देख कर तो यही लगता है कि राज्यपाल ठीक ही इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वहां एक स्थिर सरकार बनने की कोई संभावना नहीं है।

मेरे माननीय मित्र श्री गौरी शंकर कक्कड़ ने आपत्ति उठाई थी कि वर्तमान संकल्प संविधान की आत्मा के विरुद्ध है और अपने पक्ष में उन्हों ने संविधान के कुछ उपबन्धों का भी उल्लेख किया। उन्होंने अनुच्छेद 356 का उल्लेख किया था परन्तु मेरी ध्यानपूर्वक खोज के बावजूद भी मुझे इसमें सफलता नहीं मिली और न ही मैं ने इसे इस अनुच्छेद के पाथ के ही प्रतिकूल पाया। इसी अनुच्छेद के खण्ड 1 में राज्यपाल की राय को प्राथमिकता दी गई है और राष्ट्रपति ने ऐसा ही किया है परन्तु यदि श्री कक्कड़ जी का तर्क खण्ड 4 पर लागू किया जाए तो इस खण्ड को ही हटा देना होगा। इसलिय संवैधानिक तथा कानूनी तौर पर राज्यपाल ने जो भी राय दी हो वही संवैधानिक एवं कानूनी होगी और इसपर इस सभा में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं उठाई जा सकती।

राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि राज्य की राजनीति में भारत पर पाकिस्तानी आक्रमण तथा उत्तर-पूर्वी सीमा पर चीनी धमकी के कारण एक नया परिवर्तन आ गया है और श्री नाम्बूद्रीपाद को छोड़ सभी राजनीतिक दलों के नेताओं का मत है कि इन परिस्थितियों में राज्य में चुनाओं करना ठीक न होगा यद्यपि सभी दल सामान्य रूप से लोकप्रिय शासन पुन लागू किये जाने के इच्छुक हैं। तो सरकार के लिये वर्तमान संकल्प को प्रस्तुत करने के अतिरिक्त और क्या करने को रह गया है? इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं और उन सभी मित्रों से जिन्हों ने इसका विरोध किया है, अनुरोध करता हूं कि देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए वे भी अपने निश्चय पर पुनर्विचार करने के पश्चात इसका समर्थन करें क्योंकि यह इस समय न केवल केरल की जनता के हित में है परन्तु सारे देश के हित में है।

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलापुज़ा) : सभापति महोदय, आपने पीठासीन होने से पूर्व इस संकल्प के पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत किया था कि आप के पक्ष में होने का कारण केवल आपात काल है परन्तु लगता है आप ने राज्यपाल की रिपोर्ट के पहले भाग को कोई महत्व नहीं दिया है। परन्तु मेरा कहना यही है कि इस समय यदि लोकप्रिय सरकार होती तो वे जनता के प्रतिरक्षा प्रयासों का संगठन अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से कर सकती थी। आज अधिकारी गण स्कूली बच्चों आदि से जबरदस्ती धन वसूल कर रहे हैं जो अच्छी बात नहीं है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि वह कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

चालीसवां प्रतिवेदन

श्री राने (बुलडाना) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का चालीसवां प्रतिवेदन पेश करता हूं।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, 5 नवम्बर, 1965/14 कार्तिक, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, November 5, 1965/Kartika 14, 1887 (Saka).

भा०स०मु०ना—वि० 2—44 लोक सभा/65—25-7-66—600.